कुरुक्षेत्र

अप्रैल 1992 तीन रुपये

केन्द्रीय बजट 1992-93

डा० मनमोहन सिंह
वित्त मंत्री

कृषि हमारे देश की समृद्धि की नींव है। आर्थिक विकास की हमारी कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित न करे। न ही हम तब तक ग्रामीण श्रम शक्ति को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक नीति में बदलाव नहीं लाते। इसके लिए बहुउद्देशीय नीति को प्रभावशाली रूप से लागू करने की जरूरत है जिसमें भूमि सुधार, सिंचाई और जल मल निकासी के लिए बड़ी पूंजी लगाना, जल प्रबन्धन प्रक्रिया का विकास करना, भूमि-अपघटन का नियंत्रण, लेन देन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना और कृषि विस्तार व अनुसंधान में सुधार लाना शामिल है। कृषि राज्य का विषय है इस कार्य में राज्य सरकारों द्वारा काफी प्रयास किए जाने चाहिए। हमें यह आशा है कि राज्य सरकारें इन मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देंगी। केन्द्र विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए आर्थिक मदद जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है जो कि हमारी विकास नीति का प्रमुख हिस्सा है।

(लोक सभा में -- बजट भाषण से)

37, अंक 6 चैत्र-वैशाख शक 1913-14

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य, चित्र आदि भेजिए । अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

[illegible]

व्यापार व्यवस्थापक : [illegible]

सहायक व्यापार व्यवस्थापक : [illegible]

उत्पादन अधिकारी : के.आर. [illegible]

आवरण [illegible]

साज-सज्जा [illegible]

[illegible] : 3.00

फोटो साभार : फोटो प्रभाग एवं रमेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्रालय

विषय सूची

नए बजट की प्राथमिकताएं — 2
डा॰ मुन्नीलाल विश्वकर्मा

1992-93 का बजट और ग्रामीण विकास — 4
राजेन्द्र उपाध्याय

ग्रामीण बेरोजगारों का पलायन-एक चुनौती — 7
कृष्ण कुमार सिंह

आर्थिक समीक्षा — 10
अरिहन जैन

गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों के विविध उपयोग — 12
कु॰ दिव्या गुप्ता

उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग: आय का स्थायी साधन — 14
डॉ॰ वी.के. अग्रवाल

पर्यावरण प्रदूषण भविष्य की त्रासदी — 16
रामाधार तिवारी

सामाजिक न्याय के प्रणेता-डा॰ भीमराव आम्बेडकर — 18
सुभाष चन्द्र "सत्य"

ग्रामीण पर्यावरण प्रदूषण: कारण, प्रभाव और निदान — 20
किशोर कुमार ठाकुर

लोगों के साथ निष्पक्ष और प्रभावी संचार जरूरी — 23
प्रस्तुति: अरूण तिवारी

ग्रामीण विकास : आम बजट की नजर में — 27
घनश्याम उपाध्याय

ग्रामीण श्रमिक शिक्षा - दशा एवं दिशा — 29
डॉ॰ अजय जोशी

ग्रामीण सड़कों की समस्या और समाधान — 30
रामजी प्रसाद सिंह

भारत में मत्स्य सम्पदा एवं संरक्षण — 33
डॉ॰ पुष्पेश पाण्डे

ग्रामीण एवं लघु उद्योग और नियोजन काल — 35
डा॰सी॰एम॰ चौधरी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कितना व्यवहारिक — 37
कृष्ण स्वरूप शर्मा

घास ही काटें - अंगुलियां न काटें — 39
इसरार हसन कादरी

आर्थिक समीक्षा 91-92 एक सुदृढ़ भविष्य की तलाश — 41
राजेश कुमार गौतम

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो ।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें । दूरभाष : 384888

नए बजट की प्राथमिकताएं

□ डा० मुन्नीलाल विश्वकर्मा □

संसद के बजट अधिवेशन के प्रथम दिन (24 फरवरी 1992) राष्ट्रपति श्री आर०वेंकटरामन ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि "अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहेगी ... भविष्य में हमारी सुरक्षा और प्रगति का आधार काफी हद तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है ..... आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी, पशुपालन, पशुधन विकास और कृषि प्रसंस्करण के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि के लिए उपयुक्त वातारण तैयार किया जा सके।"

वित्तमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने 29 फरवरी को लोक सभा में जो बजट पेश किया उससे स्पष्ट है कि सरकार ने इसी दिशा में ठोस कदम उठाये हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने हेतु जो प्रावधान हों उनका गरीब जनता पर बोझ न पड़े ऐसा करके सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ वस्तुओं पर कर, शुल्क बढ़ा दिया गया है, जो कि धन जुटाने हेतु आवश्यक था। लेकिन आम खपत की वस्तुओं की दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। चाय, चीनी, काफी, वनस्पति, मिट्टी का तेल, माचिस, ईंटें आदि पर कर राहत दी गयी है। वित्तमंत्री ने जहाँ पर व्यापक राहत और हल्की-फुल्की चोटों का जनहितकारी बजट पेश करके एक ओर विपक्ष को चौंका दिया, वहीं दुविधाओं एवं आशंकाओं में डूबे देशवासियों विशेषकर ग्रामीणों को एक सुखद आश्चर्य से भर दिया है। उन्होंने जहाँ समाज के गरीब तबके को कोई विशेष रियायत नहीं दी है, वहीं कोई नया कर भार भी नहीं डाला है।

वित्तमंत्री ने अपने बजट में, "दूसरी औद्योगिक एवं दूसरी कृषि क्रान्ति" के नाम से ग्रामीणों के लिए निम्न सुविधाएं मुहैया करायी हैं —

- ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए नई योजना
- छोटे किसानों के लिए कृषि व्यापारिक संघ का गठन
- खाद्य सबसिडी पर 2500 करोड़ रुपये
- उर्वरक सबसिडी पर 5000 करोड़ रुपये
- खेती हेतु तिलहनों और अन्य बीजों पर उपज के लिए सीमा शुल्क समाप्त
- विभिन्न श्रेणी के कीटनाशकों पर शुल्क दरों में कमी
- आयातित बीज, पौध रोपण सामग्रियों तथा दालों के बीज, आयात शुल्क से मुक्त
- धान प्रतिरोधकों पर लगने वाला आयात शुल्क 80 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत

ग्रामीण विकास

बजट में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 2610 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों को उस बोझ से बचाने हेतु संरक्षण देने सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारी के बारे में सरकार पूरी तरह से जागरूक है, जो कि अन्यथा बहुत आर्थिक स्थिरीकरण और आर्थिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन वर्गों पर पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र

कृषि एक ऐसा मूलाधार है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियों पर हमेशा प्राथमिकतापूर्ण कर प्रणाली लागू की गई है। इस सिद्धान्त के अनुरूप 15 निर्दिष्ट कीटनाशकों पर शुल्क दर 110 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत, दो कीटनाशकों मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क 920 प्रतिशत से कम कर 65 प्रतिशत, तीन विनिर्दिष्ट कीटनाशक मध्यवर्तियों को उत्पादन शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। इससे लगभग 8 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि होगी।

सफल कृषि विकास हेतु नए बीजों जो कि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, का प्रयोग करने की आवश्यकता है तथा आयातीत बीज और पौध-रोपण सामग्रियां इस प्रक्रिया में सहायक बन सकती हैं। इसी के चलते तिलहनों, सब्जियों फूलों-फलों के पौधों की कलम अथवा पौध तथा दालों के बीज को आयात शुल्क से पूरी छूट दी गयी है। चावल प्रतिरोपकों पर आयात शुल्क 80 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

उर्वरक सबसिडी

निःसन्देह कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक एक अनिवार्य अंग तथा कृषि सम्बन्धी विकास सामान्य रूप से न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भी अति आवश्यक है। वित्तमन्त्री ने संसदीय समिति की रिपोर्ट आने तक उर्वरक आर्थिक सहायता 5000 करोड़ रुपये कर दी है। छोटे किसानों को संशोधन पूर्व मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करने की योजना के लिए संशोधित अनुमानों में 405 करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था सम्मिलित है।

खाद्य सबसिडी

खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता हमारी जनसंख्या के निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हमारी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा हमारी सामाजिक नीति का एक मूल तत्व है। बजट प्रावधान में खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए भी 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गयी है। यह आर्थिक सहायता 3 जुलाई 1991 को समाप्त कर दी गयी थी।

कृषि व्यापारिक संघ

सरकार ने विभिन्न प्रकार के कृषि व्यवसाय को समर्थन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार पैदा करने हेतु नवीन विचारों को समर्थन देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। इसी क्रम में सरकार का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और आई.डी.बी.आई. द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निगमित इकाई के रूप में एक लघु कृषक कृषि व्यापारिक संघ स्थापित करने का प्रावधान है। कृषि व्यापारिक संघ में अलग-अलग फसलों से सम्बन्धित विभिन्न विकास बोर्डों तथा कृषि और कृषि उद्योगों से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के निगमों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों, बैंकों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघ आर्थिक कार्यकुशलता, पर्यावरणात्मक दृढ़ता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर कार्य करेगा तथा वर्ष 1992-93 में देश के विभिन्न भागों में मिले-जुले उद्यमों और राज्य सरकारों तथा कृषक परिवारों की सक्रिय सहभागिता के आधार पर, 12 प्रमुख परियोजनाएं आयोजित करेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने इस वर्ष पहली जनवरी को देश के लगभग 1700 सर्वाधिक पिछड़े, विकास खण्डों में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, जिसका प्रयोग मुद्रास्फीति का सामना करने और विशेष रूप से जनसंख्या के निर्धन वर्गों को ऊंची कीमतों और अभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके लिए वित्तमन्त्री ने बजट में 250 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान किया है। सरकार इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएं निर्धनों और कम सुविधा प्राप्त लोगों तक पर्याप्त मात्रा में वहनीय कीमत पर पहुंचे।

परिवार कल्याण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए योजना व्यय 749 से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि जनसंख्या सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है तथा समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के बारे में सरकार की वचन बद्धता को पूरी तरह परिलक्षित करता है।

देश में 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। वर्ष 1992-93 के बजट में इनके लिए 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सामान्य स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जो ग्रामीण उपकेन्द्र चल रहे हैं, उनको जारी रखने के लिए आम बजट में 185 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार सृजन

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के दबाव को कम करने हेतु जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के समर्थन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की गयी है। इससे निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक बेरोजगारी दूर करने में सफलता मिलेगी।

निःसन्देह कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है और आर्थिक विकास की कोई नीति हमारे देश में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कृषि में रोजगार और उत्पादन की तीव्र गति सुनिश्चित न हो, नये बजट से पूर्ण विश्वास है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मुहैया होगा तथा हमारी नई आर्थिक नीति पल्लवित एवं पुष्पित होगी।

सी 18/54, माताकुण्ड
वाराणसी-10

1992-93 का बजट और ग्रामीण विकास

□राजेन्द्र उपाध्याय□

उन्नीस फरवरी 1992 को संसद में प्रस्तुत वर्ष 1992-93 का आम बजट कई मामलों में असाधारण कहा जा सकता है। पहला तो, यह ऐसे दौर का बजट है जब सारी दुनिया भारी परिवर्तनों से गुजर रही है। पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की घटनाओं का बजट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर क्या पड़ा है, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि बाजार अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल कायम करके चलने की धारणा ने बजट को काफी हद तक प्रभावित किया है। इस वर्ष के बजट पर जिस बात का सबसे ज्यादा असर पड़ा है वह है देश के सामने मौजूद गंभीर आर्थिक संकट। पिछले कुछ वर्षों से भारत सहित दुनिया के लगभग सभी विकासशील देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। खाड़ी युद्ध ने हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि देश के विदेशी मुद्रा भण्डारों में पन्द्रह दिनों की आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने तक को विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनों और अन्य साज-सामान के आयात पर बुरा असर पड़ा, जिससे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आयी। विदेशी मुद्रा के संकट की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी देनदारियों को चुकता करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। यही नहीं देश के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट को देखकर अनिवासी भारतीयों ने बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। इस कठिन स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए। इनका ही यह नतीजा है कि न सिर्फ गिरवी रखे सोने को छुड़ा लिया गया है, बल्कि विदेशी मुद्रा के भण्डार 11 खरब रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं। विश्व में भारत की साख कायम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने हमें मदद देना फिर शुरू कर दिया है।

लेकिन इन सफलताओं के बावजूद अभी निश्चिंत होकर बैठने का समय नहीं आया है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे स्थिति से निपटने के तात्कालिक उपाय हैं। हमारा उद्देश्य देश को कुछ समय के लिए संकट से निकालने तक सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें देश प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर होता रहे और समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को भी विकास का फायदा मिल सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि संसाधनों की कमी और संकट की इस घड़ी में हरेक व्यक्ति आर्थिक बोझ से विचलित हुए बिना धैर्य बनाए रखे। इस वर्ष के आम बजट में देश को आर्थिक संकट से उबारने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। सरकार ने वित्तीय तथा बजट घाटा कम करने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे हैं। सरकारी खर्चों में भारी कटौती की गयी है ताकि घाटे को कम से कम किया जा सके। पिछले दस वर्षों में पहली बार सरकार बजट घाटे को कम करने में सफल रही है। चालू वर्ष के संशोधित बजट अनुमान में बताए गए 70 अरब 32 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 1992-93 में बजट घाटा 53 अरब 89 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह राजकोषीय घाटा 1991-92 के संशोधित अनुमान 3 खरब 79 अरब 20 करोड़ रुपये की तुलना में 33 अरब 84 करोड़ रुपये कम यानी 3 खरब 44 अरब 8 करोड़ रहने का अनुमान है। सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत के बराबर रखने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 1992-93 के लिए योजना खर्च 4 खरब 84 अरब 7 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि पिछले वर्ष यह 4 खरब 29 अरब 69 करोड़ रुपये था। इस तरह मुद्रास्फीति की वर्तमान 12 प्रतिशत की दर को देखते हुए योजना खर्च में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है।

वर्ष 1992-93 के बजट में घाटा कम-से कम करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। सरकारी खर्चों और गैर-योजना व्यय में भारी कमी की गयी है। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आश्वासन दिया है कि उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर आर्थिक संसाधनों की कमी का बुरा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा लेकिन योजना व्यय में कटौती से यह आश्वासन पूरा हो पायेगा इसमें कुछ संदेह है। हाल ही में संसद में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने भी यह स्वीकार किया कि संसाधनों की कमी से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के खर्च में कुछ-न-कुछ कटौती करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष काफी कठिनाई भरा वर्ष रहा है लेकिन सरकार कटौतियां को कम-से-कम करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को पर्याप्त संसाधनों के अभाव में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों

में कटौती पर मजबूर होना पड़ा है।

ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की वचन बद्धता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति श्री आर.वेंकटरामन ने संसद के बजट अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार कमजोर वर्गों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के जरिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने पीने के पानी की समस्या वाले गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी टेक्नोलॉजी मिशन को 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन' नाम देने की भी घोषणा की थी। इसी तरह कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने की इंदिरा आवास योजना में सुधार की बात भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की थी।

वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावों पर ध्यान पूर्वक विचार करने से यह बात साफ हो जाती है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए सरकार की वचनबद्धता में कोई कमी नहीं आयी है। ये कार्यक्रम अब भी सरकार की प्राथमिकता की सूची में आगे हैं। हालांकि सरसरी तौर पर बजट पर नजर डालने से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आंवटित राशि में बहुत कम वृद्धि हुई है लेकिन यह इन कार्यक्रमों के प्रति सरकार की उपेक्षा की वजह से नहीं हुआ है। इसका कारण संसाधनों की कमी है जिसका असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर समान रुप से पड़ा है।

अगले वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 31 अरब रुपये की व्यवस्था की गयी थी जबकि 1991-92 के संशोधित बजट के अनुमानों के अनुसार इस कार्य पर 30 अरब 8 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस तरह बजट में 92 करोड़ रुपये की साधारण वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बजट में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है।

पेय जल की आपूर्ति

गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था और सफाई के लिए बजट में 4 अरब 60 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस समय देश में पीने के पानी की समस्या वाले गांवों की संख्या 1,61,722 हैं। इनमें से 1,58,898 को इस वर्ष मार्च के अंत तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। शेष 2824 गांवों को 1992-93 में पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा जलापूर्ति की योजनाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत चलाई जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों की योजनाओं में मदद करती है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत गांवों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है।

विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम शामिल हैं। ट्राइसेम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भूमि और जल संसाधनों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके तहत फालतू जमीन पर वन लगाने तथा चरागाह विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य रेगिस्तान के फैलाव को रोकना है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा और ईंधन की जरूरत पूरा करने के लिए समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बजट में इन सब कार्यक्रमों के लिए करीब 5 अरब रुपये निर्धारित किये गये हैं।

ग्रामीण रोजगार

गांवों की खुशहाली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजनायें शुरू कि गई हैं। इसका उद्देश्य गांवों के बेरोजगार लोगों के लिए आमदनी की स्थायी व्यवस्था करना है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें केन्द्र की भागीदारी 80 प्रतिशत और राज्यों की 20 प्रतिशत होती है। जवाहर रोजगार योजना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के लिए इसमें 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। 1992-93 के बजट में जवाहर रोजगार योजना के लिए 20 अरब 46 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके जरिए करीब 70 करोड़ 70 लाख कार्यदिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से जवाहर रोजगार योजना के लिए 5 अरब रुपये और देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों को संरक्षण देने की अपनी विशेष जिम्मेदारी के बारे में सरकार पूरी तरह जागरूक है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जो

असर पड़ेगा उसके लिए नवीकरण निधि के जरिए यह धनराशि दी जा रही है।

ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है भूमि सुधार। बजट में इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे जमीन संबंधी अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण तथा अन्य कार्य किये जाएंगे।

ग्रामीण आवास

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए एक नयी आवास योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव किया। इसके अंतर्गत इस तरह के लोगों को मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन गरीबी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नये मकानों के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपये और मकानों की मरम्मत के लिए चार हजार रुपये दिये जाएंगे। इस योजना का खर्च केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर वहन करेंगी। इसका फायदा उठाने के इच्छुक व्यक्ति को मकान की लागत का दस प्रतिशत खुद जुटाना होगा। 40 प्रतिशत राशि केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से अनुदान के रूप में मिलेगी तथा शेष पचास प्रतिशत बैंकों से कर्ज पर मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं की दशा में सुधार लाना है। इसके लिए उनकी आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ साक्षरता, स्वास्थ्य, बच्चों की देख रेख आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। बजट में इस योजना के लिए करीब 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश के 1700 चुने हुए विकास खंडों में नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार का भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण, जनजातीय, पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों में उचित दर की दुकानें खोली जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दुकानों से पिछड़े हुए इलाकों के साधनहीन लोगों को महंगाई की मार से बचाने में काफी मदद मिलेगी। बजट में नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ढाई अरब रुपये की अलग से व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा बजट में खाद्यान्नों पर 25 अरब रुपये की सबसिडी दी गयी है। इसका फायदा भी काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा।

उर्वरक सबसिडी

वित्तमंत्री ने 1992-93 के बजट में उर्वरकों पर 50 अरब रुपये की सबसिडी की व्यवस्था की है। इसका फायदा भी ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा।

लघु कृषक और कृषि व्यवसाय संघ

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ाकर लोगों में खुशहाली लाने के लिए इस बार केन्द्रीय बजट में एक नयी घोषणा की गयी है। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंकों के सहयोग से अब खाद्यान्न निगम बनाया जाएगा जिसका नाम लघु कृषि व्यवसाय संघ होगा। इसमें विभिन्न फसलों से संबंधित विकास बोर्डों, कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों से संबद्ध सरकारी निगमों, बैंकों, निजी कम्पनियों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह संगठन 1992-93 में देश के विभिन्न भागों में 12 प्रमुख परियोजनाएं शुरू करेगा जिनमें किसानों, उद्योगों और राज्य सरकारों को भी भागीदार बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपने देश में कृषि के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू करना है। हमें कृषि से न केवल उत्पादन लेना है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर भी बढ़ाने हैं।

डी-1/65
लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ग्रामीण बेरोजगारों का पलायन—एक चुनौती

□ कृष्ण कुमार सिंह □

गांव हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मेरूदंड हैं। दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में ग्रामवासी ही निर्धन, गरीब, बेरोजगार, शोषित एवं उपेक्षित हैं। यद्यपि ग्रामीणों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाये गये, लेकिन इससे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया कि तीव्र गति से औद्योगिक विकास के बावजूद अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या को संगठित औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः गहन कृषि, ग्रामीण उद्योगों के विस्तारीकरण एवं अन्य ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं एवं पूँजी निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के माध्यम से ही अतिरिक्त रोजगार का निर्माण करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अपने आप में गरीबी एवं पिछड़ेपन का एक मूल कारण है। इसकी गुरूता प्रदूषण का रूप धारण करती जा रही है। फलतः ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है और विकास के आयाम घटते जा रहे हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'ग्रामीण स्वराज्य' का नारा दिया था। वे गांव को अपने आप में पूर्ण, आत्मनिर्भर और स्वशासित इकाई के रूप में देखना चाहते थे। उनका विचार था कि गांव की सुरक्षा, विकास और नियंत्रण किसी बाहरी अधिकारी या अभिकरण द्वारा नहीं अपितु स्वयं ग्रामीणों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके विपरीत आज ग्रामीण बेरोजगारी की मानसिकता स्वावलम्बन न होकर नौकरी प्राप्त कर बड़ा बाबू बनने की हो गयी है। जबकि ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कृषि उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। ये नौजवान ही गांव की खुशहाली को लौटा सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो तरह के बेरोजगार हैं—अशिक्षित तथा शिक्षित बेरोजगार —अशिक्षित बेरोजगारों में कृषक मजदूर, कारीगर तथा शिल्पकार को शामिल किया जाता है तो शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में छुपे हुए अर्द्धबेरोजगारों और पूर्ण बेरोजगारों को।

अशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों का पलायन

ग्रामीण बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन का एक प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव तथा दिशा-निर्देशों की कमी रहा है। शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता तथा गरीबी के कारण ये परिवार नियोजन के कार्यक्रम को नहीं अपना पाते जिससे इनकी जनसंख्या अबाध गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी के कारण ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। फलतः इन्हें लाभकारी रोजगार नहीं मिल पाता। रोजगार के अभाव के कारण आमदनी नहीं होती। पर्याप्त आय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दो जून पेट भर भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। परिणामतः इनके बच्चे संतुलित आहार के अभाव में कमजोर होते हैं। इन्हें जवानी ही नहीं मिल पाती, क्योंकि किशोरावस्था से ही काम के बोझ से दब जाते हैं और गरीब के गरीब बने रहते हैं। यानी यह चक्र इनके जीवन में चलता रहता है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज भी भूमि का एक बड़ा भाग कुछ ही लोगों के हाथों में है। वे अपने खेतों में स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि श्रम को कम मूल्य पर खरीद कर कृषि कार्य कराते हैं। ये भू-स्वामी कृषि मजदूरों का तरह-तरह से शोषण करते हैं। वे श्रम का प्रतिफल ज्यादातर अनाज के रूप में ही देना चाहते हैं। जबकि शहरों में उन्हें नकद राशि मिल जाती है। भू-स्वामियों के शोषण ने उन्हें शहरों के कल-कारखानों, ईंटों के भट्टे तथा ऊंची-ऊंची इमारतों के निर्माण में काम तलाशने को मजबूर कर दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम बहुत प्रभावी नहीं हो पाया है। परिणामतः गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन बड़े पैमाने पर होने लगा है। जहां 1951 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 12.62 था, वह 1981 में बढ़कर 23.73 प्रतिशत हो गया है। यदि उन्हें गांव में ही रहकर मत्स्य पालन, शूकर पालन, मुर्गी पालन तथा अन्य लघु उद्योग जैसे टोकरी बुनना चटाई बुनना, मिट्टी के बर्तन, सूत कातना, लोहे के कृषि औजार, चमड़े का समान, ईख से गुड़, खांडसारी आदि बनाने की सलाह दी जाय तो बड़ी हद तक गांव से पलायन कम होगा और लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी।

शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों का पलायन

ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार आज स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर शहरों के निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों में 500 रु० से भी कम मासिक वेतन पर कार्यरत हैं जबकि ग्रामीण मजदूर 25 रुपये प्रतिदिन से कम पर मजदूरी करना ही नहीं चाहता। आज के शिक्षित बेरोजगार युवकों का भी शोषण तरह-तरह से किया जाता है। उनके

परिश्रम का, उनकी प्रतिभा का उचित पारिश्रमिक न देकर प्राप्त डिग्रियों का मजाक उड़ाया जाता है। कुछ शिक्षा माफिया ने इन शिक्षित बेरोजगारों को बन्धक भी बना रखा है।

प्राय: देखा जाता है कि जब ग्रामीण युवक थोड़ी भी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो गांवों में रहना नहीं चाहता। शहरों की सुख-सुविधाएं उसे आकर्षित करने लगती हैं। ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार नौकरी की तलाश में शहरों, नगरों तथा महानगरों में भटकते हैं। जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग-धन्धों के अभाव के कारण कृषि कार्य में ही लग जाते हैं, लेकिन कुदाल को हाथ लगाने में अपना अपमान समझते हैं। यह भी सत्य है कि वह हाथ जो 25-30 वर्ष की उम्र तक कापी, किताब और कलम से खेला, फिर एकाएक चिलचिलाती धूप में कुदाल से कैसे खेल सकता है। अत: कृषि कार्य में बोझ बनकर सवार होना उनके लिए स्वाभाविक ही है। कृषि कार्य में वे लग तो जाते हैं, लेकिन इसमें इनकी उपयोगिता नगण्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं

ग्रामीण समाज का एक छोटा वर्ग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है जिसकी आय पर्याप्त है, वह अच्छी बचत भी कर लेता है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में बसे होने के कारण विनियोग के अवसर नहीं मिल पाते। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, यातायात, पेय जल, अच्छे-अच्छे विद्यालय, महाविद्यालय, संचार के साधन एवं मनोरंजन के साधन जैसी आधारभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। फलत: शिक्षित बेरोजगारों एवं सम्पन्न वर्ग के लोगों को जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गांवों में रहकर वे अपने भविष्य को अन्धकारमय महसूस करते हैं। गांवों में इन आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण शिक्षित बेरोजगारों का सपना, मात्र सपना ही बन कर रह जाता है जबकि शहरों में उनको उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनाएं दिखती हैं। अत: ग्रामीणों में निराशा का संचार होना स्वाभाविक हो जाता है और शहरी आकर्षण उन्हें बरबस आकर्षित किये बिना नहीं रहती। ऐसी स्थिति में पलायन की प्रक्रिया सतत क्रियाशील बनी रहता है।

पलायन का प्रभाव

पिछले 20 वर्षों में शहरों, नगरों की संख्या तथा उसकी आबादी में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 में 2,351 शहर थे जो 1981 में बढ़कर 3,245 हो गये। महानगरों की संख्या 9 से बढ़कर 12 तक पहुँच गयी। इस वृद्धि का एक मात्र कारण गांवों का शहरों की ओर पलायन ही है।

यदि देश की परिस्थितियां अनुकूल हों तो शहरीकरण बहुत हद तक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन हमारे यहां गांवों से शहरों की ओर पलायन का परिणाम बहुत भयावह दृष्टिगत हो रहा है। पलायन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था विनाश के कगार पर पहुँच चुकी है। कृषि मजदूरों के पलायन से कृषि उत्पाद में गिरावट आयी है। उत्पाद की लागत में वृद्धि हुई है। कृषि के प्रति रुचि में ह्रास हुआ है। जोतों का उचित विदोहन नहीं हो पाता।

ग्रामीण बेरोजगार अपने सुनहरे सपनों को संजोए शहरों की ओर पलायन तो करते हैं लेकिन उन्हें वहां कुण्ठा, तनाव, बीमारी, कुपोषण से अधिक कुछ नहीं मिलता। वहां उन्हें गन्दी औद्योगिक बस्तियों, फुट-पाथ पर किसी तरह एक समय खाकर जीवन बसर करना पड़ता है। अथक परिश्रम यानी आठ घंटा के जगह पर बारह घंटा कार्य करने के बावजूद औद्योगिक घराने इनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाकर नारकीय जीवन जीने को बाध्य कर देते हैं। यानी इनकी माली हालात में सुधार के बजाय जीवन-स्तर और नीचे की ओर गिर जाता है।

पलायन पर नियंत्रण के उपाय

महात्मा गांधी ने कहा था "भारत का मोक्ष लघु एवं कुटीर उद्योगों में निहित है।" यदि हम वास्तव में ग्रामीण विकास करना चाहते हैं, ग्रामीण बेरोजगारों के चुनौती पूर्ण पलायन को रोकना चाहते हैं तो गांधीयन मॉडल पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना होगा। साथ-ही तमाम आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, परिवहन, संचार, शुद्ध पानी, विद्यालय, महाविद्यालय तथा मनोरंजन के साधन आदि जो शहरों में उपलब्ध हैं, सुदूर गांवों में उपलब्ध कराना होगा। कृषि पर आधारित श्रम प्रधान उद्योगों का विस्तार ग्राम स्तर पर करना होगा तथा उन पलायित बेरोजगारों को प्रोत्साहित कर इन उद्योगों में प्राथमिकता देनी होगी। तभी गांव का आर्थिक विकास होगा, लोगों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी तथा पलायन पर अंकुश लग पायेगा।

ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक एवं सामाजिक असमानता भी है। अमीरों और गरीबों के बीच की गहरी खाई और गहरी होती जा रही है। एक के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि एवं पूँजी है तो दूसरे के पास सिर्फ दो कमजोर हाथ। भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नतम 10 प्रतिशत ग्रामीणों का कुल ग्रामीण सम्पत्ति में केवल 0.1 प्रतिशत

हिस्सा है जबकि उच्चतम 10 प्रतिशत ग्रामीण कुल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत से अधिक के स्वामी हैं । इतना ही नहीं, सामाजिक रुप से भी ये उपेक्षित हैं । अत: पलायन को रोकने के लिए इस आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करना होगा, तभी ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित हो पायेगा तथा देश खुशहाल दिखेगा ।

ग्रामीण बेरोजगारों की उस मानसिक प्रवृत्ति को बदलना होगा जो शहर में बाबू बनने की हो गयी है । उन्हें गाँधी के स्वावलम्बन के मंत्र को पिलाना होगा तथा उनके दिल और दिमाग को गांवों के विकास के प्रति जागरूक करना होगा । यदि उनके स्वस्थ मस्तिष्क को गांव के विकास की मुख्य धारा से जोड़कर मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, शूकर पालन तथा वैज्ञानिक ढंग की खेती आदि करने के लिए वित्त उपलब्ध कराकर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाय तो निश्चित ही पलायन रुकेगा ।

शिक्षा नीति में भी बदलाव लाने की जरूरत है । अतीत में हमारी शिक्षा नीति गौरान्वित रही लेकिन वर्तमान इसका एकदम दुबला होता जा रहा है । चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है अत: हमारी शिक्षा नीति भी कृषि पर आधारित होनी चाहिए । कृषि को रोजगारोन्मुख व्यवसाय के रूप में विकसित करना होगा । ग्रामीण बेरोजगारों को शिक्षा प्राप्ति के बाद शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा तथा गाँव में ही इन्हें रोजगार प्राप्त हो जायेगा । लेकिन आज कृषकों की स्थिति यह है कि इनकी कृषि पेट भरने के उपाय मात्र है । यदि कहा जाय कि भारतीय कृषक कमाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए कमाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अत: भारतीय कृषकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना होगा । आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रशिक्षित करना होगा तथा उनके उत्पाद की बिक्री के लिए एक सुसंगठित बाजार की व्यवस्था करनी होगी ।

गाँवों में फैली गन्दी राजनीति ने भी ग्रामीण परिवेश को विषाक्त बना दिया है । सहयोग एवं भाईचारे की भावना समाप्त होती जा रही है । आर्थिक मूल्य प्रधान हो गये हैं । आज के लोग किसी को प्रगति को देखकर उससे प्रतियोगिता करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनको नीचे गिराने में अपने समय को बर्बाद करते हैं । जैसे–यदि कोई ग्रामीण बेरोजगार मत्स्य पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त करता है तो कुछ लोग उसके तालाब में विष घोलकर मछलियों को मार डालते हैं । इस प्रकार ग्रामीण जीवन असुरक्षित हो गया है अत: गांव के आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ वातावरण का पुन:निर्माण करना होगा । गांव के लोगों को शिक्षित कर उनके चरित्र को उदात्त बनाना होगा तथा झगड़े को सौहाद्रपूर्ण वातावरण में पंचायत के माध्यम से सुलझाना होगा । ग्रामीण बेरोजगारी को उर्जा के रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा, अन्यथा अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती ही जायेगी ।

इस प्रकार ये व्यवस्थायें ग्रामीण बेरोजगारों के पलायन को रोक सकती हैं । उनके सपनों को सकार बना सकती हैं । सिर्फ जरूरत है इन्हें उत्साहित एवं प्रोत्साहित करने की। सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस रचनात्मक कार्य में योगदान देना चाहिए।

ग्राम- पो०- पसौर
जिला : भोजपुर (आरा) (बिहार)
पिन : 802223

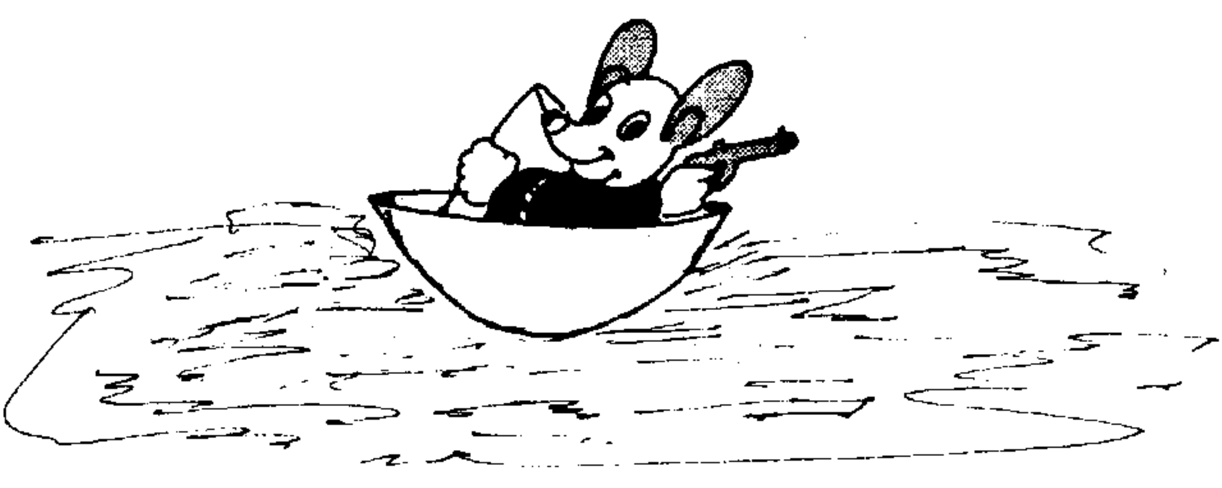

आर्थिक समीक्षा

□ अरिहन जैन □

वर्ष 1991-92 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती भरा रहा है। विगत कुछ वर्षों के दौरान बने हालात और तात्कालिक परिस्थितियों के कारण 1991-92 संकट का वर्ष बन गया था। खराब माली हालत में श्री राव सरकार ने शासन संभाला, लिहाजा उनके सामने आर्थिक चुनौतियों का पहाड़ था। श्री राव सरकार ने आते ही इन चुनौतियों से निपटना शुरू किया। आर्थिक सुधार के विभिन्न कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। जून 1991 में सत्ता संभालने के बाद एक जुलाई से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया अभी जारी है। यह सच है कि नौ महीने में सरकार ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में करने की काफी हद तक कोशिश की है।

वर्ष 1991-92 की आर्थिक समीक्षा से हालांकि देश की अर्थव्यवस्था की धुंधली तस्वीर प्रकट होती है। इसके बावजूद कई मोर्चों पर सरकार ने फतेह किया है। इनमें सबसे विकट हालत विदेशी मुद्रा भंडार की थी जो पिछले कुछ सालों में संकट की स्थिति में पहुंच गया था। खाड़ी युद्ध ने कंगाली के इस आटे को और गीला ही किया लेकिन वर्ष 1991-92 में इस भंडार में आशातीत सुधार हुआ है। सरकार के उठाए गए कदमों से यह भंडार अब चार अरब चालीस करोड़ डालर तक जा पहुंचा है। भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होने से सरकार के राजस्व और वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। यही दबाव अंततः मुद्रास्फीति को गति देता है।

समीक्षा में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन की समस्या 1990-91 में खड़ी हुई। जून 1991 तक स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। इस कारण सरकार को स्वर्ण भंडार का सहारा भी लेना पड़ा। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण 1990-91 में आयातों पर असर पड़ा जिससे औद्योगिक उत्पादन घटा और निर्यात में कमी आई। मुद्रास्फीति भी 1990-91 में तेजी से बढ़नी शुरू हो गई और अगस्त 1991 में 16.7 फीसदी तक पहुंच गई।

लेकिन मानसून लगातार अच्छा रहने से कृषि ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समीक्षा में कहा गया है 1991-92 में औद्योगिक उत्पादन गिरा पर कृषि विकास स्थिर रहा। खाद्यान्न उत्पादन 1990-91 में 17.6 करोड़ टन हुआ जो कि 1989-90 से तीन फीसदी ज्यादा है। इसी तरह चावल और गेहूं का उत्पादन भी क्रमशः 7.46 करोड़ टन और 5.45 करोड़ टन के करीब रहा है।

इस साल मानसून ने थोड़ा मिजाज बदला है। कुछ क्षेत्रों में मानसून देर से आने से कृषि उत्पादन पर इसका मामूली असर पड़ सकता है। देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिम हिस्से में मानसून के गर्मी दिखाने से 1991-92 में यह लक्ष्य (18.2 करोड़ टन) में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन खरीफ की कमी की भरपाई रबी की फसल से हो जाने की उम्मीद है।

भारत कृषि प्रधान देश है। देश की तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है। उसकी जीविका कृषि ही है। इस कारण सरकार ने कृषि को सदैव ही प्रमुख महत्व दिया है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की प्रगति के लिए उठाए गए कदमों से कृषि की मानसून पर निर्भरता कम तो हुई है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। कृषि की उत्पादकता और कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत बीज-खाद के साथ-साथ सिंचाई का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि कुल कृषि क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा ही कृत्रिम सिंचाई से सरसब्ज हुआ है। और इसी बूते देश ने कृषि उत्पादन अच्छा खासा सुधार लिया है। वर्ष 1990-91 तक लगभग 8.28 करोड़ हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई सुविधायें पहुंच गई हैं। खेती में खाद की खपत भी लगातार बढ़ रही है। 1990-91 में यह लगभग 126 लाख टन थी जो समीक्षा वर्ष 1990-91 में यह लगभग 136 लाख टन तक पहुंच गई है।

किसानों को सस्ता खाद मुहैया कराने के लिए सरकार खाद पर पर्याप्त अनुदान देती रही है। छोटे और सीमांत किसानों को उसने इस साल भी लगभग 30 प्रतिशत अनुदान मुहैया कराया है और खाद के निर्गम मूल्य में वृद्धि से बचाया है। इसके अलावा 1990-91 में दूध, अंडा और मछली उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। दलहन उत्पादन को वरीयता देते हुए उसे तिलहन टेक्नोलोजी मिशन में शामिल किया गया है। वर्ष 1991-92 में लगभग 1.55 करोड़ टन दलहन उत्पादन का हिसाब लगाया है। दलहन विकास कार्यक्रमों के जरिए देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया। गुजरात में मानसून के मिजाज बिगड़ने से खरीफ की तिलहन पैदावार पर असर पड़ा है। वर्ष 1991-92 के लिए हालांकि लक्ष्य 185 लाख टन था मगर तिलहन उत्पादन लक्ष्य से कम ही रहने की आशंका है।

74 लाख हेक्टेयर में पैदा होने वाली कपास भूमि का 30 प्रतिशत

हिस्सा सिंचित है। वर्ष 1991-92 के लिए 120 लाख गांठों का लक्ष्य है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कीड़ा लगने से कपास उत्पादन का लक्ष्य पूरा होने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में कपास पैदावार का क्षेत्र घटा है पर आंध्र प्रदेश में बढ़ा है लेकिन कपास के विपरीत जूट का उत्पादन इस बार भी 91 लाख गांठों का होने का अनुमान है।

आर्थिक समीक्षा की खास बात

संसद में 27 फरवरी को पेश की गई 1991-92 की आर्थिक समीक्षा की खास बातें इस प्रकार हैं :—

- **सकल घरेलू उत्पाद में केवल ढाई फीसदी ही बढ़ोत्तरी।**
- **विदेशी मुद्रा भंडार चार अरब 40 करोड़ अमेरिकी डालर तक पहुंचा।**
- **कृषि विकास स्थिर। इसमें कोइ खास फर्क नहीं।**
- **औद्योगिक उत्पादन गिरा।**
- **सबसिडी में कटौती पर जोर।**
- **सात बड़े क्षेत्रों-मुद्रा, व्यापार, उद्योग, वित्त, कृषि, गरीबी हटाने और मानव संसाधन नीतियों में सुधार पर जोर।**
- **मुद्रास्फीति का दबाव हटाने के लिए वित्तीय संतुलन में सुधार पर जोर।**
- **बढ़ते सार्वजनिक कर्जों पर रोक की जरूरत।**
- **आत्म निर्भरता का अर्थ अलग-थलग होना नहीं।**

मौसम अनुकूल होने और सरकार के उपायों से गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। इससे अधिक चीनी बनती है और भारत 5.6 लाख टन चीनी निर्यात करने में सक्षम रहा है। समीक्षा वर्ष में चीनी का उत्पादन 120 लाख टन होने का अनुमान है। सरकार ने गन्ने का दाम भी बढ़ाया।

समीक्षा में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र का प्रमुख घटक नकदी फसल है। इससे सरकार को निर्यात में मदद मिलती है। देश में लगभग 18 लाख टन मसाले पैदा होते हैं। इसमें से एक लाख 20 हजार टन मसाले निर्यात होते हैं और उनसे देश को 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चाय का उत्पादन पिछले साल 71.9 करोड़ किलो हुआ इस बार यह 73.5 करोड़ किलो होने का अनुमान है। इसमें से 21 करोड़ किलो चाय निर्यात करने के लिए रखी गई है। उम्मीद है इससे 1200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आमदनी होगी। कॉफी उत्पादन उतार-चढ़ाव वाला रहा। रबर का उत्पादन भी 3,65,000 टन होने का अनुमान है। उम्मीद है जल्दी ही हम रबर में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

समीक्षा में कहा गया है कि कृषि विकास स्थिर होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोत्तरी में तेजी से कमी हुई है। वर्ष 1991-92 में इसकी वृद्धि 2.5 प्रतिशत आंकी गई है। समीक्षा के अनुसार पिछले वर्षों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था पर 1990-91 के अंतिम महीनों में उत्पादन की वृद्धि काफी धीमी हो गई थी। वित्तीय वर्ष 1991-92 के शुरू के महीनों में भी इसका असर रहा।

लेकिन आधारभूत उत्पादन क्षेत्रों की उपलब्धियां दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर रहीं। कोयले, बिजली और पेट्रोल का उत्पादन बढ़ा। रेलवे का राजस्व 7.5 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.6 फीसदी थी। जुलाई 1991 में पेश बजट में सरकार ने वित्तीय असंतुलन दूर करने की कोशिश की। इस वित्तीय घाटे को वह 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद को 8.4 से घटाकर 6.5 प्रतिशत तक लाई। सरकार ने खर्च घटाने और राजस्व बढ़ाने के लिये कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के घटते हिस्से को बढ़ाने देशी उद्योगों और निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपाय किए।

सरकार ने न केवल खाद सबसिडी कम की बल्कि निर्यात के लिए दी जा रही नकद मुआवजा सहायता भी खत्म की। चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों से सरकारी शेयर का 20 फीसदी हिस्सा निकालकर साझा कोष में लगाने और कर दरों का समायोजन करने से सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है। समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी खर्च में संयम बरतना होगा तब ही वित्तीय सुधार संभव हो सकेंगे।

समीक्षा में कहा गया है कि आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। चार दशकों से देश की आर्थिक नीति का आधार आत्मनिर्भरता ही रहा है। सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में बहुमुखी विकास करने की कोशिश की है। सरकार उनके लिए अवसरों का विस्तार करने और क्षमता को और बढ़ाने की आशा रखती है।

टी-2 न्यू स्टाफ क्वाटर
श्री राम कालेज ऑफ कामर्स
मौरिस नगर, दिल्ली 7

गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों के विविध उपयोग

□ कु० दिव्या गुप्ता □

गैर-परम्परागत या प्राकृतिक ऊर्जा : स्रोत अनेक हैं। आवश्यकता मात्र उनके विकास एवं उपयोग की है। सबसे बड़ी बाधा इन स्रोतों के विकास से अधिक इनके भारी लागत की है किन्तु इस पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। परम्परागत ऊर्जा के साधन सीमित हैं एवं उनकी आवश्यकता पूर्ति से अधिक हैं। अतएव, इन्हें संरक्षित करते हुए, मितव्ययिता के साथ उपयोग करते हुए इन्हें बचाया जाना चाहिये। गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों का उपयोग हम जितना ही बढ़ायेंगे उतनी ही अधिक परम्परागत ऊर्जा के साधन अन्य उपयोग हेतु उपलब्ध होंगे।

सौर ऊर्जा

सौर ऊर्जा के उपयोग के अब तक अनेक साधन विकसित किये गये हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रूद्रपुर, नैनीताल सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु कलेक्टर्स का उत्पादन करता है जिनसे सौर ऊर्जा संचालित गर्म जल की निरंतर व्यवस्था बिना किसी नियमित व्यय के की जा सकती है। 'भेल' ने सोलर कलेक्टर्स से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सोलर कलेक्टर्स पर 1974 में अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया था।

'फ्लैट प्लेट क्लेक्टर्स' की विभिन्न आकृतियों की डिजाइन तथा विकास करके उनका विभिन्न स्थानों पर परीक्षण किया गया। क्लेक्टर्स के परीक्षण के लिए परीक्षण संयन्त्र ऐशरे के मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया तथा उसे भेल के हैदराबाद स्थित अनुसंधान एवं विकास इकाई में स्थापित किया गया। भेल के सोलर कलेक्टर्स पूर्णत: स्वदेशी प्रयासों का परिणाम है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। इसकी कुछ मुख्य विशिष्टताओं में से एक विशिष्टता कलेक्टर बॉक्स का विशेष आकृति वाले एक्सट्रूडिड एल्यूमीनियम का बना होता है। फ्लैट प्लेट क्लेक्टर्स की डिजाइन एवं विकास के साथ-साथ 'भेल' ने बहुत ही प्रभावशाली प्रणाली का विकास किया है जो सभी कलेक्टर्स में से एक समान बहाव सुनिश्चित करती है। स्तरण सहित टैंक की डिजाइन ऐसी होती है जो उष्मीय निष्कासन सुनिश्चित करता है। भेल ने पूर्णतया अलग प्रकार की ताप नियंत्रक पद्धति का विकास किया है जिसका नाम 'डिफरेंशियल टैम्परेचर कन्ट्रोल' है तथा जो सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए प्रयुक्त होती है।

अब तक भेल ने पूरे देश में 50,000 वर्ग मीटर से भी अधिक जल उष्मक संयन्त्र लगाये हैं जिनसे न केवल विकास एवं तकनीकी क्षेत्र में जानकारी मिली है बल्कि संयोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन की गतिविधियाँ तथा विभिन्न एजेंसियों जैसे, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग, राज्य नोडल एजेंसियों तथा अन्य संगठनों के साथ आपसी सम्पर्क स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

अपने क्षेत्र में विकास एवं अनुभव का उपयोग करते भेल ने रूद्रपुर (नैनीताल) में गैर पारम्परिक ऊर्जा प्रणाली के लिए एक निर्माण कार्य इकाई स्थापित की है। इस इकाई में निर्मित सोलर कलेक्टर्स के लगातार गुणता परीक्षण किये जाते हैं जिससे वे अधिक विश्वसनीय एवं कार्यकुशल बनें। इस प्लांट की प्रतिमाह 500 कलेक्टर्स बनाने की क्षमता है सदैव यह कोशिश की जाती है कि ये कलेक्टर्स भरोसे मन्द, कार्य करने के साथ-साथ कम कीमत पर उपलब्ध हों। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भेल सोलर कलेक्टर्स ने सामग्री और मजदूरी के बढ़ते मूल्य के बावजूद 60% दक्षता हासिल की है, जबकि इसकी कीमत 25% कम हुई है।

देश में इस समय निजी उद्योगों में भी सौर उष्मक संयन्त्र निर्मित हो रहे हैं किन्तु भेल की "सौर जल उष्मक प्रणाली ने भारत में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है जो कि गुणता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता एवं आर्थिक स्थिरता के प्रहरी माने जाते हैं।

भारतीय रेलवे यदि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर इनका उपयोग सुनिश्चित करे तो रेलवे विश्राम गृहों में गर्म जल हेतु बिजली के गीजर के बजाय सौर ऊर्जा संचालित गर्मजल संयन्त्र लगाये जा सकते हैं। इसी प्रकार स्टेशन पर सांकेतिक भुगतान कर जहां यात्रीगण बच्चों के दुध के लिए गर्मजल प्राप्त कर सकते हैं वहीं चाय काफी के स्टालों को गर्मजल कनेक्शन दिये जा सकते हैं। ऐसे उपयोग हेतु साधारण लोहे की टंकी के बजाय स्टेनलेस की टंकियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। फलस्वरूप जहां एक और बिजली, कोयला, गैस एवं किरोसीन की भारी मात्रा में बचत होगी गर्मजल का उपयोग रसोई, बर्तन तथा कपड़े साफ करने में भी किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर डिटरजेन्ट पाउडर आदि पर होने वाला व्यय भी बचेगा।

रेलवे स्टेशनों पर सुलभ शौचालय की जैविक ऊर्जा का उपयोग

पम्प तथा मोटर चलाने एवं बिजली के बल्ब जलाने हेतु किया जा सकता है, देहाती रेलवे स्टेशनों पर गोबर गैस संयन्त्र की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।

लोक निर्माण विभाग के विश्रांति गृहों तथा विश्राम गृहों में सोलर गर्म जल संयन्त्रों की व्यवस्था अनिवार्य करते हुए बिजली से चलने वाले गीजरों की व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये। इसी प्रकार होटलों में गर्मजल हेतु सौर गर्मजल संयन्त्र लगाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

शासकीय तथा अशासकीय छात्रावासों एवं आश्रमों में भी सौर गर्मजल संयन्त्र लगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये ताकि उसका उपयोग नहाने, रसोई, कपड़े, तथा फर्श साफ करने आदि में हो सके।

मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के परियोजना प्रशासक श्री के०एन०गुप्ता ने सौर ऊर्जा से संचालित गर्मजल संयन्त्रों हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० रूद्रपुर, (नैनीताल) से सर्वेक्षण करवाकर गर्मजल संयंत्र लगवायें हैं जो अत्यन्त सफलता पूर्वक कार्य कर रहें हैं। आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग विभाग के छात्रावासों में सामान्य जल की समस्या के निदान हेतु लगाने वाली लागत से भी कम लागत में ठंडे तथा गर्म जल दोनों की व्यवस्था हो गई। उनके इस नवीन्मेशी कार्य में म०प्र० ऊर्जा विकास निगम ने प्रति संयन्त्र रु 53,900/- का अनुदान देकर सहयोग किया। यही नहीं इन पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु ऊर्जा निगम ने क्षेत्रीय अपर आयुक्त, आदिम जाति अनु० जाति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जबलपुर के अनुरोध पर 14 गर्मजल संयन्त्रों का निरीक्षण शुल्क, जो लागत का 157% लगता है, से भी इन्हें मुक्त कर दिया हैं। म०प्र० शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग छात्रावास तथा आश्रय संचालित करता है जिसमें से लगभग 2000 छात्रावासी एवं आश्रमों के अपने स्वयं के भवन हैं। यदि इनमें सौर ऊर्जा संचालित गर्मजल संयन्त्र लगा दिये जायें तो परम्परागत ऊर्जा की भारी बचत होगी। इसी प्रकार गोबर गैस संयन्त्र लगवाकर रसोई हेतु ईंधन समस्या का हल निकाला जा सकता हैं।

घरेलू उपयोग हेतु गर्म पानी हेतु बिजली के गीजर के बजाय सौर ऊर्जा संचालित गीजर लगाये जा सकते हैं। आवश्यकता मात्र अनुदान की राशि बढ़ाकर इनकी लागत बिजली के गीजर के बराबर करने की हैं।

फोटो वोल्टिक सिस्टम

फोटो ऊर्जा से संचालित फोटो वोल्टिक सिस्टम से हम बिजली प्राप्त करते हुए उससे टी०वी०, फ्रिज, मोटर पम्प तथा सड़क बत्ती एवं घर के प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। दुरस्त क्षेत्र जहां बिजली नहीं जा सकी है वहां उसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिये।

गैस का उपयोग

प्राकृतिक गैस का भारी उपयोग उद्योग धन्धों में पाइप लाइनों के जरिये किया जा रहा है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग कार तथा स्कूटरों में करने के सफल प्रयोग किये गये हैं इसे बढ़ावा देने की विशेष आवश्यकता है। इसी प्रकार रेलवे में गैस ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान किया जाना चाहिये क्योंकि रेलवे में कुल व्यय था 20% मात्र ऊर्जा पानी कोयला एवं डीजल पर व्यय होता है। केवल उत्तर प्रदेश के 1,12,566 ग्रामों में से 31,081, मध्यप्रदेश के 71,352 में से 11,325 बिहार के ग्रामों में बिजली का पदार्पण अभी तक नहीं हो सका। भारी प्रयास के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के 56% तथा मिजोरम के 37% प्रदेश तथा 31% ग्राम विद्युत विहीन हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अक्सर बिजली का अभाव रहता है जब कि आपरेशन कार्य हेतु औजारों का प्रदुषण मुक्त रखने, कपड़ों, फर्श की सफाई आदि कार्यों हेतु सौर ऊर्जा संचालित स्टेशनों की टंकी वाले गर्म जल संयन्त्र लगाये जा सकते हैं। विकास एण्ड मुख्यालय कुंडम (जबलपुर) के प्राथमिक स्वास्थ्य तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इसका लगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। अकेले मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1578 है। इसके अतिरिक्त 742 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय हैं। अतएव, इन 2,320 प्रत्येक स्थान पर न्युनतम एक हजार लीटर से दस हजार लीटर तक सौर ऊर्जा संचालित गर्मजल संयन्त्रों की व्यवस्था आवश्यक है।

बैट्री संचालित परिवहन व्यवस्था

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने बैट्री संचालित छोटी बसें बनाई हैं जिनका उपयोग दिल्ली परिवहन तथा विभिन्न स्थानों पर हो रहा है। बैट्री के रिचार्जिंग की समुचित व्यवस्था पर विभिन्न नगर निगम नगरीय परिवहन व्यवस्था कर सकते हैं। शासन तथा शासकीय उपक्रमों द्वारा स्कूल बस हेतु बैट्री संचालित परिवहन व्यवस्था अनिवार्य कर दी जानी चाहिये।

शेष पृष्ठ 15 पर

उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग : आय का स्थायी साधन

□ डा० वी.के. अग्रवाल □

कृषि में क्रान्ति, जिसे 'हरित-क्रान्ति' के नाम से जाना जाता है, के व्यावहारिक एवं लम्बी अवधि के अनुभव से यह तथ्य एक मान्यता के रूप में स्थापित हो चुका है कि केवल कृषि से ही कृषकों, विशेषकर सीमान्त एवं लघु-कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी और सुदृढ़ नहीं हो सकती। कृषि के बाद 'दुग्ध व्यवसाय' ही एक मात्र ऐसा साधन है, जो ग्रामीण निर्बल को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने में सक्षम है। दुग्ध विकास कार्यक्रम भूमिहीन श्रमिकों तथा सीमान्त लघु कृषकों को अतिरिक्त आय का साधन जुटाता है। अतः कृषकों द्वारा कृषि के साथ-साथ दुग्ध व्यवसाय को एक सहायक धन्धे के रूप में अपनाया जाना उपयोगी एवं लाभकारी है।

उत्तरप्रदेश में यह प्रयत्न किया गया है कि कृषक, विशेषकर सीमान्त एवं लघु कृषक, कृषि के साथ-साथ दुग्ध व्यवसाय का धन्धा भी अपनायें। इस हेतु इन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। प्रदेश में 'श्वेत-क्रान्ति' लाने के लिए शासन भी प्रयत्नशील है। 'दुग्धशाला विकास कार्यक्रम' जहाँ एक ओर ग्रामीण निर्बल वर्ग को आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाता है, वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं को स्वच्छ दूध एवं शुद्ध दुध से बने पदार्थ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।

भारत में आधुनिक प्रकार की पहली दुग्धशाला वर्ष 1897 में अलीगढ़ जनपद के ग्राम 'छेरत' में एक स्वीडिश डेयरी विशेषज्ञ श्री एडवर्ड केवेन्टर द्वारा स्थापित की गयी थी। इस केवेन्टर नामक डेयरी फार्म ने दुग्ध की मांग को बढ़ा दिया तथा परिप्रेक्ष्य में छेरत के आस-पास के क्षेत्र में कई छोटी-छोटी डेयरियां स्थापित हो गयीं।

वर्ष 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति, इलाहाबाद की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में यह पहला अवसर था जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु अगले दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना हुई तथा प्रदेश में सहकारिता के मूलभूत आधार पर दुग्धशाला विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1941 में इलाहाबाद, वर्ष 1947 में वाराणसी, वर्ष 1948 में कानपुर, वर्ष 1949 में हल्द्वानी तथा वर्ष 1950 में मेरठ में भी इसी प्रकार के सहकारी दुग्ध संघ स्थापित किए गए।

वर्ष 1968-69 में राज्य सरकार ने प्रदेश में एक शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला की स्थापना का निर्णय लिया इसका उत्तरदायित्व भी इसी फेडरेशन को सौंपा गया। फेडरेशन ने एक करोड़ उन्तालीस लाख इकहत्तर हजार रुपये की लागत से शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला की स्थापना वर्ष 1970-71 में दलपतपुर (जनपद मुरादाबाद) में की। इसी वर्ष 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रदेश के 4 पश्चिमी जनपदों (मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर) तथा 4 पूर्वी जनपदों (वाराणसी, गाजीपुर, बलिया एवं मिर्जापुर) में आपरेशन फ्लड योजना (दुग्धशाला विकास कार्यक्रम की एक विशेष योजना) कार्यान्वित की गयी। योजना हेतु इण्डियन डेयरी कारपोरेशन ने 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में छः करोड़ सतासी लाख पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की।

आपरेशन फ्लड में प्रथम योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने मेरठ एवं वाराणसी में क्रमशः एक-एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो दुग्धशालायें एवं 100-100 मीट्रिक टन दैनिक उत्पादन क्षमता की दो पशु आहार निर्माणशालायें तथा रायबरेली में एक 'जर्सी गो-प्रजनन इकाई' की स्थापना की।

वर्ष 1976 में प्रदेश सरकार ने दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के विस्तार को देखते हुए पृथक् दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना की तथा 1976 में उत्तरप्रदेश दुग्ध अधिनियम भी पारित किया।

दुग्ध को एक पूर्ण मानव आहार माना जाता है जो कि प्रकृति द्वारा मानव के स्वास्थ्य तथा सामान्य बढ़ोत्तरी के लिए प्रदान किया गया है। दुग्ध उद्योग के इतिहास के बारे में बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु सम्भवतः मानव ने पहले पशुओं का शिकार किया तथा उनके मांस को आहार का रूप दिया किन्तु बाद में पशुओं को पाला जाने लगा तथा मानव ने यह महसूस किया कि जानवरों को मारने के स्थान पर उनको यदि पाला जाय तो अधिक अच्छा है, क्योंकि पशु सम्पदा हमारी ज्यादा सेवा कर सकेगी।

भारत में अधिसंख्य जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हमारी लोकतांत्रिक सरकार द्वारा ग्रामों का चतुर्मुखी विकास एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रम में दो बातें आधारभूत हैं:

(1) अधिकतम व्यक्तियों के लिए वर्ष पर्यन्त अपार रोजगार सृजन; तथा

(2) ग्रामीण जन समुदाय के लिए वर्ष पर्यन्त एक नियमित आय की व्यवस्था करना ताकि वह एक औसत जीवन-स्तर निर्वाह कर सकें

यदि दुग्धशाला उद्योग को वैज्ञानिक आधार पर ग्रहण किया जाये तथा उसे सहकारिता के आधार पर प्रसारित किया जाये तो अवश्य ही यह उद्योग देश के सन्तुलित व समन्वित विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा।

'दरिद्रता-उन्मूलन' तथा 'अपार रोजगार सृजन' हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की व्यूह रचना के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। उद्योग की दृष्टि से रोजगार सृजन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूँजी-उन्मुख उद्योग हमारी सम्पूर्ण जनसंख्या को रोजगार प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए रोजगार सृजन के लिए श्रमोन्मुख उद्योगों की महती आवश्यकता है। 'दुग्धशाला उद्योग' स्वभावतः एक 'श्रम-प्रधान उद्योग' है तथा रोजगार सृजन के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

दुग्धशाला उद्योग में अपार मात्रा में रोजगार सम्भावनायें एवं लाभोपार्जन सम्भावनायें अन्तर्निहित हैं तथा ये सम्भावनायें फलीभूत की जा सकती हैं यदि दुग्धशाला उद्योग को वैज्ञानिक आधार पर अपनाया जाय तथा इस व्यवसाय को प्राथमिकता के स्तर पर विकसित किया जाये। दुग्धशाला के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी-सी दुग्ध इकाई जिसमें 4 या 5 दुधारू पशुओं को पाला गया हो ऐसी छोटी-सी इकाई 8-10 सदस्यों से भरे-पूरे परिवार को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ उसकी विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त मात्रा में प्रत्याय भी उपलब्ध करा सकती है। हमारा यह मानना है कि निःसन्देह यह उद्योग किसी भी अन्य पूँजी-प्रधान उद्योग की तुलना में अधिक लाभप्रदायकता प्रदान कर सकता है। इस श्रम-प्रधान उद्योग का प्रभावपूर्ण ढंग से विकास किया जाना चाहिए ताकि ये मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी तथा आंशिक-बेरोजगारी की समस्याओं का काफी सीमा तक निदान कर सकें।

अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रशासन विभाग

पी.सी.बागला कालेज, हाथरस

उत्तर प्रदेश—204101

पृष्ठ 13 का शेष

केन्द्रीय ऊर्जा तथा गैर परम्परागत उर्जा राज्यमंत्री श्री कल्पनाथ राय ने विगत 28 दिसम्बर 1991 को अपने गृह जनपद मऊनाथ भंजन में ढाई करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले वैकल्पिक ऊर्जा शोध संस्थान की आधारशिला रखते हुए उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन से न केवल पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के भण्डार में वृद्धि होगी वरण विकास को भी प्रगति मिलेगी। इस शोध संस्थान का उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा वरन कम से कम मउनाथ भंजन जिले की ईंधन की समस्या हल करना होगा। इस शोध संस्थान के एक वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाने पर इस क्षेत्र के लोगों को 150 रु. लागत का धूम्ररहित चूल्हा मात्र पांच रुपये में तथा 600 रुपये लागत पर सौर कुकर मात्र दस रुपये में उपलब्ध कराया जायेगा। इस क्षेत्र में इसके आबंटन के बाद अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। इस संस्थान का लागत व्यय केन्द्र सरकार वहन कर रही है, तथा प्रबन्ध कार्य उ०प्र० की पारम्परिक ऊर्जा के विकास से जुड़ी संस्थानों द्वारा किया जायेगा।

गैर पारम्पारगत ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु सातवीं योजना में 412 करोड़ का प्रावधान है जबकि 1992 से 1997 की अवधि में इसे छः गुना बढ़ाकर 300 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।वर्ष 1990-91 में 125 करोड़ तथा 1991-92 में 150 करोड़ रुपये गैर-परम्परागत ऊर्जा पर खर्च किया जायेगा।

1159, नेपियर टाउन

जबलपुर—482001

पर्यावरण प्रदूषण भविष्य की त्रासदी

□ रामाधार तिवारी □

मानव प्रकृति के विध्वंस पर आमादा है। इसे वह प्रकृति पर विजय कहता है। परन्तु प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर वह स्वयं अपने ऊपर मुसीबत ला रहा है। प्रकृति भी मानव की इस दखलन्दाजी को बर्दाश्त न कर बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस छेड़छाड़ के चलते आज का इंसान बारूद के ढेर पर बैठकर अपनी विनाश लीला का इंतजार कर रहा है। यदि मानव अभी नहीं चेतेगा तो वह दिन दूर नहीं, जब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। चारों ओर पर्यावरण-प्रदूषण की चिल्लाहट मची हुई है। यह प्रदूषण स्वयं इंसान के हाथों हो रहा है। वैज्ञानिक इस प्रदूषण के चलते भविष्य के प्रति आशंकित है।

पर्यावरण बहुत ही व्यापक शब्द है। नभ मंडल, वायु मंडल और भू-मंडल का सम्पूर्ण नैसर्गिक वातावरण इस शब्द में समाहित है। प्रकृति के प्रतिकूल जब मानव अपने स्वार्थवश इस वातावरण में हस्तक्षेप करता है तो इसमें प्रदूषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसे हम पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। इंसान द्वारा यह प्रदूषण नाना रूपों में किया जा रहा है। कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं:—

वनों की अन्धाधुन्ध कटाई

वन हमारी बहुमूल्य सम्पदा है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं। परन्तु आज कुछ धन लोलुप चन्द पैसों के लालच में इनकी अनियन्त्रित कटाई कर रहे हैं। वृक्ष अपने पल्लवों से शीतल, मन्द, सुगन्ध, और स्वच्छ वायु देकर वातावरण को विशुद्ध रख हमें जीवनदान देते हैं। नाना प्रकार के रंग-बिरंगे पुष्पों से वातावरण को सुगन्धमय बना हमें अहलादित करते हैं। वनों से प्राप्त बहुमूल्य जड़ी-बूटियां हमें निरोग रखती हैं।

वृक्ष अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ कर भूस्खलन रोकते हैं। इनकी लकड़ियां अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करती है। वृक्षों की कटाई से पर्वत नंगे होते जा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ऋतु चक्र अनियमित हो रहा है। इंसान ने जंगल के राजा शेर से उसकी सल्तनत छीनकर उसे भाग जाने को विवश कर दिया है। इंसानों की गोली के वे शिकार हो रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब इनकी नस्ल ही समाप्त हो जायेगी। प्रकृति का संतुलन बनाये रखने तथा पर्यावरण दुरुस्त रखने के लिये वृक्षों की अनियन्त्रित कटान बन्द हो।

कल-कारखानों की गंदगी

प्राय: बड़े-बड़े कल-कारखाने नदियों के तटों पर ही स्थित हैं। कल-कारखानों से निकला हुआ दूषित जल/पदार्थ नदियों में गिरता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इन नदियों में रहने वाली मछलियां तथा जीव जन्तु इस जहरीले पानी से मर जाते हैं। यद्यपि सरकार ने दूषित जल/पदार्थों के नदियों में गिराने के पूर्व परिशुद्ध करने की कानूनी व्यवस्था की है परन्तु अधिकांश मालिकों द्वारा इन नियमों के पालन न किये जाने के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। नदियों में मलमूत्र गिराने से प्रदूषण हो रहा है। इन कल-कारखानों की ऊंची चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है जिसका जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी खोज करनी चाहिये कि ये कल-कारखाने धुआं रहित हो जायें।

वाहनों से प्रदूषण

आज के भौतिकवादी युग में वाहनों का विशेष महत्व है। समान लाने, ले जाने और आने-जाने की आपा-धापी मची हुई है। लोग कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाना चाहते हैं। इसके लिये मोटरों/स्कूटरों का बेतहाशा प्रयोग हो रहा है। इन वाहनों की देखरेख के लिये लोगों के पास समय नहीं है। फलस्वरूप ये वाहन अत्याधिक धुआं फेंकने लगते हैं, जो वायुमंडल में फैलकर लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। यद्यपि सरकार समय-समय पर वाहनों के धुओं की जांच कराती रहती है, परन्तु लोगों का भी नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह अपने वाहनों को दुरूस्त रखें ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे।

जल-थल पर किये गये आणविक प्रयोग

विश्व में बड़े-बड़े राष्ट्रों के बीच आणविक प्रयोगों की प्रतिस्पर्धा चल रही है। परमाणु भट्ठियां लगाई जा रही हैं। राकेटों का प्रक्षेपण किया जा रहा है। इनसे निकली जहरीली गैसें जल, थल और नभमंडल को प्रदूषित कर रही हैं जिससे इंसान ही नहीं पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हिरोशिमा पर गिराये गये हाइड्रोजन बम तथा रूस की गैस त्रासदी अभी भूली नहीं है। इसके असर से भावी पीढ़ी पर भी कुप्रभाव हो रहे हैं।

पहाड़ों की कटान

पर्वत सामरिक दृष्टि से हमारे सुरक्षा कवच हैं। विदेशी आक्रमण के समय ये सजग प्रहरी की तरह चौकसी करते हैं। वर्षा ऋतु को नियमित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पर्यावरण को सम रखते हैं। परन्तु अब पर्वतों को डाईनामाइट से उडाया जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरी पर्वत श्रेणी और वायुमंडल कम्पायमान हो जाता है। पर्वतों के टूटने से जन-धन की हानि होती है। धुएं से वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार पर्वतों की नैसर्गिकता समाप्त हो रही है।

पर्वतों पर झर-झर करते झरने तथा वहां से कल-कल कर बहती नदियां स्वच्छ जल प्रदान करती हैं। आज इन्हीं नदियों और झरनों का प्रवाह रोक कर इनके जल को टनल द्वारा प्रत्यावर्तित कर और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर कल-कारखाने लगाने की योजनायें चल रही हैं। पर्वतीय किसान घाटियों से अन्न पैदा कर अपने भोजन की व्यवस्था करता था। कल-कारखानों से उसकी रोजी-रोटी तो चली ही गयी गांव के गांव समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। धुएं और गंदगी से गांव का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कल-कारखाने अवश्य लगाये जायें परन्तु ग्रामीण उद्योग पर आधारित हों, जिससे आम जनता को लाभ हो। पर्वतों पर पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध होने के कारण पन बिजली पर आधारित उद्योग लगाये जा सकते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और पर्वतों की नैसर्गिकता भी बनी रहेगी। बाकी पढ़े-लिखे युवक चाहे पहाड़ के हों या मैदान के गांवों में रहना नहीं चाहते वे तो शहर की ओर ही भागेगें।

जनसंख्या में वृद्धि

अब भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग पचासी करोड़ हो गई है। इस हिसाब से न तो हमारे पास रहने का पर्याप्त स्थान है और न कृषि भूमि। फलस्वरूप गैर योजनाबद्ध तरीकों से शहरों और गांवों का विकास हो रहा है। न तो पर्याप्त चौड़ी सड़कें बन रही हैं और न स्वास्थ्य की दृष्टि से भवनों का निर्माण हो रहा है। जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषित होने के लिये इंसान स्वयं उत्तरदायी है। वह अपनी सुख-सुविधा के लिये नाना प्रकार के उपकरण प्रयोग में ला रहा है जिससे सुख-सुविधा अवश्य मिल रही है परन्तु पर्यावरण भी कम दूषित नहीं हो रहा है। इंसान अपनी अहं कि तुष्टि के लिये प्रकृति विरूद्ध कार्य कर रहा है। यदि मानव को जिन्दा रहना है तो उसे प्रकृति से छेड़छाड़ बन्द करनी होगी।

70–ए, शालीनगर
(रसूलपुर) इलाहाबाद
उत्तरप्रदेश.

सामाजिक न्याय के प्रणेता—डा० भीमराव आम्बेडकर

□ सुभाष चन्द्र 'सत्य' □

हमारा देश भारत आध्यात्मिक और उच्च मानवीय मूल्यों के लिए विख्यात रहा है। किन्तु इसे दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना ही कहा जाएगा कि आज जिस एक गुण का सर्वाधिक अभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन में महसूस किया जा रहा है, वह है नैतिक साहस। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, एवं प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में नैतिकता, ईमानदारी, सच के लिए लड़ने तथा सत्ता की अनासक्ति का इस कदर अभाव है कि ईमानदारी और आत्मसम्मान के जीवन जीने के इच्छुक लोग निराश हो चुके हैं और ''नियति'' पर सब छोड़कर एक ओर होकर बैठ जाना श्रेयस्कर समझने लगे हैं। इस प्रकार की हताश और गरिमारहित चिन्तन की स्थिति किसी भी देश के लिए घातक हो सकती है। परन्तु ऐसे लोग भी हैं, भले ही उनकी संख्या कम है, जो अब भी आशा तथा आस्था का दामन थामे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि जब हमारे निकट अतीत में परतंत्रता के घने अंधेरे में नई ज्योतिपुंज अवतरित होते रहे हैं तो भविष्य के प्रति आश्वस्त क्यों न हुआ जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल चार दशक पहले के हमारे राष्ट्रीय जीवन को अनेक ऐसी महान विभूतियों ने सुशोभित किया, जो स्वाभिमान, अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने तथा उनकी रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने की प्रवृत्ति और समाज के लिए समर्पण जैसे उदात्त सद्गुणों की प्रतिमूर्ति थीं। भारत माँ का ऐसा ही एक वीर सपूत था डा० भीमराव आम्बेडकर जिनके व्यक्तित्व में प्रखर स्वाभिमान, सकारात्मक विद्रोह तथा रचनात्मक सक्रियता के अद्भुत मिश्रण के दर्शन होते हैं।

सब जानते हैं कि डा० आम्बेडकर ने संविधान सभा की संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री की हैसियत से भारत के संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिखित एवं अलिखित संविधानों का गहन अध्ययन किया और अपने देश की परिस्थितियों, मान्यताओं तथा परम्पराओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों की परिकल्पना की। देश की आबादी के एक चौथाई लोगों को यानि तथाकथित छोटी जातियों के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से उनके आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण के ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय भी उन्हीं को है। परन्तु जब उन्हें लगा कि संविधान की कुछ व्यवस्थाओं का सही पालन नहीं हो रहा है और हिन्दू समाज को प्रगतिशील रूप देने के उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्होंने तत्काल विधि मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और संसद में विपक्ष में बैठकर उसी सरकार के कामों की आलोचना करने लगे, जिसके वे कुछ दिन पहले तक अंग थे।

डा० आम्बेडकर का स्वाभिमान, आत्म-विश्वास तथा अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की मुख्य मिसाल है हरिजनों के उत्थान के सवाल पर महात्मा गांधी से उनका टकराव। जिस समय महात्मा गांधी समूचे देश के हृदय सम्राट और भारतीय जनता के एकमात्र प्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, उस समय आम्बेडकर ने दलित उत्थान के संबंध में गांधीजी के दृष्टिकोण को माना और 1931 में लन्दन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अपनी अद्भुत तर्क शक्ति एवं वक्तृत्व कला से अपनी बात मनवा ली। किन्तु वही आम्बेडकर अपनी देशभक्ति और मानवीयता के वशीभूत होकर उस समय झुकने को तैयार हो गए जब 1932 में गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के अल्पसंख्यक निर्णय के विरोध में आमरण अनशन कर दिया क्योंकि लाख मतभेदों के बावजूद डा० आम्बेडकर मानते थे कि उस समय महात्मा गांधी के जीवन की देश को कितनी जरूरत थी। ऐसे रचनात्मक लचीलेपन का प्रदर्शन उन्होंने 1946 में संविधान सभा का सदस्य बन कर और 1947 में उस कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करके किया, जिसके साथ हमेशा उनकी तकरार चलती रही और जिसने उनके हर काम में रोड़े अटकाए थे। इसका कारण यह था कि वे राष्ट्रहित को अपने निजी दृष्टिकोण से ऊपर मानते थे।

डा० आम्बेडकर के अन्तःकरण में धधक रही विद्रोह की ज्वाला का ही परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में तीन लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1935 में ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यदि सवर्ण हिन्दू दलितों के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते तो वे हिन्दू के रूप में जन्म लेने के बावजूद अहिन्दू के रूप में मरना चाहेंगे। यदि उन्हें वास्तव में धर्म परिवर्तन करना होता तो वे मुसलमान अथवा ईसाई बन सकते थे किन्तु उनकी

मान्यता थी कि इनमें से किसी भी धर्म में जाने से भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता पर ठेस पहुंचती । अत: उन्होंने हिन्दू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता की बुराई के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बौद्ध बनने का निर्णय किया क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना हिन्दू धर्म में व्याप्त जड़ताओं एवं रूढ़ियों के विरोध में ही हुई थी और वह विशुद्ध रूप से भारतीय धर्म है ।

सच तो यह है कि डा० आम्बेडकर के मन में विद्रोह की उग्रता के बीज उस व्यवहार ने बोए, जो उन्हें इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि उनका जन्म एक दलित जाति में हुआ था । इस घोर अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार के बावजूद भीमराव यदि भारत के राष्ट्रीय जीवन के उच्च शिखर तक पहुंच पाए तो इसका श्रेय उनकी प्रतिभा, परिश्रम, लगन तथा अपने आदर्शों के प्रति गहरी, सच्ची एवं सक्रिय आस्था को जाता है । महाराष्ट्र की महार जाति में जन्मे भीमराव के लिए 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक में तृतीय श्रेणी में मैट्रिक पास करना भी एक उपलब्धि थी । 1907 में जब एल्फिंस्टन कालेज से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उनके अभिनन्दन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया । इसी बालक ने आगे चलकर अमरीका और इंग्लैंड में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून आदि विषयों में उच्चतम शिक्षा ग्रहण करके और बड़े-बड़े विद्वानों की बराबरी करके इस मान्यता को एकदम निर्मूल सिद्ध किया कि प्रतिभा, ज्ञान तथा पांडित्य किसी जाति अथवा वर्ग की धरोहर है।

उनके बचपन की कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हैं, जो किसी भी संवेदनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति में विद्रोह की चिंगारी फूंक सकती हैं । जैसे एक बार वे अपने भाई तथा भतीजे के साथ एक घोड़ागाड़ी में बैठकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे । तो रास्ते में गाड़ीवान को जैसे ही मालूम हुआ कि ये बच्चे महार जाति के हैं तो उसने चिलचिलाती धूप में उन्हें बीच सड़क में उतार दिया।

यदि यह व्यवहार बचपन तक सीमित रहता तो संभवत: आम्बेडकर का विद्रोह भी इतना उग्र न होता । किन्तु कालेज में और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटने के बाद भी उन्हें जिस घृणित एवं अपमानजनक बर्ताव का शिकार होना पड़ा उसने उन्हें चिर विद्रोही बना दिया । बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति पर अमरीका तथा इंगलैंड से 1917 में उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटने पर महाराजा के साथ हुए करार के मुताबिक आम्बेडकर ने रियासत में नौकरी की और उन्हें सैनिक सचिव नियुक्त किया गया । किन्तु विद्वता का डंका बजने और उच्च पद पर आसीन होने पर भी वहां के चपरासी तक उनसे दुर्व्यवहार करते । उनके कमरे में कोई नहीं जाता था । फाइल उन तक पहुंचाने की बजाय दूर से ही फेंक दी जाती। वे पानी तक नहीं पी सकते थे । यही नहीं बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें किसी धर्मशाला, होटल या घर में जगह नहीं मिली और अंतत: तंग आकर वे नौकरी छोड़कर बम्बई लौट आए । इन सब घटनाओं ने आम्बेडकर के मन में समाज के प्रति विद्रोह की चिंगारी फूंक दी और उन्होंने दलित उद्धार को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया । जीवन के अंतिम क्षण तक वे इसे प्राप्त करने में संलग्न रहे । उन्होंने हरिजनों के लिए मन्दिर प्रवेश और जनेऊ धारण आंदोलन चलाए, अलग राजनीतिक दल की स्थापना की। हरिजनों के अधिकारों के लिए राजनीतिक संघर्ष किया । स्कूल कालेज तथा होस्टल खोले, संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया और धर्म-परिवर्तन तक का क्रांतिकारी कदम उठाया । जब मंत्री पद उनके लक्ष्य की प्राप्ति में आड़े आया तो उसे ठोकर मार दी । बीमारियों के कारण शरीर जर्जर होने के बावजूद वे अंतिम सांस तक अपने मिशन के प्रति न केवल समर्पित रहे अपितु उसकी संघर्ष करने वाले योद्धाओं महापुरुष की जन्म शताब्दी में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित करके राष्ट्र ने अपनी कृतज्ञता भले ही ज्ञापित कर दी हो, किन्तु उनके जीवन की सार्थकता यही है कि हमारे वर्तमान और भावी सार्वजनिक जीवन में उनकी भांति स्वाभिमान एवं सकारात्मक कार्य करने वाले लोग आगे आएं तभी रामराज्य का हमारा स्वप्न साकार होगा ।

1370, सेक्टर 12
आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110022

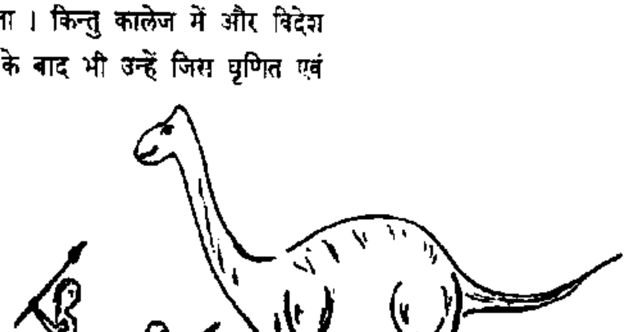

ग्रामीण पर्यावरण प्रदूषण: कारण, प्रभाव और निदान

□ किशोर कुमार ठाकुर □

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से आज हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व ग्रस्त है। समस्त विश्व इस गंभीर समस्या का हल ढूढ़ने के लिए चिंतित है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए पर्यावरण, समाजशास्त्री एवं स्वैच्छिक संगठन इस दिशा में अहम् भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों ने कई बार इसके भावी दुष्परिणामों की चेतावनी दी है तथा समय-समय पर कानून भी बनाये और इसकी रोकथाम के लिए कई उपाय भी सुझाए हैं। फिर भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है।

प्रदूषण के कारण

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए शौचालय का अभाव मुख्य कारण है। इसके अभाव में लोग आम रास्ते, खेत-खलिहान, वन तथा झाड़ियों को अपना शौच क्रिया स्थल बनाते हैं तथा उसे उपयोग में लाते हैं। किंतु वे इसके दुष्परिणाम नहीं जानते कि इससे वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय अभाव के कारण महिलाओं को अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। प्रसव के दिनों में उन्हें शौच क्रिया के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, जहां रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं रहती और जहरीले कीड़े-मकोड़ों के ऊपर पैर पड़ने के परिणामस्वरूप उन्हें अकाल मौत का शिकार होना पड़ता है।

प्रदूषण के अन्य कारणों में धुआंरहित चूल्हों का अभाव मुख्य है। आज ग्रामीण महिला परम्परागत चूल्हें बनाने, उसके रख-रखाव एवं उपयोग की विधि नहीं जानती। परम्परागत चूल्हे जो मिट्टी के बनाये जाते हैं, सुव्यवस्थित जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस चूल्हे में सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इसमें जलावन की अधिक आवश्यकता पड़ती है साथ ही धुआं निकास की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। जिसके कारण उपयोगकर्ता को जहरीला धुआं श्वसन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साथ ही जिस घर में यह चूल्हा स्थापित होता है, उस घर में रखी अन्य सामग्री तथा उसके छत के अन्दर भाग में कार्बन की परत धीरे-धीरे जम जाती है। उन्नत किस्म का चूल्हा नहीं होने के कारण जलावन की खपत बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति लोग हरे-भरे पेड़-पौधों को काटकर करते हैं। एक तरफ अधिक कार्बन का उत्पन्न होना और दूसरी तरफ वन विनाश प्रदूषण को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक कारणों से स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है न कि कार्बन डॉयक्साइड की जो धुआं युक्त चूल्हे से निकलता है। यदि इसी प्रकार के धुआंयुक्त चूल्हों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में होता रहा तो निकट भविष्य में लोगों के पास न तो जलावन के लिए लकड़ी होगी और न ही स्वस्थ पर्यावरण। इसके अतिरिक्त लोगों को सूखा और बाढ़ की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण आम बात है। जलापूर्ति स्रोतों में तालाबों, कुओं तथा छोटे-छोटे जलाशयों का जल मुख्य है। किन्तु इन सभी जल स्रोतों के जल की शुद्धता की जांच यदि की जाए तो हम पायेंगे कि एक भी जल स्रोत स्वच्छ जलापूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों को बाध्य होकर प्रदूषित जल पीना पड़ता है। चापाकल के समीप चबूतरा तथा जल निकास, नाली के अभाव के कारण प्रदूषित जल का जमाव होता है, जहां जहरीले मच्छर पनपते हैं। कभी-कभी तो यहां तक देखा गया है कि छोटे-छोटे बच्चे जो चापाकल के हैंडल को दबा नहीं पाते अज्ञानता के कारण उसी जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, जो चापाकल के समीप इकट्ठा रहता है। इस जल के पीने से वे रोगग्रसित हो जाते हैं। ग्रामीण कुआं पुरूषों की निशानी मानी जाती है, किन्तु जब से चापाकल लगाने की शुरूआत हुई है, तब से बच्चे-बुजुर्ग कुएं के जल को उपयोग में नहीं लाते केवल कूड़े-कचरे डालने तक ही इसे सीमित रखते हैं। जिससे कुएं के जल में प्रदूषण बढ़ता है। तालाबों, नहरों तथा अन्य जलाशयों में लोग गन्दे कपड़े, विषैले तरल पदार्थ तथा मरे जानवरों का शव यदा-कदा डाल देते हैं, जिससे उसका जल प्रदूषित होता है और उस जल को जो मवेशी ग्रहण करता है, वह बीमार हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग-फैक्ट्री भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं। प्रायः देखा गया है कि विषाक्त, केमिकलयुक्त तरल पदार्थ के जलाशयों में विसर्जन से जलाशय का जल प्रदूषित होता है, जो जान-माल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है।

बढ़ती जनसंख्या भी पर्यावरण को प्रदूषित करती है। बढ़ती जनसंख्या का ही परिणाम है कि तालाब, नदी और सागर उत्तरोत्तर प्रदूषित होते जा रहे हैं जिससे मछलियों के वार्षिक उत्पादन में लगातार कमी होती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण मछली पकड़ने वालों

शेष पृष्ठ 22 पर

अशुद्ध जल जीवन के लिए घातक

□राजकरण शुक्ला □

पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार के रत्न, मणि हिरण्य से लेकर कोयला, रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं । भूमि के साथ हम सबका हृदय जुड़ा हुआ है । भूमि केवल मिट्टी, पत्थरों का ढेर ही नहीं, बल्कि सब प्रकार के तत्वों की खान है। जगह-जगह पर अविचल अनेक पर्वत, नदियों का प्रवाह और समतल मैदान है ।

सुबह होते ही ग्रामीण किसान अपने खेती के कार्यों में जुट जाते है । ग्वाले अपने पशुओं को लेकर चरागाहों की तरफ चल पड़ते हैं । चिड़ियां अपने घोसलें में अपने शावकों को छोड़ कर नीले आकाश की ओर पंख फड़फड़ाती उड़ जाती हैं । कितना सुहाना दृश्य दिखाई देता था गांव का । परन्तु आज वह दृश्य कहां हैं? दिन-ब-दिन बढ़ रही आबादी के साथ निरंतर पेड़ों की कटाई से वन-उपवन, बाग-बगीचे उजाड़ होते जा रहे हैं । चरागाह की ज़मीन पर काश्तकारी होने लगी है । पेड़ों के अभाव के कारण जलवायु, भयंकर प्रदूषण से दुष्प्रभावित हो रही है । नतीजतन पहले की अपेक्षा मौसम में काफी परिवर्तन होने के साथ-साथ ऋतुओं का प्रभाव भी बदल रहा है । खुली हवा में सांस लेना दुर्लभ हो गया है जिसके कारण मानव किस्म-किस्म की बीमारियों का शिकार होता जा रहा है ।

जल

शुद्ध पेयजल से मानव स्वस्थ रहता है । दूषित एवं अशुद्ध जल पीने से व्यक्ति अस्वस्थ, निर्बल और बीमार रहने लगता है । शुद्ध पानी का अभाव जीव-जन्तु एवं पशु-पक्षी सभी पर असर करता है जिसके कारण महामारी जैसे संक्रामक रोगों का वे प्राय: शिकार हो जाते हैं ।

गांवों में मुख्यतया जल की पूर्ति का स्रोत भूमिगत जल, रुका हुआ जल जैसे कुआं, हैण्डपंप, नलकूप हैं । तालाब, सरोवर, नहर, झरना, नदियां आदि प्राय: दूर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को पानी लाने में काफी कठिनाई होती है । इस जल में रसायनों की बहुलता, खारापन, फ्लोराइड आदि भी होना आम बात है । पीने के पानी की दृष्टि से जो कुएं, तालाब आदि बनाये गये हैं उनमें उचित रख-रखाव की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है । उससे भी लोगों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता।

गांवों में पानी के फिल्टर आदि की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण शुद्ध जल ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाता । अक्सर गर्मी के दिनों में कुएं, तालाब सूख जाते हैं जिसके कारण पानी मिलना और भी दुश्वार हो जाता है । बरसात के मौसम में अक्सर कुएं की दीवार (जगत) ऊंची न होने से आसपास का गंदा पानी कुओं में भरता रहता है तथा ऊपरी हिस्सा खुला होने के कारण हवा से कूड़ा करकट भी कुएं में गिरता है । नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण कचरा सड़ जाता है और संक्रामक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जिससे अनेक जीवन-घातक बीमारियों का जन्म होता है ।

करेला नीम चढ़ा

पानी को कीटाणुरहित करने के लिए क्लोरीन की टिकिया, लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर आदि किफायती एवं सस्ते तो मिलते हैं जो पेयजल को स्वच्छ, शुद्ध करने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं । परन्तु कुआं सामूहिक होने के कारण उपाय कौन करे, किसे पड़ी है? और फिर इतना दाता-दानी कौन है जो पूरे गांव-समाज का जिम्मा ले । तुलसीदासजी पहले ही कह चुके हैं- "सकल पदारथ यहीं जग माहीं, कर्महीन नर पावत नाही ।"

किसानों पर भी जल का प्रभाव

अशुद्ध जल के प्रभाव से किसान भी अछूता नहीं है । ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत के साथ-साथ बहुत सी समस्याओं की भरमार आज भी मौजूद है जैसे कि चिकित्सा, स्कूल, यातायात के साधन का अभाव तथा खेती के उपयोगी आवश्यक उपकरण, खाद-बीज का अभाव, समय पर बुआई न हो पाना आदि। इन सबके चलते आर्थिक स्थिति में वांछित सुधार नहीं हो रहा है और इस आर्थिक स्थिति को डगमगाने में सबसे बड़ी बाधा जल है ।

प्रदूषित जल का उपयोग

दिन-रात बहते हुए नदी-नाले, नहर और झरने के पानी में फैक्टरी-कारखाने की सीवर नालियों द्वारा गलत ढंग से तेलयुक्त, कूड़ा-करकट, गंदगी, पानी को प्रदूषित एवं तेजाबयुक्त विषैला बनाते हैं जिसकी रोकथाम की कोई उचित व्यवस्था कारगर ढंग से नहीं हो पा रही है और फिर आगे चल कर यही पानी घरेलू जन-जीवन

हो पा रही है और फिर आगे चल कर यही पानी घरेलू जन-जीवन में उपयोग हो रहा है। फलस्वरुप इसका हानिकारक असर जान के साथ बेजान रुपी भूमि एवं पेड़-पौधों को भी प्रभावित कर रहा है। भस्मासुर रुपी प्रदूषण पृथ्वी, वायुमंडल को कुप्रभावित कर रहा है। अभी समय है कि हम चेतें और पर्यावरण की शुद्धता के साथ जल की शुद्धता पर भी समुचित ध्यान दें।

6-ए,एम्पोरिया बिल्डिंग,
बाबा खड़ग सिंह मार्ग,
नई दिल्ली

पृष्ठ 20का शेष

की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे मछली पकड़ने के कार्य में इतनी अधिकता आ गई है कि वह आवश्यक अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। फलस्वरूप इस कारण भी मछलियों के वार्षिक उत्पादन में निरंतर कमी होती जा रही है ।

केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के मूल में बढ़ती हुई आबादी ही है, इसलिए हर हालत में जनसंख्या की इस बाढ़ पर अविलम्ब रोक लगानी होगी अन्यथा निकट भविष्य में हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि इस धरती से बिना किसी विश्व युद्ध के, केवल प्रदूषण के कारण ही मानव जाति के अस्तित्व का खात्मा हो जाएगा ।

गंभीर प्रभाव

उपर्युक्त ग्रामीण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अनेक जानलेवा बीमारियों से ग्रसित करती जा रही है जिनमें मुख्य रूप से शौचालय अभाव के कारण हैजा, मलेरिया और काला-जार, धुँआरहित चूल्हे के अभाव के कारण फेफड़ा तथा आंख के रोगों को सहज रूप से जाना जा सकता है।

निदान

ग्रामीण आबादी की विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से त्राण दिलाने के लिए व्यवस्थित कम लागत वाले शौचालयों का निर्माण, धुआंरहित चूल्हों का अधिक से अधिक उपयोग, जल-प्रदूषण नियंत्रण, जन-जागरूकता, वृक्ष संरक्षण तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, नाला-नाली तथा चबूतरों का निर्माण और उसकी रक्षा, पुराने तालाबों की मरम्मत, बंजर-भूमि विकास, पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र और अनुसंधान पर ध्यान देना आवश्यक है।

इस कार्य के लिए जहां सरकारी प्रयास की आवश्यकता है, वहां सरकारी स्तर से कार्य हो तथा जहां जन-जागरुकता की आवश्यकता है, वहां जनता जागरुक हो । यदि सरकार को उसके दोष-निवारण के लिए हम कहते हैं, तो हमें भी अपने दोष निवारण के लिए तैयार रहना चाहिए तभी सुरक्षा रूपी ग्रामीण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निदान संभव हो सकेगा ।

द्वारा-श्री उपेन्द्र नाथ झा
बिहार विद्यापीठ,
पो०-सदाकत आश्रम,
पटना-10 (बिहार)

लोगों के साथ निष्पक्ष और प्रभावी संचार जरूरी

—पी.वी. नरसिंह राव

जनसंचार में सूचना देने का कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है ईमानदार प्रतिक्रियाओं से वाकिफ होना। एक संचारक की सफलता का आकलन उसके द्वारा प्रस्तुत व संचरित सूचना के प्रभाव से किया जा सकता है। सरकार की सफलता का एक कोण संचारक की सफलता पर भी निर्भर करता है। अतः वह सिर्फ सूचना देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। उसे अपनी सूचना को प्रभावी बनाना होगा। यही वर्तमान की आवश्यकता है। वही तो बताता है कि सरकारी नीतियों, निर्णयों और योजनाओं में लोगों के लिए क्या है और यही महत्वपूर्ण है। इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

बीती फरवरी की 13 तारीख को नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में कार्य कर रही इकाइयों के सम्मेलन में यही विषय महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्हीं के अभिभाषण पर आधारित है प्रस्तुत लेख।

तकनीक और आधुनिकता के व्यापक होते आयामों के साथ-साथ आज विश्व-व्यवस्था जिस कदर जटिल हुई है उलझनें जिस तरह बढ़ी हैं उससे एक सत्य उजागर हुआ है कि संचार के पर्याप्त तकनीकी साधनों के बावजूद संचार कार्य धीमा पड़ गया है। एक-दूसरे को समझना मुश्किल हो गया है। मानव चरित्र अपने आप में सिमटता जा रहा है। ''वसुधैव कुटुंबकम'' की आस्था क्षीण होकर सिर्फ निजी जिंदगी, विचार और निजी स्वार्थ की बंधुआ हो गयी है। ऐसे में जन संचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हाथों की आवश्यकता एकदम से बढ़ गयी है। जरूरी हो गया है कि वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं।

प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने भी जनसंचार को एक मुश्किल किंतु महत्वपूर्ण कार्य बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि सूचना, सूचना देने के ढंग और इस कार्य में संलग्न कर्मियों में क्या क्षमताएं, अहर्ताएं और उनकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। दर असल किसी विषय, नीतिगत निर्णय या परिवर्तनों को लेकर आज जो भ्रम हैं वे संचार शून्यता की वजह से हैं। इस शून्य को भरने से लोग समझ सकेंगे कि किसी नीति या परिवर्तन का सरकारी दृष्टिकोण क्या है। किसी योजना में उन लोगों के लिए क्या है ? कोई निर्णय या घटना उन्हें कैसे प्रभावित कर सकती है ?

प्रधानमंत्री ने सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में कार्य कर रही इकाइयों के कार्य को सूचना देने और संबंधित वर्ग की प्रतिक्रिया को वापस सरकार तक ईमानदारी से पहुंचाने की दो तरफा जिम्मेदारी बताया जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब चूंकि क्रिया पर ही प्रतिक्रिया का स्वरूप निर्भर करता है अतः किसी तथ्य की प्रस्तुति या लोगों तक पहुंचाने का ढंग अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

श्री राव ने नाराजगी, आश्वासन और चेतावनी के मिले-जुले स्वर में साफ कहा कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही इकाइयों को बंद न किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि वे अपनी उपयोगिता सिद्ध करें जो उक्त जिम्मेदारियों को निभाकर ही संभव है। उन्होंने इशारा किया कि छह-सात माह पूर्व सरकार द्वारा किए गए नीतिगत परिवर्तनों को लेकर यदि यह जिम्मेदारी नहीं निभायी गयी तो निभायी जानी चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि ये निर्णय परंपरागत नीतियों से अलग नहीं हैं। ये सब तो परंपरा और विरासत के रूप में हमें पंडित जी, इंदिरा जी, दूसरे नेताओं तथा राजीव जी से प्राप्त हुआ, किंतु उल्लेखनीय है कि ये उन सबकी कार्बन प्रति भी नहीं है। इसमें हर बिंदु पर परिवर्तन होते रहे हैं और ये परिवर्तन स्वाभाविक थे। लोगों ने उन्हें समझा भी।

प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या वे सरकारी दृष्टिकोण को लोगों तक उन्हीं की बोली, भाषा में उन्हीं के स्तर पर उसी ढंग से लोगों को समझा पाते हैं जिस तरह लोग समझते हैं। यदि नहीं तो संलग्न इकाइयां 'मानव तोते' के समान हैं और आज ' मानव तोतों ' की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में दूसरों को समझाने के लिए आवश्यक है कि वे लोग प्रशिक्षु बन सदैव कुछ न कुछ सीखते हैं। उन्हें वह सब कुछ पहले स्वयं समझना होगा जिसे वे दूसरों को समझाना चाहते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकेंगे। वे मात्र तनख्वाह लेने का कर्तव्य पालन करेंगे।

प्रधानमंत्री ने सूचना देने के कार्य की ज्यादा आवश्यकता महसूस

करते हुए कहा कि आज जो परिवर्तन हो रहे हैं वे पहले इस तरह से कभी नहीं हुए । वे रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग हैं और इसीलिए इन्हें समझाने की जरूरत है । आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें क्रियान्वयन के पहलुओं में भी बदलाव आया है । आज 'क्यों', 'कैसे' और 'कहाँ' का स्पष्ट जवाब देना आवश्यक हो गया है । इसके लिए उन्होंने मानव को ही सर्वश्रेष्ठ इकाई बताया । श्री राव मशीन को मानव का विकल्प नहीं मानते लेकिन उनका मानना है तो यदि मानव मशीन सरीखा हो जाए तो पुनर्विचार स्वाभाविक हो जाता है । 'संचार' एक मुश्किल कार्य है, जिसके लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है और यही समाप्त हो जाए तो मानव को मशीन मान लिया जाना चाहिए । हालांकि व्यक्ति-दर-व्यक्ति के सम्पर्क के महत्व को नकारा नहीं जा सकता किंतु एक साथ लाखों दर्शकों, श्रोताओं से बात करने वाला इलैक्ट्रानिक मीडिया तब ज्यादा उपयोगी हो जाता है, जब इकाइयां अपनी उपयोगिता सिद्ध न कर सकें । हालांकि इलैक्ट्रानिक मीडिया अकेला पूर्ण नहीं है । मानव एजेंसी की आवश्यकता बराबर रहेगी ।

यह सच है कि यह कल्पनाशीलता तथा सिद्धांत ही तो हैं जो तय करते हैं कि 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' या आठवीं पंचवर्षीय योजना को एक गीत के जरिए नहीं स्पष्ट किया जा सकता क्योंकि ये रामायण की भांति सरस नहीं है । महाभारत की भांति सरस नहीं है । या लैला मंजनू के किस्से की भांति भी सरस नहीं है, फिर भी इसे प्रस्तुति योग्य बना पाना ही संचार की सफलता है, किंतु प्रधानमंत्री का यह कहना तार्किक है कि बहुत कुछ ऐसा है, जिसे प्रवचन या किसी माध्यम के बजाय एक गीत के माध्यम से समझाया जाए तो संभव है कि तथ्य लोगों को सहज स्वीकार्य हो।

श्री राव ने 'गांधी' फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा—

''इस मात्र एक फिल्म ने समूचे विश्व पर जितना व्यापक प्रभाव छोड़ा उतना गांधी जी पर लिखी गयीं सौ पुस्तकें भी एक साथ नहीं कर सकीं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब यह फिल्म बन रही थी तब न सिर्फ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बल्कि सभी इसके खिलाफ थे । खर्च को लेकर आपत्ति थी कि ये पांच करोड़, दस करोड़ कहां से आएगा । दर असल वे इस फिल्म के भविष्य में होने वाले व्यापक प्रभाव को आंक नहीं सके थे । अतः हमारी गलती नहीं थी, किंतु इस पर इंदिरा जी के इस निर्णय का फल यह मिला कि आज विश्व के कोने-कोने में लोग महात्मा गांधी को जानते हैं । मात्र एक फिल्म के कारण सभी बूढ़े, बच्चे और जवान कोई भी गांधी जी के व्यक्तित्व-कृतित्व से अपरिचित नहीं हैं । अतः प्रस्तुतिकरण का पहलू काफी महत्वपूर्ण है ।''

उन्होंने इस सब को एक कठिन काम मानते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में कार्य कर रही इकाइयों द्वारा तैयार साहित्य के जरिए किस तरह इस काम को किया जा रहा है किंतु ज्यादातर प्रकाशित सामग्री संसद की मेज पर पढ़ी गयी सामग्री की पुर्नरचना भर होती हैं, लेकिन यहीं सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता । प्रत्येक रचना या सिद्धांत को एक टीकाकार की आवश्यकता होती है । ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि कौन, किसके लिए और किस ढंग से टीका-टिप्पणी कर रहा है ।

धर्मशास्त्रों में टीकाकार की महत्ता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी रचना या सिद्धांत के बारे में उसके रचनाकार से ज्यादा ज्ञान उस सिद्धांत के टीकाकार को होता था और इसीलिए सिद्धांतों को घर-घर पहुंचाकर टीकाकारों ने अपने कार्य को भली-भांति निभाया । उन्होंने विस्तार में बताया कि एक सूत्र किस परिस्थिति विशेष में प्रयोग किया जाता है । अतः ये प्रबंधकार, टीकाकार भारत में सांस्कृतिक विरासत, कानून और नैतिक पद्धति के मुख्य आश्रय रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग भी यही स्थिति बनाएं । अतः उनका कार्य नीति की पुर्नरचना भर नहीं होना चाहिए । यदि आप एक किसान से बात कर रहे हैं तो किसान की भाषा, शब्द, शैली तथा दृष्टान्त के अनुसार ही उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे और यदि आप किसी अन्य से बात कर रहे हैं तो उसके अनुसार अंदाज तथा माध्यम चुनने होंगे ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़कर एक अच्छा व्याख्याकर्ता नहीं बना जा सकता । कोई पुस्तक नहीं, जो बताती हो कि एक महान कवि कैसे बना जा सकता है । हाँ, कुछ सिद्धांत अवश्य हैं कि एक कवि कैसे लोगों से जुड़ सकता है । मात्र दस गीतों के जरिए कैसे एक क्रांति को जन्म दिया जा सकता है। यही सब कुछ आजादी के दिनों में हुआ । हम तत्कालीन नेताओं को पर्याप्त श्रेय देते हैं कि उन्होंने महान कार्य किया, किन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनसे महान कर दिखाया लेकिन उन्हें कोई बहुत अधिक नहीं जानता । नेताओं ने हमें नेतृत्व दिया किंतु लोगों तक आजादी का संदेश पहुंचाने वाले लोग ही अलग थे । उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं के मुझे याद करीब आधा दर्जन गीत ऐसे

हैं जिन्होंने क्रांति की रचना की।

उन्होंने व्याख्याकर्ता और दुभाषिए की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जैसे बहुभाषी देश में यह काम आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई अंग्रेजी में बोलता है तो उसके अनुवाद में मूल का 70 प्रतिशत प्रभाव समाप्त हो जाता है। अत: आज मौलिक व्याख्या की आवश्यकता है।

व्याख्याकर्ता तथा दुभाषिए के रूप में उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा—

"मैं आमतौर पर पंडितजी, इंदिराजी के लिए दुभाषिए व व्याख्याकर्त्ता का कार्य करता रहा हूँ। वह अक्सर बैठक से लौटते तो मुझे धन्यवाद देते। कितने आश्चर्य की बात थी। कितने महान थे वे।मैं तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, महज एक विधायक था वह भी नहीं। किंतु जब लोग मुझे सुनते थे तो तालियां बजाने लगते थे जबकि जब वे पंडितजी को सुनते तो समझ नहीं पाते थे। अत: पंडितजी समझ सके थे कि व्याख्या करने के बाद ही प्रभाव सामने आता है। इसीलिए भाषण के अंत में वह आते और मुझे धन्यवाद देते थे। यही एक व्याख्याकर्ता का कर्तव्य है और यही कर्तव्य यदि आप सही तरीके से निभा पाते हैं तो आपको कोई कुछ न कहेगा। मुझे इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आयी।"

श्री नरसिंह राव ने टीकाकारों व व्याख्याकर्त्ताओं के गुणों, क्षमताओं को लेकर सलाह दी कि कुछ गुण उनकी प्रकृति में ही होने चाहिए। मसलन सदैव सीखते रहने का गुण। उनमें सदैव सीखने की ललक बनी रहनी चाहिए। बगैर सीखे दूसरे को समझाना असंभव है। यदि कोई प्रशिक्षु नहीं है तो वह अच्छा व्याख्याकर्त्ता या सूचना वाहक भी नहीं हो सकता।

दूसरा पहले स्वयं वह सब कुछ समझना जो वह दूसरों को समझाना चाहते हैं क्योंकि दूसरों को समझाना आसान नहीं है, खास तौर पर तब जब परिस्थितियां और परिवर्तन दोनों जटिल हों। सरकार द्वारा कम समय में किए गए नीतिगत निर्णयों तथा योजनाओं का संदर्भ देते हुए प्रधानमंत्री ने माना कि संभव है कि सभी को एक साथ आत्मसात न किया जा सके। इसमें समय लगे, किंतु कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अत: उन्हें आत्मसात करना ही होगा। सरकारी प्रवक्ता के रूप में संबंधित कर्मियों को बताना होगा कि सरकारी नीतियों में क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है। इसके लिए उन्हें स्वयं जानना होगा कि उन्हें क्या तथ्य दूर-दराज के लोगों तक पहुंचाने हैं और यदि वे उस ढंग से लोगों को समझा पाते हैं जिस ढंग से लोग समझते हैं तो उनका काम पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्वयं जानने के लिए आवश्यक है कि संबंधित कर्मी न सिर्फ अखबारों से सीखें, बल्कि उन्हें पाठक भी बनना होगा। उन्हें पुस्तकें पढ़नी होंगी। अधिकारियों को, मंत्रालय को चाहिए कि वह अधीनस्थ कर्मियों को कुछ ऐसी सूचनाएं अवश्य दें ताकि लोगों को विस्तार से समझाने में आसानी हो। कर्मचारियों को ज्यादा उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें संसद में पेश प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। उन्हें तो उस आम आदमी के सवालों का जवाब देना है जिसके मन में कुछ संदेह होंगे कुछ जिज्ञासाएं होंगी। इन्हीं संदेहों को दूर करने और जिज्ञासाओं को शांत करने की आवश्यकता है। ऐसे में यदि स्वयं टीकाकारों तथा सूचना एवं प्रसारण के जिम्मेदार, कर्मियों को स्वयं सब कुछ स्पष्ट न होगा तो वे लोगों के संदेह को कैसे दूर करेंगे। अत: इस स्थिति के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित कर्मचारियों से सीधा सवाल किया—

"आप में से कितने लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण उसकी कोशिशों के बारे में जानते हैं ? बहुत कम। ऐसा इसलिए है चूंकि आपको इसका अध्ययन करने के लिए नहीं कहा गया। आपको नहीं बताया गया कि यह क्या है और शायद यह भी कि उस दृष्टिकोण के पीछे का मौलिक तर्क क्या होगा और क्या होना चाहिए। आपके द्वारा विस्तार से बताए जाने से पूर्व ही ग्रामीण उत्तर देने में सक्षम हो, इसके लिए आप उन्हें बताएं कि समस्या क्या है और आप क्या चाहते हैं ? फिर आप देखेंगे कि ग्रामीण की ओर से तुरंत सही जवाब निकलकर सामने आएगा। यह अंतरक्रिया से शुरू हुई प्रक्रिया है, जो आपको करनी है। अत: यह संचार एकतरफा कतई नहीं हो सकता, इसमें आंतरिक सक्रियता आवश्यक है।"

एक अच्छे टीकाकार को जन संचार सेवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे एक सफल कर्मी के गुणों को जोड़ते हुए श्री राव ने क्रिया के साथ-साथ प्रतिक्रिया को भी महत्वपूर्ण बताया। कहा कि एक अच्छे संचारक के लिए आवश्यक है कि वह सरकारी नीतियों, निर्णयों तथा सामायिक घटनाओं पर लोगों की टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं आदि को ईमानदारी के साथ वापस सरकार तक पहुंचाएं जिससे सुधार की गुंजाइश को पूरा किया जा सके। गलतियों को सुधारा जा सके।

यह सच है कि अपने कर्तव्य में यदि कमी हुई है तो उसे छिपाने के लिए गैर ईमानदार तरीके से पहुंचाई गयी प्रतिक्रिया से सरकार सही निर्णय ले पाने में सफल न होगी। सिर्फ नीति, निर्णय या

योजना ही नहीं, बल्कि उसके सफल-असफल क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त प्रतिक्रिया से ही मिलती है। अतः प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ये कार्य करने के लिए ये भी आवश्यक है कि माध्यम तलाशा जाए। गांवों में कौन आपकी मदद कर सकता है यह जानना होगा। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कहीं भी जाइए, आप पाएंगे कि गांवों में तत्काल कविता करने वाले कवि हैं। हो सकता है कि उनकी कविताएं पाणिनि या ऐसे किसी अन्य के समकक्ष न हों, किंतु वे लोगों से तुरंत सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 'बाद', 'भाट' या अन्य कई लोग जमाने से यही करते आ रहे हैं। उनका यही पेशा रहा है व सदियों से वे लोगों से सम्पर्क करने, संबंध बनाने तथा सूचना-संचार का कार्य करते चले आ रहें हैं। संभव है वे विद्वान न हों, किंतु वे महान संचारक तो हैं ही। अब, हम यदि प्रत्येक राज्य में से सभी भाषाओं के ऐसे कुछ लोगों को साथ ले लें, ये नौटंकी, तमाशा या बरंकथा जैसी अलग-अलग विधा के लोग हो सकते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है।

इन्हीं सबके जरिए एक प्रभावी संचारक बना जा सकता है। एक संचारक के प्रेषण, प्रचार का अच्छा व व्यापक प्रभाव ही संचारक की सफलता है।

प्रधानमंत्री श्री राव ने माना कि सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में काम कर रही इकाइयों के लिए प्रचार-प्रसार की पहली प्राथमिकता के रूप में सरकारी नीतियों का सही दृष्टिकोण लोगों तक पहुंचाना है। कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में लोगों को जानकारी देना हमारी दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार की विदेश नीति के बारे में भी लोगों को बताया जाना चाहिए कि वह किस तरह देश के लोगों को प्रभावित करती है।

पंचवर्षीय योजना के बारे में उन्होंने कहा -

''यह तो एक हजार पृष्ठों की पुस्तक होगी। इस बड़ी 'पोथी' के बारे में कौन बताने जा रहा है ? मैं नहीं जानता कि कौन उसके हर हिस्से को बताएगा कि सातवीं योजना क्या थी ? आठवीं योजना में क्या परिवर्तन है ? क्या कुछ और क्यों नया है ? लोगों के लिए योजना में क्या है ? इसके लिए अखबार में एक कालम या दो कॉलम की खबर पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आपको योजना के सभी पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन पहले योजना को आ जाने दो फिर बहुत कम समय में आपको योजना को अच्छी तरह समझकर समझाने के लिए एकदम तैयार रहना होगा। मैंने देखा है कि योजना के बाद इसे लोग समझते नहीं हैं जब तक कि उन्हें समझाया न जाय और यदि लोगों को पता चले कि योजना में उनके राज्य, उनके जिले के लिए क्या है, तो उनके द्वारा 'सब ठीक है' कहा जाना संभव होगा। आपको बस इतना ही हासिल करना है। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक, कुछ पहले ही योजना को अच्छी तरह देख समझ लें।

प्रधानमंत्री श्री राव ने आम आदमी को देश की विदेश नीति से परिचित कराने की सलाह देते हुए पूर्व में विदेश मंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली का उदाहरण दिया। इस तरह उन्होंने सलाह के पीछे के मौलिक तर्क को प्रस्तुत करने की कोशिश की। कहा — ''जब मैं विदेश मंत्री था तब अपने चुनाव क्षेत्र में गया और विदेश नीति पर वक्तव्य देना शुरू किया तो लोगों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। किंतु जब मैंने एक घंटे का भाषण समाप्त कर उन्हें बताया कि ईरान-इराक युद्ध उनकी जिंदगी को प्रभावित करने जा रहा है तो लोगों के कान खड़े हो गए और उन्होंने सुनना शुरू किया, रूचि लेनी आरंभ की। अन्यथा वे सोचते थे कि यह सब क्या मायने रखता है, युद्ध किस ओर जा रहा है, यह हमें किस तरह प्रभावित करेगा, हमारी रूचि क्या है, यह आदमी विदेश नीति पर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की कोशिश क्यों कर रहा है।''

''यही सब शायद वे सब पहले 15-20 मिनट सोचते रहे। तब वे समझ गए कि पूरा विश्व एक है और विश्व के किसी कोने में जो कुछ भी होता है, उसका प्रतिघात विश्व में हर दूसरे स्थान पर परिलक्षित होता है। यदि घटना बड़ी है, तो उसका असर भी बड़ा ही होगा, यदि घटना छोटी है तो भी उसके परिणामस्वरूप यहां-वहां लहरें उठेंगी ही।''

''सो, बहुत सी चीजों को समझाने की जरूरत होती है और मैं नहीं समझता कि इलैक्ट्रानिक मीडिया अकेला यह करने में समक्ष होगा, इसीलिए मैं मानव-एजेंसी चाहता हूं।''

श्री राव का कहना है कि आज के दिनों में सरकार की नीति इतनी संयुक्त और विस्तृत है कि इसे टुकडों में नहीं बांटा जा सकता। देश की नीति को आपको समझना होगा। उसके भविष्य को समझना होगा। उसकी विस्तृत प्रकृति, उसकी ताकतों को जानना होगा। की मैं महसूस करता हूं कि लोगों तक पहुंचना कितना मुश्किल किंतु अधिक आवश्यक कार्य है। इसका क्रियान्वयन ही आपकी सफलता महानतम परीक्षा है।

प्रस्तुति— अरूण तिवारी
एस-146, सुंदर ब्लाक,
शकरपुर, दिल्ली

ग्रामीण विकास : आम बजट की नजर में

□ घनश्याम उपाध्याय □

कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है और आर्थिक विकास की कोई नीति हमारे देश में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इससे कृषि में रोजगार और उत्पादन की तीव्र गति सुनिश्चित न हो और जब तक हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नहीं बदल लेते, तब तक अपने बढ़ते हुए ग्रामीण श्रमिक बल के लिए पर्याप्त रोजगार प्रदान करने की उम्मीद नहीं कर सकते। चूँकि, कृषि एक राज्य विषय है इसलिए इस दिशा में अधिकांश प्रयास राज्य सरकारों को करने होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी। केन्द्र अपनी ओर से निरंतर निधिकरण और विभिन्न निर्धनता उन्मूलन योजनाओं के पुनर्गठन के प्रति, जो हमारी विकास नीति का प्रमुख अंग हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ है।

कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए बहुआयामी नीति की आवश्यकता है, जिसमें भू-सुधारों का कारगर कार्यान्वयन और सिंचाई तथा नाली व्यवस्था में बड़ी मात्रा में निवेश, जल प्रबंध प्रणालियों में सुधार, भूमि ह्रास पर नियन्त्रण, ऋण प्रणाली को मजबूत बनाना तथा अनुसंधान में सुधार करना शामिल है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में 2610 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि 1991-92 के 3508 करोड़ रुपये से कम है। हालांकि यह संशोधित अनुमानों से अधिक है। लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों हेतु किये जा रहे समग्र प्रयासों का एक ही अंश परिलक्षित होता है। अपने समाज के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों को उस बोझ से बचाने के लिए संरक्षण देने सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारी के बारे में पूरी तरह सजग है। जवाहर रोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन सम्बन्धी योजनाओं के समर्थन हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष से 500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। समाज के इन सुविधाहीन वर्गों को कीमतों के दबाव से बचाने के लिए 1700 सर्वाधिक पिछड़े ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दरों पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में किये गये आयोजना सम्बन्धी प्रावधान तथा ऊपर उल्लिखित प्रस्तावित अतिरिक्त आवंटन चालू वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शाएगा।

उर्वरक हमारी कृषि व्यवस्था प्रणाली में सबसे बड़ी एकल आर्थिक व्यवस्था के रूप में विकसित हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक एक अनिवार्य अंग तथा कृषि सम्बन्धी विकास सामान्य रुप में न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि, ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के स्तर को ऊँचा उठाने को सुनिश्चित करने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। 1980-81 में उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण इन सभी के लिए केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में कुल आवंटन का 12 प्रतिशत है। 1991-92 में यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई। इस समय, एक संसदीय समिति उर्वरक सम्बन्धी मूल्य निर्धारण और आर्थिक सहायता के समस्त मामले, जिसमें आर्थिक सहायता के पुनर्गठन सम्बन्धी विकल्प भी शामिल हैं की जांच कर रही है। वर्ष 1992-93 में उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता थी जो कि प्रारम्भिक रूप से प्रस्ताविक 40 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि को केवल 30 प्रतिशत तक रखे जाने सम्बन्धी निर्णय तथा इस तथ्य के कारण भी उत्पन्न हुई कि आयातित उर्वरकों की रुपया लागत बजट अनुमानों में अनुमानित राशि से अधिक थी। इसके परिणाम-स्वरूप उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान की राशि जो बजट अनुमानों में 4000 करोड़ रुपये थी, संशोधित अनुमानों में उसे बढ़ाकर 4800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यह राशि भी 1991-92 के लिए आर्थिक सहायता सम्बन्धी सभी दावों के लिए पूरी नहीं बैठती है और कुछ राशि आगामी वर्ष में आगे चली जायेगी जैसा कि एक सामान्य वाणिज्यिक प्रथा है।

छोटे किसानों को संशोधन पूर्व मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करने की योजना के लिए संशोधित अनुमानों में 405 करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था सम्मिलित है। उर्वरक उद्योग के परिव्यय को 411 करोड़ से बढ़ाकर 1234 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विभिन्न प्रकार के कृषि व्यवसाय को समर्थन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार पैदा करने के लिए नवीन विचारों को समर्थन देने की आवश्यकता है। एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और आई०डी०बी०आई० द्वारा वित्तपोषित एक नियमित इकाई के रूप में 'एक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ' स्थापित करने का प्रस्ताव है। संघ में अलग-अलग फसलों से सम्बन्धित विभिन्न

विकास बोर्डों तथा कृषि और कृषि उद्योगों से संबंधित सरकारी क्षेत्र के निगमों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों, बैंकों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगें । संघ आर्थिक कार्य कुशलता, पर्यावरणात्मक दृढता और सामाजिक समानता के सिद्धान्तों पर कार्य करेगा तथा वर्ष 1992-93 में देश के विभिन्न भागों में, मिले जुले उद्यमों और राज्य सरकारों तथा कृषक परिवारों की सक्रिय सहभागिता के आधार पर 12 प्रमुख परियोजनाएं आयोजित करेगा। उपलब्धि मिलते ही धीरे-धीरे कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता हमारी जनसंख्या के निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रणाली का एक अंग है तथा हमारी सामाजिक नीति का एक मूल-तत्व है। इस के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो कि इस प्रणाली की सामान्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 1700 पिछड़े ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अतिरिक्त सहायता के लिए तथा तीन लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों के निर्माण सम्बन्धी लागत के लिए 250 करोड रुपये के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है जिसमें वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए वृद्धि की जायेगी

खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु बजट-प्रावधान में, 250 करोड रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है । निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए भी 550 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है । यह आर्थिक सहायता 3 जुलाई 1991 को समाप्त कर दी गई थी । आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से आरम्भ हो रही है तथा इसका उद्देश्य दस वर्षों की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

1992 से आरम्भ हो रही है तथा इसका उद्देश्य दस वर्षों की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

आर्थिक सहायता (सबसिडी) आयोजना भिन्न, व्यय का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग होती है। पिछले वर्ष खाद्य, उर्वरक तथा निर्यात सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण आर्थिक सहायताएं थी तथा इसमें तीव्रता से बढ़ोतरी, आयोजना भिन्न व्यय में अनियन्त्रित वृद्धि होने का एक मुख्य कारण है, निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता समाप्त करने के बाद भी, आर्थिक सम्बन्धी अन्य प्रावधानों के लिए 480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार कीमतों के सम्बन्ध में पूर्ण जागरूकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग मुद्रा स्फीति का सामना करने और विशेष रूप से जनसंख्या के निर्धन वर्गों को ऊंची कीमतों और अभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जायेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी पहली जनवरी से देश के लगभग 1700 सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में नवीकृत संघ वितरण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। सरकार इसके लिए कृत संकल्प है कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएं निर्धनों तथा कमजोर व कम सुविधा प्राप्त लोगों तक पर्याप्त मात्रा में और वहनीय कीमतों पर पहुंचे।

सरकार औद्योगिक रुग्णता और संरचनात्मक सुधारों की समस्याओं से निपटते समय, कामगारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिससे प्रौद्योगिक परिवर्तन के मूल परिणामों से कामगारों की सुरक्षा प्राप्त होगी। निधि के अन्तर्गत, आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के फलस्वरूप कामगारों के पुनःप्रशिक्षण की पुनर्नियोजन की लागत वहन करने के लिए सहायता तथा साथ ही किसी औद्योगिक इकाई के पुनर्गठन द्वारा प्रभावित कामगारों की क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जायेगी। निधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि आयेगी। हस्तशिल्प व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक योजना बनाई गई है जिससे विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हो।

इन सबके अलावा कुछ अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। उदाहरण के लिए कच्चे रेशम पर 20 प्रतिशत, पांच किलो तक सोना के आयात शुल्क में 450 रुपये प्रति दस ग्राम की दर से, खेती के लिए तिलहनों और अन्य बीजों पर उपज के लिए सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। पालिस्टर कपड़े पर उत्पादन शुल्क 72 रुपये से 62 रुपये प्रति किलो कम तथा जूट के धागों पर उत्पादन शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मशीनों के आयात पर सीमा शुल्क 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत, 15 कीटनाशकों पर सीमा शुल्क 110 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। उत्पादन शुल्क एवं नमक कानून के अन्तर्गत लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अस्सी प्रतिशत से ज्यादा सीमा शुल्क की सभी दरों में 10 प्रतिशत की कमी की गई है।

कुल मिलाकर बजट में ग्रामीण विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से परिकल्पनाएं निहित हैं।

कमरा नं० 77
सर पी०सी०बनर्जी छात्रावास
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ०प्र०)–211001

ग्रामीण श्रमिक शिक्षा—दशा एवं दिशा

□ डा० अजय जोशी □

श्रमिक शिक्षा आज की महती आवश्यकता है। एक शिक्षित श्रमिक ही अपने कार्य को सही ढंग से समझ सकता है तथा उसे अच्छे ढंग से निष्पादित कर सकता है। शिक्षित श्रमिक ही अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति सजग रह सकता है। पर्याप्त शिक्षित व प्रशिक्षित श्रमिक जहां अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करता है वहीं वह अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहता है। उसका आसानी से शोषण करना संभव नहीं होता। यदि शोषण की स्थिति हो तो वह प्रभावी ढंग से अपनी आवाज उठा सकता है।

हमारे देश में जनसंख्या का तीन चौथाई से भी अधिक भाग गांवों में निवास करता है। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण श्रमिकों की संख्या में भी उनका अनुपात कम नहीं है। शहरी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक किसी न किसी रूप में शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वहां विभिन्न संस्थाओं द्वारा शिक्षण व प्रशिक्षण में सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन ग्रामीण श्रमिकों में शिक्षा का प्राय: अभाव पाया जाता है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण श्रमिक असंगठित रहते हैं तथा उनका शोषण करना भी अधिक आसान हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु उन्हें शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना नितांत आवश्यक है।

श्रमिक शिक्षा के प्रयास

श्रमिकों की शिक्षा की दिशा में भारत सरकार का श्रम मंत्रालय भी सजग है। श्रम मंत्रालय ने एक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। सन् 1958 में इस बोर्ड का गठन असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए किया गया था। बोर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बम्बई में भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (आई.आई. डब्ल्यू.ई.) कार्यरत है।

बोर्ड, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व यूनिट स्तर पर प्रशिक्षिण शिविर, कार्य शालाएं, विभिन्न पाठ्यक्रम आदि आयोजित करता है। यह ग्रामीण श्रमिक शिक्षा पर विशेष बल देता है। बोर्ड का ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम भूमिहीन श्रमिकों, कृषि कर्मकारों, सीमांत किसानों, मछुआरों, जनजाति के श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, वानिकी श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों हेतु होता है।

प्रगति

जनवरी से 31 दिसम्बर, 1990 तक श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिक शिक्षा हेतु 57 ग्रामीण शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। बोर्ड ने 3684 दो दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किये जिनमें 145,654 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया।

विभिन्न वर्गों के ग्रामीण श्रमिकों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु वर्षभर में काफी प्रयास हुए हैं। कुल 3684 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 81170 पुरुषों तथा 64484 महिलाओं को विभिन्न स्तरों में प्रशिक्षित किया गया है। ग्रामीण श्रमिकों के शिक्षण-प्रशिक्षण में महिला श्रमिकों की भागीदारी अच्छी बात है। वर्ष 1990-91 में शिविरों में कुल भाग लेने वाले श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत 44.27 है।

बोर्ड ग्रामीण श्रमिकों के शिक्षण हेतु तैयार शिक्षिकों के अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन भी करता है। एक वर्ष की अवधि में औसत 194 व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्पष्ट है कि ग्रामीण श्रमिकों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु जहां सरकार प्रयत्न कर रही है वहीं श्रमिक भी जागरूक हैं। वे बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इतना सब होते हुए भी ग्रामीण श्रमिकों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु किये गये प्रयास अभी पूरे प्रतीत नहीं होते। ग्रामीण श्रमिकों की संख्या काफी बड़ी है। ग्रामीण श्रमिक असंगठित हैं तथा देश के दूरदराज के गांवों में फैले हुए हैं। ग्रामीण श्रमिकों की ऐसी बड़ी संख्या है जिनको न तो शिक्षा प्राप्त है और न ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी। वे अभी भी अपनी परंपरागत शैली में बहुत कम मजदूरी या केवल दो समय के भोजन के लिये काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की समस्या का समाधान भी अभी नहीं हो पाया है।

संभावनाएं

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों के लिए श्रमिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अपर्याप्तता को देखते हुए ऐसे अधिकाधिक प्रशिक्षण शिविरों तथा शिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों की आवश्यकता है।

श्री जैन पी.जी. कालेज,
गंगाशहर, बीकानेर (राजस्थान)

ग्रामीण सड़कों की समस्या और समाधान

□ रामजी प्रसाद सिंह □

तेईस सौ वर्ष पहले चाणक्य (कौटिल्य) ने कहा था कि ऐसे गांवों में न बसें, जहां कोई महाजन (बैंक) न हो, जहाँ नदी (सिंचाई के साधन) न हो, जहाँ वैद्य न हो और जहाँ की गलियां टेढ़ी-मेढ़ी हों या सड़क-विहीन हों।

गांवों के लिए वैद्य, विथी, वापी और बैंक, जहां हजारों वर्ष पहले 'न्यूनतम आवश्यकता' समझी गयी थी, दुर्भाग्य से आजतक पूरी नहीं हुई है। लगभग 56 प्रतिशत गांव अभी भी सड़कों से वंचित हैं। यद्यपि सातवीं योजना काल में गांवों को सम्पर्क-मार्ग द्वारा प्रमुख पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्यक्रम में आशातीत सफलता मिली है।

सातवीं योजना-काल (1985-90) में 41,148 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी पूर्ति के बाद, सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या ग्रामीण विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1,00,311 हो गयी है। अभी करीब पांच लाख गांव सड़कों से वंचित हैं। इनमें अधिकांश छोटे-छोटे और बिखरे हुए गांव हैं और प्रत्येक को सड़क से जोड़ना कठिन और व्यय साध्य है।

छठी योजना काल में यह लक्ष्य रखा गया था कि डेढ़ हजार से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को और एक हजार से 1500 तक की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सातवीं योजना काल में पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा। किन्तु डेढ़ हजार से अधिक आबादी वाले 67,915 गांवों में से 60863 तथा 1000 से 1500 की आबादी वाले 57,859 गांवों में से केवल 39448 गांवों तक सड़क पहुंचायी जा सकी है। शेष गांवों को इस सदी के अंत तक सड़क से जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एन.वी. मीरानी के अनुसार 25000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। पर्याप्त जनसहयोग के बिना, सरकार के लिए इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध कराना संभव जान नहीं पड़ता।

ग्रामीण सड़क, यद्यपि राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आती है, फिर भी भारत सरकार ने 1980 में गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनायी और उसे 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के तहत शामिल किया। इसके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। छठी योजना काल में इस राशि में छः गुणी वृद्धि (1245 करोड़ रुपये) की गयी। लेकिन सातवीं योजना काल में सिर्फ 320 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था अर्थात् 1565 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। फलतः निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि योजना-परिव्यय बढाया जाये और प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ने की योजनायें व्यापक सर्वेक्षण के बाद बनायी जाएं, ताकि इसपर फिजूलखर्ची न हो और केवल नाम के लिए सड़कें न बनायी जायें। प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए करीब 13 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया हैं। यदि इनका निर्माण, पूर्व निर्धारित मास्टर प्लान के तहत किया जाता तो अब तक 60 प्रतिशत गांवों की, आवागमन की समस्या हल हो जाती। किन्तु अब तक केवल 44 प्रतिशत गांवों तक सड़क पहुंचायी गयी है।

अभी तक ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रखंड विकास समिति, जिला विकास समिति, जिला बोर्ड और सांसदों एवं विधायकों की सिफारिश अथवा बीस सूत्री कार्यक्रम की कार्यान्वयन समिति की सिफारिश पर होता है। इनकी सिफारिशें वैज्ञानिक आधार पर नहीं होती। इन समितियों में राजनीतिज्ञों का बाहुल्य होता है। स्वाभाविक तौर से वे अपनी कलम राजनीतिक लाभ-हानि की दृष्टि से उठाते हैं। नतीजा ग्रामीण सड़कों का निर्माण आर्थिक मानदंडों के आधार पर नहीं हो कर राजनीतिक आधार पर होना है। नतीजा यह हुआ है कि कई गांवों में चारों तरफ से सड़कें पहुंच गयी हैं तो कई गांव अछूते रह गये हैं।

पूर्व निर्धारित योजना के अभाव में गांवों में निर्मित सड़कों के निर्माण पर खर्च अधिक हुआ है और अनेक अनुपयोगी सड़कें बन गयी हैं। सड़कों के निर्माण से पहले जहां पुलों का निर्माण जरूरी था वहां केवल सड़कें बना दी गयीं। स्वभवतः उनका अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है।

सड़क-निर्माण के लिए सिंचाई, उद्योग और लोक निर्माण विभाग

के बीच तालमेल होना चाहिए और तीनों के परामर्श से सड़क निर्माण की योजना बननी चाहिए। ऐसा होने से सड़कें ऐसी बनेंगी, जो गांव में बाढ़-नियंत्रण, जल निकासी अथवा सिंचाई जल की सुरक्षा में काम आयें, सड़कों के किनारे की खाइयों का नहर या जलाशय के रूप में उपयोग हो। इसी तरह नदी-नालों के तटबन्धों (अंलगों) का उपयोग सड़क के रूप में किया जा सके। सड़कों के निर्माण में वन विभाग को भी रूचि लेनी चाहिए ताकि सड़कों के दोनों और पर्याप्त वृक्ष लगाए जायें। इससे सड़कें अधिक सुरक्षित हो जायेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से अधिक कठिन है उसकी सुरक्षा का प्रबंध। अक्सर लोग सिंचाई का जल एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए सड़कों को काट देते हैं। इसी कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। कहीं-कहीं सड़क की जमीन काटकर खेत में मिलने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। सड़क के किनारे के पेड़ों की कटाई भी आम बात है, इसलिए आवश्यक है कि सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा और मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के सुपुर्द की जानी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि ग्राम पंचायतों की आय के निश्चित स्रोत बनाये जाएं। हमारी लोक-व्यवस्था की सबसे नीचे की इस इकाई के वित्त-पोषण की जब तक सम्यक व्यवस्था नहीं होगी, गांवों की सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा और मरम्मत असम्भव होगी। इस दृष्टि से संसद में विचाराधीन, पंचायती राज विधेयक को पारित कराना अत्यावश्यक है।

परिवहन की सुविधाएँ, विकास की आधारशिला का काम करती हैं। गांवों में दैनिक जरूरत की चीजें, शहरों के मुकाबले अधिक दाम पर मिलती हैं, क्योंकि उनकी ढुलाई पर अधिक खर्च होता है। इसी तरह सड़क विहीन गांवों को अपने उपज का कम दाम मिलता है क्योंकि व्यापारी माल खरीदने के समय ढुलाई के खर्च को ध्यान में रखता है। इसलिए ग्रामवासियों के व्यापक हित में गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

छोटी-छोटी बस्तियों को सड़क से जोड़ने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ता हो तो उन्हें साईकिल चलाने योग्य पगडंडी से जोड़ देना चाहिए। गांवों में आवागमन के लिए साईकिल सबसे सस्ता साधन है।

गांवों में सड़कों के सहारे, बेरोजगार युवकों को अनेक प्रकार के धंधे सुलभ कराए जा सकते हैं। आवागमन का साधन होने से सड़कों के किनारे दैनिक जरूरत की चीजों की दुकानें लग जाती हैं, परिवहन उद्योग शुरू हो जाते हैं। साईकिल, बैलगाड़ी एक्का-गाड़ी इत्यादि चलने लगती हैं। टैक्सी, जीप आदि छोटे वाहनों की सेवाएं शुरू हो जाती हैं। इसके साथ भोजनालय, और जलपान गृह आदि भी शुरू हो जाते हैं।

आवागमन के साधनों में सुधार से गांवों में विकास के साथ-साथ सुरक्षा, बचाव और निगरानी के प्रबन्ध में भी सुधार होता है और सामुदायिक विकास, कृषि विकास और उद्योग विकास के अधिकारियों का आवागमन बढ़ जाता है व पुलिस की गश्त भी बढ़ जाती है। अधिकारियों के साथ समागम के फलस्वरूप जनजागृति बढ़ती है और गांवों के लिए आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है।

सड़कों के विस्तार के साथ-साथ ग्रामीण वाहनों में सुधार और नए वाहनों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

यह निर्विवाद है कि अभी कई दशकों तक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का अधिकांश भाग बैलगाड़ी वालों को संभालना होगा। अतएव देश में सुलभ करीब 18 लाख बैलगाड़ियों के डिजाईनों में सुधार किया जाना चाहिये। बैलगाड़ियों के धुरे में बॉल बेयरिंग और पहिये में टायर-ट्यूब लगाने से उनकी परिवहन क्षमता में तीन गुना की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह सुधरे हुए धुरों वाली ठेलागाड़ियों की ढुलाई की क्षमता भी बढ़ायी जा सकती है।

आज जिस गति से शहरों का वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जबकि डॉक्टर शहरों के निवासियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव जाने की सलाह देंगे। इस सिलसिले के शुरू होने के बाद गांव में आरोग्य स्थानों, उद्यानों और मनोरम वनस्थली के विकास की सम्भावनायें बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग पनप उठेगा।

गांवों में सड़कों के विस्तार से गांवों के स्वरूप बदलने शुरु हो गये हैं। नालन्दा जिले का एक गांव मुरगांवा इसका उदाहरण है जोकि लोक निर्माण विभाग की पक्की सड़क से छह कि.मी. की दूरी पर था। आज से 15 साल पहले वहां किसी के पास एक साईकिल भी नहीं थी। आज वहां सुबह 4 बजे से जिला मुख्यालय से बिहार शरीफ के लिए जीप गाड़ियां मिलनी शुरू हो गयी हैं। ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत करीब दो दर्जन घोड़ागाड़ियां भी चक्कर लगाती हैं। "जहां पहले भूत का डेरा" बताया जाता था वहां वाहनों के पड़ाव बन गये हैं। सुबह-सुबह

''गर्म चाय पी लो'' की आवाज गूंजती है, यद्यपि अभी उस सड़क में न तो पुल बने हैं और न ही उसपर पिच बिछाये गये हैं। दो कि.मी. में सडक अभी तक कच्ची है। ढाई किलोमीटर तक पिच (कालीकरण) हुआ था, परन्तु रेत की ढुलाई करने वाले ट्रेक्टरों के कारण, उसकी पिच साल भर में ही खराब हो गयी। इससे यह बात उजागर होती है कि ग्रामीण सड़कों का डिजाईन क्षेत्र-विशेष के परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाय। यह देखना होगा कि उस पर भारी वाहनों का आवागमन किस हद तक होगा। सड़कें उसी के अनुरूप मजबूत होनी चाहियें। घटिया किस्म की सड़कें तुरन्त बर्बाद हो जाती हैं।

पंजाब और हरियाणा में लगभग बीस वर्ष पहले सभी गांवों को सड़क से जोड दिया गया था किंतु आज यह महसूस किया जाता है कि अधिकांश गांवों में सडकों का फिर निर्माण करना होगा।

सड़कों से जुड़े गांवों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में निश्चय ही सुधार हुए हैं। यह बात राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की गवेषणाओं से सिद्ध हो गयी है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाई जमीन की होती है। जिन लोगों के गांव तक सड़क पहुंच जाती है वह नहीं चाहते कि वह सड़क उनके पीछे के गांव में पहुंचे। वे समझते हैं कि सड़क के आगे विस्तार से उनकी जमीन मुफ्त में चली जाएगी। सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये और किसी भी तरीके से जमीन उपलब्ध कर सड़क विस्तार का रास्ता साफ करना चाहिये।

आम तौर पर, ग्रामीण सडकों के लिये सरकार जमीनों का अधिग्रहण नहीं करती। इसके कारण सड़कें उन्हीं जमीनों में बनायी जाती हैं, जो सार्वजनिक जमीन होती है अथवा जिन जमीनों के मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन दान करते हैं। इस कारण, सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। नतीजा तीन कि०मी० की दूरी पर स्थित गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अक्सर छः कि०मी० की सड़क बनानी पड़ती है और सरकारी धन का अपव्यय होता है।

टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें यातायात की दृष्टि से भी अत्यन्त असुविधाजनक होती हैं। कई खतरनाक मोड़ बन जाते हैं, जिनपर तेज गाड़ियों के उतरने की संभावना हो जाती है। बड़ी बसों के आवागमन में रुकावट पैदा हो जाती है। अतएव ग्रामीण सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु, बजट में उपयुक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके कारण सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बढ़ेगा। जमीन अधिग्रहण के लिये जो राशि खर्च होगी, सड़क के निर्माण पर बच जायेगी। सीधी सड़कों के निर्माण से वाहनों में पेट्रोलियम की खपत घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये सरकार को यह शर्त रखनी चाहिये कि पहले उन्हीं गांवों में सड़क बनेगी जिन गांवों में लोग स्वेच्छा से जमीन दान करेंगे। साथ ही साथ, चकबंदी करने वाले अधिकारियों को आदेश देना चाहिये कि चकबंदी के कारण उपलब्ध फालतू जमीनों का एक ऐसा चक बनाया जाये कि गांव में एक सीमा से दूसरी सीमा तक के लिए सड़क की जमीन निकल जाए। जिन गांवों में चकबन्दी शुरू नहीं हुई है वहां की ग्रामीण पंचायतों को स्वतः चकबन्दी करके सड़क की जमीन निकालकर सरकार को सूचित करना चाहिए।

ग्रामीण सड़कों के वित्त पोषण के लिए पंजाब और हरियाणा की तरह बाजार में बिक्री के लिए आने वाली जिन्सों पर विशेष शुल्क लगाया जा सकता है अथवा गांवों में, पंचायतों के मार्फत ऋण उठाया जा सकता है।

वर्तमान समय में ग्रामीण सड़कों के लिए प्रतिवर्ष 500 से 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। यदि यही दर कायम रही तो सभी गांवों को सडक से जोड़ने का लक्ष्य पूरा होने में 30-35 वर्ष का समय और लगेगा। इसलिए जरुरी है कि ग्रामीण सड़कों के लिए विशेष कोष बनाया जाय।

सभी गांवों में हर मौसम में काम आने वाली सड़क सुलभ कराने के लिए जरुरी है कि सड़कों का निर्माण-खर्च घटाने के लिए नयी औद्योगिकी का विकास किया जाये। यथासंभव स्थानीय तौर पर उपलब्ध रेत, बालू और पत्थरों के इस्तेमाल किये जाये। मिट्टी का काम यथासंभव श्रमदान द्वारा कराया जाये। ग्रामीण सड़कों का निर्माण ठेकेदारों से कराने के बजाय पंचायतों या सहकारी समितियों द्वारा कराया जाये अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा। इसके साथ ही प्रत्येक जिले की ग्रामीण सड़कों का मास्टर-प्लान तैयार किया जाय और इसे सदी के अंत तक कार्यान्वित कर सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाय।

B/2B-285 जनकपुरी
नई दिल्ली-110058

भारत में मत्स्य सम्पदा एवं संरक्षण

□ डा० पुष्पेश पाण्डे □

मछली पकड़ना हमारे देश में कृषि की तरह ही एक उद्यम है । मछली के मामले में हमारा देश दुनिया में छठे और सातवें स्थान के बीच झूलता रहा है । देश में कोई 10 करोड़ लोग मछली खाते हैं । लगभग 53.8 लाख लोग मछली पकड़ने और पालने के पेशे में हैं, जिनमें से 32.8 लाख लोग तटवर्ती इलाकों में और शेष नदियों, झीलों और पोखरों के किनारे बसे हैं । कुल मछुवारों का 30 प्रतिशत केरल में हैं, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है ।

समुद्र के खारे पानी के अलावा मीठे पानी में मछली पालन के मामले में हम दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं । देश की प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ, नहरें आदि लगभग 1,40,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं । झील और दूसरे जलाशय 29 लाख हेक्टेयर जमीन में हैं । इसके अलावा मछली पालन के योग्य कृषि भूमि लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है जिसमें से 38 प्रतिशत में या 6 लाख हेक्टेयर में मछली पाली जा रही है ।

देश में मछली का कुल उत्पादन लगभग 29 लाख टन होता है । हालांकि मछलियों का उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है, मगर मत्स्य संपदा की दुर्गति भी हुई है । अतः आज संपदा के संरक्षण पर सरकार द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है । इस सम्पदा के संरक्षण से तात्पर्य है कि मत्स्य आखेट की क्रिया सीमित हो व जल प्रदूषण मुक्त हो जिसके फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन निरन्तर अधिक मात्रा में होता रहे एवं मछलियों की प्रजातियां निरन्तर अस्तित्व में रहें । विशेषज्ञों की राय में मत्स्य सम्पदा की हानि के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :—

1. **शिक्षा का अभाव :—** मत्स्य सम्पदा के ह्रास के कारणों में यह एक प्रमुख कारण है । देश के मछुवारों की 85 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है । इनमें शिक्षा का नितांत अभाव है । मछुआरे अनपढ़ व मत्स्य पालन के अनेक तथ्यों से अनभिज्ञ होने के कारण या पूँजीपति/ठेकेदारों की लालचीवृत्ति के कारण अनियन्त्रित रूप से मत्स्य सम्पदा जल से निकालते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम के रूप में उस क्षेत्र से अनेक मछलियों की प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं ।

2. **विस्फोटक व जहरीले पदार्थों का प्रयोग :—** स्थानीय मछुआरों के द्वारा सीमित गहरे जल में अधिक मछलियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग जल में किया जाता है जिससे जल क्षेत्र में रहने वाली मछलियाँ मर कर या घायल होकर सतह पर आ जाती हैं । विस्फोटक पदार्थों के अतिरिक्त मछुआरों के द्वारा विष प्रयोग करके भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जिससे मत्स्य संपदा का निरन्तर ह्रास हो जाता है ।

3. **अनियमित जालों का प्रयोग :—** अधिक से अधिक मछलियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से मछुआरों व ठेकेदारों द्वारा सबसे छोटे छेदों के जालों का प्रयोग किया जाता है । जिससे अपरिपक्व व छोटी मछलियाँ भी जाल में फँस जाती हैं । इस प्रकार मछलियाँ प्रजनन नहीं कर पाती और आगामी वर्षों में मत्स्य वृद्धि में बहुत कमी हो सकती है ।

4. **असमय में आखेट :—** मछलियों का प्रजनन काल जुलाई से सितम्बर तक होता है एवं नदियों व जलाशयों के उथले क्षेत्र में यह अंडे देती हैं । प्रजनन के समय ऐसे स्थानों पर प्रौढ़ मछलियाँ अधिक रहती हैं, इसका फायदा लेने हेतु मछुआरे वहां जाकर मनमाने ढंग से आखेट कर लेते हैं । इससे जहां बड़ी मछलियों की संख्या कम हो जाती है, वहीं दूसरी मत्स्य बीज व अंगुलिमीन का भी ह्रास होता है ।

5. **बड़े बाँध :—** मछलियों पर कहर ढाने वाले कारकों में बड़े-बड़े बाँध भी हैं । ये मछलियों के आव्रजन में अड़चन बनते हैं । मछलियाँ अंडे देने और पालने के लिए अपने निश्चित स्थान तक जा नहीं पाती हैं । आव्रजन के बंद होने से हमेशा के लिए मछलियों की संख्या घट सकती है । नदियों पर बाँध-बाँधने से नदी के निचले प्रवाह का गुण भी बिगड़ता है । अक्सर गहरे जलाशय में जो पानी बाहर छोड़ते हैं, उसमें आक्सीजन की मात्रा कम, कार्बनडाई-आक्साइड ज्यादा और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी कई गैसें होती हैं, जो नदी के निचले हिस्से की मछलियों को मारती हैं । बांधों से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा भी कम ज्यादा होती रहती है । इसलिए मछलियाँ

का स्थान भी घटता-बढ़ता रहता है, उनके अंडे देने के क्षेत्र और नदी की ही मछली उत्पादन क्षमता पर आघात पहुंचता हैं।

6. **विद्युत द्वारा मत्स्य आखेट :—** विद्युत द्वारा मत्स्य आखेट की नई विधि अपनाई जा रही है, लेकिन इससे मत्स्य सम्पदा का ह्रास हो रहा है क्योंकि विद्युत द्वारा आखेट करते समय बड़ी मछलियों के साथ-साथ अपरिपक्व व प्रजनन योग्य मछलियाँ भी जाल में फँस जाती हैं और भविष्य में उस प्रजाति की मछली का निरन्तर क्षय होने की सम्भावना बनी रहती है।

7. **जल-प्रदूषण :—** औद्योगीकरण के कारण कल-कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों ने जल में घुलकर मत्स्य सम्पदा की समृद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज देश में एक भी नदी मछलियों के लिए अनुकूल नहीं बची है। गंगा के किनारे बसे कोई 1500 उद्योग रोज अपने जहरीले पानी को नदी में बहाते हैं। यमुना के किनारों पर लगे उद्योग 60 डिग्री सें०ग्रे० गरम पानी यमुना में छोड़ते हैं जिससे मछलियों का जीना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में काली नदी में 24 चीनी के कारखानों की गंदगी गिराई जाती है। एक बार तो इस नदी में 160 कि.मी की दूरी तक पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण 30 टन मछलियाँ मर गई थी। चम्बल की लगभग सभी उप नदियां-छोटी हों या बड़ी, बेहद प्रदूषित हो गई हैं और वहां मछलियां बिल्कुल कम हो गई हैं। कागज और लुगदी के कारखानें, रासायनिक कम्पनियाँ, चीनी, सीमेंट तथा अन्य कई उद्योग सोन नदी में रोज कई लाख गैलन गंदा पानी छोड़ रहे हैं जिससे इसमें मछलियों ने प्रजनन हेतु प्रवास बंद कर दिया है। दामोदर, हुगली, भद्रा, गोदावरी, कावेरी, सभी की एक सी बुरी हालत है। प्रदूषित नदी अपनी मछलियों को ले ही डूबती है, जब वह समुद्र में मिलती है तो उससे वहाँ की मछलियों पर असर पड़ता है।

8. **यूट्रोफिकेशन :—** तालाबों, पोखरों व सीमित जल क्षेत्र में प्रदूषण के कारण यह समस्या जन्म लेती है व जलक्षेत्र दलदल के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं एवं कुछ समय बाद सूख जाते हैं। इस प्रकार उसमें रहने वाली मत्स्य संपदा का विनाश होने लगता है।

9. **वातावरण के कारणों में परिवर्तन :—** मछलियों की विशेष प्रजाति एक विशेष वातावरण में ही प्रजनन करती है, परन्तु वातावरण के स्वतः या कृत्रिम रुप से बदलते रहने के कारण मछली का प्रजनन क्षेत्र समाप्त होने से वह अंडे देना बंद कर देती हैं और धीरे-धीरे वह प्रजाति विलुप्त होने लगती है।

मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु सुझाव — मत्स्य सम्पदा को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, नियम बनाये गये हैं तथा ये नियम अनेक वैधानिक कमियों के कारण, परिणित नहीं हो पाते हैं। अतः इन वैधानिक कमियों को दूर करना आवश्यक है। साथ ही जो दंड निर्धारित किये गये हैं, उनके अपराध सिद्ध करने जटिल हैं परन्तु दण्ड इतने हल्के हैं कि अवैधानिक मत्स्य आखेट करने वाले उनकी परवाह नहीं करते हैं एवं जुर्माने से अधिक वह आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इन नियमों का पालन कराने वाले कर्मचारियों को भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए कर्मचारियों के अपूर्ण ज्ञान व वैधानिक कमियों का फायदा मत्स्य आखेटक को मिलता है एवं मनमाने ढंग से यंत्र व साधन प्रयोग कर आखेट करते हैं। अतः वैधानिक कमियों को समाप्त करना व मत्स्य कर्मचारियों को नियमों का ज्ञान, प्रशिक्षण के साथ कराना, आवश्यक है। बांध भी मत्स्य सम्पदा पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं, यद्यपि इनका प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं रहता, बल्कि धीरे-धीरे होता है। अतः बांधों में प्रजनन प्रवास हेतु फिश-पास का निर्माण होना चाहिए जिससे प्रजनन के द्वारा मछलियों की संख्या निरन्तर बढ़ती रहे।

नदियों, जलाशयों व तालाबों में मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के पूर्ण उपचार हेतु शोधन संयंत्र स्थापित होने चाहिये ताकि इन अपशिष्टों से जल का पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित न होने पाए।

सीमित व बंधे जल क्षेत्रों की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत उनकी सफाई होती रहनी चाहिए ताकि जलीय पादप अनावश्यक वृद्धि कर उसका युट्रोफिकेशन के द्वारा विनाश न कर सकें।

प्रजनन काल जुलाई से सितम्बर तक, निजी व अन्य किसी के आधिपत्य में रहने वाले जलक्षेत्रों में मछलियों के पकड़ने पर रोक लगानी चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करना चाहिए कि कम से कम समय में मत्स्य उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।

निःसन्देह सागर से लेकर एक छोटे से पोखरे तक की मछली केवल मछली होने के नाते भी संरक्षणीय है, पर जब वह समाज के एक हिस्से के जीवन का, उनकी थाली का भी अंग हो तो उसकी चिन्ता करने का दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा हो जाता है। मत्स्य पालन से प्राप्त उत्पादनों के आर्थिक महत्व को देखते हुए व मत्स्य सम्पदा को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के संचालित

शेष पृष्ठ 36 पर

ग्रामीण एवं लघु उद्योग और नियोजन काल

□ डा० सी०एम० चौधरी □

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लघु उद्योग क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हुआ है । औद्योगिक नीति 1948 तथा 1956 में अधिक रोजगार सृजन करने एवं निम्न पूंजी निवेश के कारण इस क्षेत्र को विशेष स्थान दिया गया । 1977 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया — प्रथम, वे इकाइयां जिनमें शक्ति का प्रयोग किया जाता था तथा 50 व्यक्तियों से कम कार्यरत थे तथा द्वितीय, वे इकाइयां जिनमें शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता था लेकिन 100 व्यक्तियों से कम कार्यरत थे । इन सभी में 5 लाख रुपये तक का पूँजी निवेश था । औद्योगिक नीति 1990 के अनुसार लघु औद्योगिक इकाई के निवेश की सीमा 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है जबकि ऐसी इकाइयाँ जिनकी स्थापना के तीसरे वर्ष से ही उनके उत्पादन का 30 प्रतिशत निर्यात किया जायेगा, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है ।

औद्योगिक नीति 1991 के अन्तर्गत संयन्त्र तथा मशीन में निवेश की सीमायें निर्धारित की गई हैं । लघु पैमाने के उद्योगों के लिए 60 लाख रुपये, सहायक इकाइयों तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए क्रमशः 75 लाख रुपये एवं 75 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। अति अल्पकालीन उपक्रमों हेतु यह सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र हेतु क्रमशः 42 करोड़ रुपये तथा 187 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे । तीसरी योजना तथा तीन वार्षिक योजनाओं में क्रमशः 241 करोड़ रुपये तथा 132 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

विभिन्न योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य इनको बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना था । लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के कारण इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकी है और बड़े शहरों में बड़े उद्योगों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को भी नहीं रोका जा सकता है । इस योजनाकाल में 251 करोड़ रुपये कम किये गये ।

पांचवी योजना में इस क्षेत्र के विकास के महत्व को स्वीकार किया गया जिससे कि निर्धनता की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें तथा उनके उपयोग स्तर को उठाया जा सके ।

संशोधित पांचवी योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में 510 करोड़ रुपये आवन्टित किये गये । इस क्षेत्र का उत्पादन 1974-75 में 538 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1977-78 में 1000 रुपये हो गया ।

छठी योजना (1980-85) —इस योजना में इस क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये ।

(1) उत्पादन तथा आय के स्तरों में वृद्धि करना । इसके लिए दक्षता, तकनीकी तथा उत्पादोन्मुखी विपणन जैसे उपाय काम में लेने पर जोर दिया ।

(2) विकेन्द्रित आधार पर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना।

(3) संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करके निर्माणकारी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना ।

(4) उचित प्रशिक्षण तथा प्रेरणाओं द्वारा उद्यमियों हेतु आधार तैयार करना।

(5) लाभकारी स्थिति तैयार करके ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को तेजी से विकास करते हुए उनकी अनुदान पर निर्भरता कम करना ।

(6) निर्यात प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रयास करना ।

इस योजना में लघु उद्योगों के लिए 1780 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन वास्तविक व्यय 1952 करोड़ रुपये हुआ । इस योजना काल में उत्पादन 33538 करोड़ रुपये से बढ़कर 65730 करोड़ रुपये हुआ । निर्यात 2281 करोड़ रुपये से 4558 करोड़ रुपये तथा रोजगार में 234 लाख व्यक्तियों से 315 लाख व्यक्ति हो गये ।

सातवीं योजना 1985-90 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के योजना में निम्नलिखित उद्देश्य थे :-

(1) विकास तथा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता करना

(2) दस्तकारों की आय में वृद्धि करना ।

(3) स्थानीय दक्षता तथा संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं की नियमित पूर्ति करना ।

(4) उत्पादन के सुधरे हुए तरीकों से उत्पादकता का विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना काल में निम्न व्यूहरचना का समावेश किया गया —

(1) उन्नत तकनीकी एवं आधुनिकीकरण से उत्पादकता में सुधार, अच्छी किस्म, निम्न लागत तथा उत्पाद मिश्रण की संरचना प्राप्त करना।

(2) विद्यमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये, साख, शक्ति तथा कच्चे माल जैसे आदानों की समुचित पूर्ति करना।

(3) प्रचार, प्रमाणीकरण, सरकारी कार्यक्रमों की सहभागिता तथा बाजार सहयोग के माध्यम से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के हिस्से में वृद्धि करना।

(4) सहायक उद्योगों के कार्यक्रमों का सदृढ़ीकरण करके बड़े तथा लघु उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना जिससे कि समग्र औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो सके।

(5) उत्पादन तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देना।

(6) स्व-नियोजन के अवसरों में वृद्धि करने हेतु दक्षता, उद्यमशीलता तथा प्रबन्ध का आधार तैयार करना।

इस योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 2752 करोड रुपये का प्रावधान था जो कि कुल व्यय का 1.5 प्रतिशत था। इस व्यय में से खादी तथा ग्रामोद्योग पर 636 करोड़ रुपये, हाथकरघा पर 512 करोड़ रुपये, चटाई पर 39 करोड़ रुपये तथा सेरीकल्चर पर 310 करोड़ रुपये, औद्योगिक जायदाद सहित लघु पैमाने के उद्योगों पर 1121 करोड़ रुपये, हस्तकला पर 123 करोड़ रुपये, शक्ति करघे पर 12 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। परम्परागत उद्योगों का उत्पादन इस योजना में 7726 करोड़ रुपये से बढ़कर 11760 करोड़ रुपये होने का अनुमान था जबकि रोजगार 165 लाख से बढ़कर 217 लाख होने की संभावना थी। इस अवधि में विदेशी विनिमय का अर्जन 2208 करोड़ रुपये से बढ़कर 3304 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

निष्कर्ष : इस प्रकार ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास से न केवल उद्योगों का विकेन्द्रीकरण ही होगा बल्कि कम पूंजी निवेश से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा न हो इसके लिए घोषित मदों में वृद्धि की जानी चाहिए तथा पूर्णतया इनका उत्पादन ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में ही किया जाये। लघु उद्योग विकास बैंक के गठन से आवश्यकता पर आधारित अधिक मात्रा में साख की पूर्ति व्यापारिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा सकेगी। गतवर्ष उदारीकरण की नीति तथा अन्य आर्थिक सुधारों के माध्यम से यह क्षेत्र और अधिक सुदृढ़ आधार पर विकसित हो सकेगा। अति अल्प क्षेत्र के विकास से औद्योगिक रुग्णता जैसी बुराई दूर की जा सकेगी तथा अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन हो सकेगा।

सह-प्रोफेसर (रीडर)

1347 जय पथ

बरकत नगर

जयपुर — **302015**

पृष्ठ 34 का शेष

अनुसंधान केन्द्रों के द्वारा अनुसन्धान किये जा रहे हैं। सच तो यह है कि सही तकनीक, ज्ञान और मेहनत के बल पर देश में मत्स्य सम्पदा के विकास की बहुत गुंजाइश है और मत्स्य कर्मचारी जो मत्स्य पालकों के सीधे सम्पर्क में रहते हैं, मत्स्य विस्तार व विकास की प्रथम सीढ़ी हैं। अतः यह सरकार के विस्तार व विकास कार्यक्रम, दोनों की आपसी सूझबूझ से ही सम्भव है।

स्मृति कुंज,

माला भवन,

अल्मोड़ा (उ०प्र०)

पिन -263 601

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कितना व्यवहारिक

□ कृष्ण स्वरूप शर्मा □

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के उत्थान के आर्थिक कार्यक्रम के उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा अधिकांश मूल्यांकन के निष्कर्षों में पाया जा रहा है । अति अल्प ग्रामीण ही गरीबी रेखा पार कर पाये हैं । हम इसके लिए कभी बैंक, कभी शासकीय तंत्र और कभी हितग्राही स्वयं को उत्तरदायी मानते रहे हैं ।

इस कार्यक्रम के व्यवहारिक रूप से मुख्य विषय लक्ष्य, पूर्ति एवं मूल्यांकन आदि ही हैं । गति लाने के लिए वितरण शिविर, सूचना शिविर आदि भी आयोजित किये जा रहे हैं जिनका परोक्ष उद्देश्य अधिकारी, मंत्री आदि को खुश करने का ही रहता है । इन शिविरों से अथवा अभी तक के क्रियान्वयन से हितग्राही सीधा-रुपया खाना ही सीख पाया है या सिखाया गया है । उसे यह तो विदित हो गया है कि शासन धन दे सकता है अब उसे एक आर्थिक प्रबंधन के प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि उसमें उद्यमिता जागृत हो जाए ताकि वह विश्वासपूर्वक आय-अर्जित कर सके ।

सर्वोच्च प्राथमिकता है

निर्धन, निरक्षर, निरूत्साही और निराश व्यक्ति को जागरूक एवं सजग बनाने की आवश्यकता है । स०ग्रा०वि०का० के मार्गदर्शी (मैनुअल) में जागरूकता का उल्लेख है परन्तु उपेक्षित भाव मे और क्रियान्वयन नगण्य अथवा दिखावा मात्र, प्रत्येक व्यक्ति को जिसे एक आर्थिक योजना का क्रियान्वयन करना है, सामान्यत: एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

अनेकानेक व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी देश, विदेश, नगरों एवं शहरों में सेमीनार, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं परन्तु उस गरीब के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है जिसके उद्धार हेतु सभी चिन्तित हैं और जिसके नाम पर तमाम सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं । हाँ, इस कार्यक्रम का इतना शोर अवश्य कर दिया है कि आम आदमी ''मनी ईटर'' होता जा रहा न कि ''मनी ग्रोअर''।

पहले से कोई प्रयोजन, सपना या कार्यक्रम का निश्चय न होने के कारण हितग्राही प्राप्त धनराशि अपनी निजी तात्कालिक आवश्यकतानुसार अन्य प्रयोजन में व्यय कर देता है जिसके परिणामस्वरूप धन का दुरुपयोग हो जाता है ।

क्या करें ? कैसे करें ? कब करें ?

योजना के क्रियान्वयन के दोषों को गिनाना ही उद्देश्य नहीं है अपितु एक विकल्प भी प्रस्तुत है जो योजना के क्रियान्वयन का प्रथम चरण होना चाहिए ।

(1) क्या करें — हितग्राही को शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा जागरूक एवं उद्यमी बनाना ताकि वह शासन की आर्थिक योजनाओं का लाभ उठा सकें ।

(2) कैसे करें — प्रथमत: स०ग्रा०वि०का० सर्वेक्षण से हितग्राही के निम्न वर्गीकरण की पहचान करना होगा —

हितग्राही

(क) निरक्षर — (1) उत्साही (2) निरूत्साही

(ख) साक्षर — (1) उत्साही (2) निरूत्साही

सभी चयनित हितग्राहियों को उक्त वर्गीकरण में विभाजित कर लिया जाए । वर्ग ''क'' अर्थात निरक्षर हितग्राहियों को शिक्षित बनाने का कार्यक्रम भी स०ग्रा०वि०का० का ही एक अंग होना चाहिए ।

शिक्षण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता विकसित करने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षण सत्र चलाने की आवश्यकता होगी ।

कार्यक्रम —

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रशिक्षणावधि
1. शिक्षण—	प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम में निरक्षर हितग्राहियों को शिक्षित बनाना । तत्पश्चात आगामी प्रशिक्षण में भेजना ।	45 दिवस
2. प्रशिक्षण-	ट्राइसेम मैनुअल के निर्देश क्रमांक 11.5 में वर्णित विषयों का ज्ञान कराना ।	
विषय—	(1) बुक कीपिंग (2) विपणन का साधारण ज्ञान (3) उत्पादन की लागत निर्धारण का ज्ञान (4) उद्यम सम्बन्धी सहायक एजेन्सियों का ज्ञान (5) बैंकों द्वारा परियोजना की वित्तीय सहायता ।	08 दिवस
3. जागरूकता-	व्यवसाय का चयन कर उसका व्यवहारिक, ज्ञान के साथ प्रकरण तैयार करना । सभी प्रकरण सम्बन्धी पूर्तियों का ज्ञान तथा उन्हें पूरा करना	07दिवस
		60दिवस

यह प्रशिक्षण अवधि ट्राइसेम के समान ही वित्तीय पोषित होनी चाहिए। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण ट्राइसेम के अंतर्गत पृथक है। ये दोनों ही एक के पश्चात एक निरन्तरता से चलते रहें ।

व्यवस्था - (क) भौतिक व्यवस्था

(1) शिक्षण की—प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम चार केन्द्रों पर 45 दिवसीय सघन शिक्षण सत्र में सभी निरक्षर एवं अशिक्षितों को शिक्षित बनाया जाए । इसमें प्रौढ़ शिक्षा जैसे विभागों का सार्थक उपयोग किया जा सकता है ।

(2) प्रशिक्षण की—ट्राइसेम से संबंधित सभी संस्थाओं में यह 8 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा सकता है । इन संस्थाओं में उद्योग, कृषि, सहकारिता, बैंक एवं विपणन जैसे विभागों के विशेषज्ञ अधिकारियों की सेवायें भी ली जाएं । मार्गदर्शन निर्देश क्र० 11.5 के अनुरूप हितग्राही को सरल भाषा में प्रशिक्षण करा सकें ।

(3) जागरूकता की—(अ) विकास, कृषि, उद्यान, रेशम, मत्स्य, उद्योग, बैंक, वन, विद्युत एवं सहकारिता आदि विभाग से सभी जानकारी देकर एवं आवश्यक सहयोग से हितग्राही को पूर्ण रूपेण जागरूक बनाकर वित्तीय सहायता दिलवाना ।

(आ) व्यवहारिक एवं व्यवसायिक ज्ञान के लिए किसी सफल हितग्राही के अनुभव का ज्ञान भी कराया जाए ।

होशंगाबाद जिले में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं स्वशासी संस्थाओं में उक्त प्रशिक्षण-सत्र आयोजित किये जाते हैं । 15-15 दिवसीय इतने प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं कि प्रत्येक संस्था में लगभग 500-600 हितग्राही प्रशिक्षित हो सकें । इस प्रकार आसानी से 4500 से 5000 हितग्राहियों को लक्ष्यानुसार प्रशिक्षित किया जा सकता है । इस प्रकार की संस्थाएं लगभग प्रत्येक जिले में हैं।

(ख) आर्थिक व्यवस्था

(1) उपभोक्ता ऋण— प्रशिक्षणरत प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये उपभोक्ता ऋण हितग्राहियों को दिये जाने का प्रावधान है ।

(2) छात्रवृत्ति—15 दिन की उक्त प्रशिक्षणावधि में ट्राइसेम मापदंड के अनरूप छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए ।

स०ग्रा०वि०का० के लगभग सभी हितग्राहियों के प्रशिक्षण प्रवेश के पश्चात उपभोक्ता ऋण दिया जाए ताकि वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त होकर ट्राइसेम छात्रवृत्ति से अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकें ।

पूर्ण रुपेण तैयार, तत्पर, सजग एवं योजनाबद्ध हितग्राहियों को बैंक ऋण देगा ही साथ ही सफलता की संभावनाएं भी प्रबल होंगी।

(3) कब करें —

हितग्राहियों के प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता का समयबद्ध कार्यक्रमः—

क्र०	माह	कार्य जो करने हैं ।	किये जाने वाले कार्य का प्रतिशत	
			प्रशिक्षण	ऋण वितरण
1.	अप्रैल	लक्ष्यानुसार सभी हितग्राहीयों का चयन, पहचान सूचीकरण एवं वर्गीकरण आदि ।	100%	—
2.	मई-जून	प्रशिक्षण एवं वितरण	40%	15%
3.	जुलाई-अगस्त	प्रशिक्षण/मई-जून में प्रशिक्षत हितग्राहियों को ऋण वितरण	10%	20%
4.	सितम्बर-अक्टूबर	प्रशिक्षण/वितरण	10%	25%
5.	नवम्बर दिसम्बर	प्रशिक्षण/वितरण	30%	30%
6.	जनवरी-फरवरी	प्रशिक्षण/वितरण	10%	10%
7.	मार्च	प्रगति समीक्षा/कार्यालयीन एवं लेखा संबंधी कार्य	—	—
			100%	100%

सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
होशंगाबाद (म.प्र.)

घास ही काटें : अंगुलियां न काटें

□ इसरार हसन कादरी □

आज विज्ञान के दौर में मानव ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस तरक्की में प्रत्येक कार्य में जितनी आसानी हुई तो वहीं उससे ज्यादा समस्याएं भी पैदा हुई हैं । जैसे घास काटने की मशीनों से जहां काम में आसानी हुई है, तो वहीं मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग ने गंभीर समस्याओं को भी पैदा किया है।

आये दिन समाचारों में पढ़ने को मिलता हैं कि फलां गांव में महिला/आदमी की घास काटते समय हाथ की कुछ उंगलियां या हाथ की सभी उंगलियां कट गईं । घास सीमा से अधिक काटने से समस्याएं बढ़ती हैं । अगर इसके नियमों का पालन किया जाए तो समस्याओं का समाधान आसानी के साथ हो सकता है । इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत है घास काटने की मशीन "चैक कटर" से होने वाली दुर्घटनाएं और इसके बचाव के उपाय ।

हाथ के गंडासे के सीधे सम्पर्क में आये बिना, एक साथ ही अधिक से अधिक घास काटने के उद्देश्य से घास काटने की हाथ से चलने वाली मशीन "चैक कटर" का निर्माण किया गया । इसमें विशेष तौर से एक फ्लाई व्हील, दो गंडासे, गियर, बॉडी, खांचेदार रोलर, स्टेंड, हत्था तथा परनाला होता है । इसमें परनाले के ऊपर कटने वाला घास रखते है । जो दो खांचेदार रोलरों के बीच से होकर आगे की तरफ जाता है । हत्थे की सहायता से फ्लाई व्हील घुमाते हैं तथा उस पर लगे गंडासे घास काटने का काम करते हैं।

विज्ञान के दौर में जैसे-जैसे इस मशीन की मांग बढ़ी है, उसी के साथ दुर्घटनाएं भी सामने आने लगी हैं । इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये समय-समय पर विचार विमर्श होते हैं, लेकिन इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 1979 में केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरी संस्थान भोपाल के निदेशक प्रोफेसर ए.सी. पांड्या की अध्यक्षता में दुर्घटना के कारण व उसके बचाव के उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने अपने अध्ययन में यह पाया कि अत्यधिक मात्रा में दुर्घटनाएं गंडासे तथा खांचेदार रोलरों से होती हैं या फिर पट्टा पुली आदि से होती हैं । देखने में अक्सर आता है कि मशीन की फ्लाई व्हील ज्यादातर खुली रहती है और अक्सर बच्चे हत्था चला कर भी इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। जिससे खेल-खेल या मजाक करते समय तेज धारवाले गंडासे से उंगलियां कट जाती हैं।

कई-कई बार तो घास लगाते समय ज्यादा मात्रा में घास की कटाई करने के लालच में रोलर के पास अपने हाथ रख कर परनाले पर रखे घास को दबाते हैं, जिससे दोनों रोलरों के बीच में घास आ सके। इस स्थिति में थोड़ी सी असावधानी बरतने के परिणामस्वरूप हाथ दोनों रोलरों के बीच में आकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो इसी के साथ गंडासे से उंगलियां कट कर अलग हो जाती हैं। अगर हाथ फंस जाये और शीघ्रता के साथ फ्लाई व्हील को उल्टा चला दिया जाए तो हाथ करीब-करीब बच जाते हैं, लेकिन उंगलियां अक्सर इस तरह दब जाती हैं जो कि बेकार होकर रह जाती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सामान्य सुरक्षा बातों के साथ-साथ निर्माताओं तथा उपयोग करने वालों के लिये निम्न सुझावों पर अमल किया जाये तो इससे होने वाली दुर्घटनाओं से आसानी के साथ बचा जा सकता है ।

घास काटने वाले लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि मशीन के घूमते वाले हिस्सों को जहां तक हो सके सुरक्षा कवच से ढक दिया जाये और गंडासे का ऊपरी भाग जो घास को काटता है उसे प्लास्टिक के ढक्कन से ढक दें, ताकि गंडासे पर हाथ लगने पर हाथ कट न सकें । जिस समय घास काटना हो, तभी ढक्कन को हटायें। काम करने के बाद शीघ्र ढक्कन को लगा दें। जिस समय काम न किया जा रहा हो तो फ्लाई व्हील को स्टैण्ड के साथ मजबूती से कस दें ताकि वह हिल न सकें । इसके लिये स्टेण्ड में तथा फ्लाई व्हील में एक-एक छेद इस तरह से बना दें कि दोनों को मिलाते हुए एक नट बोल्ट की सहायता से आसानी के साथ कसा जा सके। जिस स्थान से घास लगाया जाता है वहां परनाले की लम्बाई कम से कम 90 से.मी. तथा फीड रोलर की तरफ का हिस्सा करीब-करीब 45 से.मी. ढका होना चाहिए, ताकि हाथ किसी भी स्थिति में रोलरों के नजदीक न आ पाये । घास को लगाते समय किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो, इसलिये इसे 25 से 30 अंश के ढाल पर ही रखे । मशीन पर सुरक्षा सम्बन्धी उपलब्ध तथा कुछ हिदायतें जैसे

गार्डस को न निकालें तथा न ही उनके साथ किसी प्रकार की हरकत करें, और ध्यान रहे कि मशीन के चलते पट्टों को न छुएं तथा न ही उन्हें लांघे। मशीन पर काम करते समय किसी भी प्रकार की नशीली चीज का सेवन न करें और न काम करते समय किसी प्रकार की हंसी मजाक करें। मशीन के चलते समय उसकी खराबी को ठीक न करें आदि बातें किसान भाइयों को ध्यान होनी चाहिए। इसके साथ-साथ बड़ी-बड़ी शक्तिचालित मशीनों में खांचेदार रोलरों को उल्टा चलाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से भी आसानी के साथ बचा जा सके।

भारतीय मानक संस्था की तकनीकी समिति द्वारा घास को काटने की मशीन पर जो भारतीय मानक बनाये हुए हैं उसमें गंडासे की गुणवत्ता तथा निर्माण सामग्री, कड़ापन आदि जरूरी बातें, परीक्षण के समय उसे तैयार करने का ढंग, परीक्षण पूर्व अवलोकन शक्ति, कार्य क्षमता आदि ज्ञात करने का तरीका बताया गया है तथा सुरक्षा संबंधी उपबन्धों के परीक्षण पर विशेष बल दिया गया है।

अब इस दिशा में लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं कई प्रशिक्षण केन्द्र जैसे प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम मिस्त्री प्रशिक्षण केन्द्र, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र आदि निर्माताओं एवं किसानों को उनके दायित्वों से भलीभांति परिचित कराकर ग्राम उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

कसावान कर्बला के पास,
बीकानेर-334001. (राज०)

लघु कथा

अभी तो बारहवां

□ अमरजीत साहिवाल □

अजीब सा हो-हल्ला था। चारों तरफ, जिसे देखो वही भागा जा रहा था, बदहवासी का आलम। मां को काटो तो खून नहीं और बाबा थे कि अलग परेशान। बस फिक्र थी कि अब होगा क्या? शहनाईयां बज रही थीं। मचान पर खड़े होकर शहनाई वालों ने दरवाजे पर आई बारात के स्वागत में ऐसी धुन छेड़ रखी थी कि सभी मंत्रमुग्ध थे। लेकिन लड़की वालों की मारे डर के जान ही निकली जा रही थी। भई पिछवाड़े देख आईये शायद वहां हों — अरे नंदी भाग और बब्बो बुआ के यहां पता तो कर के आओ शायद वहां न हो। नंदी भागता-भागता आया और उन्ही पैरों वापिस लौटता हुआ भाई साहब के पास गया। भाई साहब भी अपना सा मुंह लेकर रह गये। बार-बार यही सोचते बिरादरी को क्या जवाब देंगे। मेरा क्या होगा? हे भगवान इससे तो अच्छा था तू मुझे यूँ ही उठा लेता। भाभी थी सो अलग घर को सिर पर उठाये थीं। तुमने जरूर डांटा होगा। कुछ तो कहा ही होगा। जानते हैं तुम्हारे स्वभाव को, किसी को बर्दाश्त तो कर नहीं पाती हो कह डाला होगा जरूर कुछ तूने .....तूझे मायके वालों ने कुछ सिखाया होता तो आज यह दिन तो न देखना पड़ता—फूटे मेरे भाग—ऐसा कह भाई साहब फूट-फूट कर रोने लगे।

अब कोई सांत्वना भी दे तो क्या दे? अभी तो बारात द्वार पर खड़ी है। कहाँ से यकायक पैदा करेंगे। सारा गांव तो छान ही मारा था, लेकिन कहीं कुछ अता-पता ही नहीं मिल रहा था। सभी को चिन्ता थी गांव में तो भाई साहब की वो रुसवाई होगी कि पूछो मत - न जाने मरी कहाँ चली गई बित्ते भर की तो है अभी तो बारहवां भी नहीं लगा है, यह अलग बात है कि लड़के वालें ने जोर दिया तो उनके आगे झुकना पड़ा, नहीं तो लड़का हाथ से न निकल जाता।

इतने में बड़े जोर से किसी ने आवाज दी भाभी भाभी — देखो तो बीरो मिल गई है। अरे कहां से मिली कम्बख्त बीरो ....

हाथ में जलेबी लिये बीरो असमंजस में पड़ी कभी भाई साहब को और कभी खड़ी भीड़ को देखती थी। मासूमियत से बोली— ''भैय्या'' बाराती पंगत में बैठे लड्डू और जलेबी खा रहे थे .... बस मैं भी साथ बैठ गई और खाने लगी ----क्यूँ, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? भैया को बीरो की मासूमियत और अपनी नादानी पर क्षोभ होने लगा, जिस गरीबनी बेचारी को यह भी नहीं मालूम कि बारात मेरी है, मुझे घूंघट काढ़ना है — साथ नहीं जाना हैं — मैं — उसे .... उफ .... हे भगवान यह मैं क्या कर रहा था? वह कितनी नादान है।

फ्लैट नम्बर - 2 सैक्टर—4,
आर.के पुरम, नई दिल्ली—22

आर्थिक समीक्षा 91-92 एक सुदृढ़ भविष्य की तलाश

□ राजेश कुमार गौतम □

स्वतंत्र भारत की यह त्रासदी रही है कि जब-जब भारतीय अर्थ-व्यवस्था ने विकास की राह पर अपनी गति को तीव्र करने का प्रयास किया है तब-तब आकस्मिक संकटों (युद्ध, बाद, सूखा, साम्प्रदायिक दंगों व राजनीतिक अस्थिरता) ने उसके पर काट दिये। 1988-90 की सुखद स्थिति के पश्चात भारतीय राजनीति में आई अस्थिरता में अर्थव्यवस्था की गति को एकदम जड़ बना दिया। अठारह माह की अल्पावधि में तीन केन्द्रीय सरकारों एवं दो राष्ट्रीय चुनावों की विलासिता को सह सकने में सक्षम न होते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था को इनका बोझ ढोना पड़ा। नतीजा स्पष्ट था— राजनीतिक अस्थिरता ने देश को दिवालियेपन के कगार पर ला खड़ा किया। भारत की आर्थिक साख दाव पर लग गई। विदेशी मुद्रा कोषो के भंडारों का आयतन सिमट कर मात्र दो सप्ताह के आयात तक सीमित रह गया। विश्व बाजार में हमारी अस्मिता खतरे में पड़ गई। वित्तीय संस्थानों ने हमें ऋण देने से एकदम इंकार कर दिया। अन्ततः भारत सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और तब जाकर कुछ धन उधार मिल सका। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सामने नग्न होती-होती रह गई। उसके पश्चात श्री नरसिंह राव ने जून 1991 में देश की बागडोर सम्भाली। विख्यात अर्थशास्त्री डा० मनमोहन सिंह के वृद्ध किन्तु अनुभवी कन्धों पर देश की अर्थव्यवस्था के पुनरूत्थान का भार डाला गया। इनके द्वारा अर्थव्यवस्था को निश्चित दिशा व गति देने की ओर अनेक कदम उठाये गये।

वित्तीय वर्ष 1991-92 हेतु प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में चालू वर्ष में उल्लेखनीय मंदी व सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर में भारी गिरावट के बाद वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में सबसिडी का स्तर घटाने, असीमित सबसिडी समाप्त करने और मूल्य एवं वितरण नियंत्रण समाप्त करने के साथ-साथ सात प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों का सुझाव दिया है ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक मुद्रास्फीति, अंकुशवाली और गतिशील बनाया जा सके। इस समीक्षा में कहा गया है कि मौद्रिक, औद्योगिक, व्यापार व अन्य क्षेत्रों में वित्तीय सुधार की नीति जारी रखी जाये ताकि बजट घाटे को कम करके मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जा सके।

आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय, कृषि, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और मानव संसाधन के क्षेत्रों में भी सुधार की आवश्यकता बताते हुए छह सूत्री मुद्रास्फीति रोधक रणनीति का सुझाव दिया गया है ताकि कीमतें नीचे लाई जा सकें। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधारों का पूर्ण लाभ अगले वित्तीयवर्ष में दृष्टिगोचर होगा। भुगतान संतुलन के संकट से निपटने की प्रक्रिया जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

कृषि उत्पादन

इस वर्ष कृषि का निष्पादन अनुकूल नहीं रहा यद्यपि वर्ष 1990-91 में खाद्यान्न में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी लेकिन खाद्यान्न का उत्पादन इस वर्ष 1.5 प्रतिशत घट गया। समीक्षा के अनुसार 1991-92 की खरीफ फसल गत वर्ष की तुलना में कम रहेगी। यह कमी कुछ सीमा तक रबी की फसल की वृद्धि से पूरी की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष में छाई उल्लेखनीय मंदी के बावजूद कुल कृषि उत्पादन में कमी नहीं होने का अनुमान है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में कमी की पूर्ति सम्भवतः नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से हो जायेगी। इस वर्ष गन्ने की फसल के आसार बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा सरसों की फसल के भी अच्छे होने की आशा है।

उद्योग और आधारभूत ढांचा

अर्थव्यवस्था में व्याप्त संकट के चलते औद्योगिक क्षेत्र में निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। समीक्षा में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्षों में काफी तेजी से वृद्धि हुई थी लेकिन 1990-91 के उत्तरार्द्ध में गति काफी धीमी हो गई और 91-92 के शुरू में तो कमी में बदल गई। औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से नवम्बर 92 की अवधि में 0.9 प्रतिशत की कमी आई। पेय तम्बाकू व सीमेन्ट को छोड़कर सभी प्रमुख उद्योगों में वृद्धि की दर एक वर्ष पहले की अवधि की तुलना में गिरी, जबकि पूंजीगत माल उद्योग पर सरकारी निवेश में कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उपभोक्ता दीर्घोपयोग की वस्तुओं पर जुलाई 91 में विनिमय दर के समायोजन के कारण आयातित वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निर्यातोन्मुख उद्योगों को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति, पूर्व सोवियत

संघ के पतन के फलस्वरूप मांग में नाटकीय कमी आने और खाड़ी के देशों को निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हीनतर स्थिति का सामना करना पड़ा।

लेकिन आधारभूत उत्पादन उद्योग क्षेत्र में अप्रैल से दिसम्बर 1991 तक अन्य औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उपलब्धियां बेहतर रहीं। अप्रैल से दिसम्बर 1991 के बीच कोयले का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 10.9 प्रतिशत एवं बिजली का उत्पादन 9 प्रतिशत अधिक था। रेल का राजस्व अर्जित करने वाला मालभाड़ा यातायात 5.7 प्रतिशत व कुल मिलाकर ऊर्जा का उत्पादन 5.6 प्रतिशत अधिक रहा। पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्पादन 7.1 प्रतिशत बढ़ा लेकिन तेल शोधन क्षमता 2.1 प्रतिशत कम हो गई। समीक्षा के अनुसार आधारभूत संरचना उद्योग के इस उत्साहजनक कामकाज से यह संकेत मिलता है कि औद्योगिक मंदी तीव्र अवश्य है लेकिन इसका लम्बा खिंचना अनिवार्य नहीं है। औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्तर्निहित आपूर्ति कारक अच्छी तरह चल रहे हैं और उनमें 1992-93 में त्वरित औद्योगिक पुनः परिवर्तन को सहारा देने की क्षमता हैं। समीक्षा में अनुमान है कि सेवाओं के उत्पादन में लगभग 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वित्तीय परिवहन और निर्माण सेवाओं का कामकाज चालू वर्ष में अच्छा रहने की आशा है।

मुद्रास्फीति व मूल्य प्रबन्ध

लगातार गहराते आंतरिक संकट एवं आयात के मंहगा होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के संकट से भयंकर रूप से पीड़ित रही। गत वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मापित मुद्रास्फीति की दर 13.6 प्रतिशत थी लेकिन इस वर्ष संकट के बादल वर्ष पर्यन्त भारतीय अर्थव्यवस्था पर घनघोर रुप से मंडराते रहे। अगस्त 1991 के अंतिम सप्ताह में आंशिक आधार पर मुद्रास्फीति ने 16.7 प्रतिशत की रिकार्ड ऊंचाइयों का स्पर्श किया। जून, 1991 के अंत में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां 2383 करोड़ रूपये रह गई जो कि दो सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त थीं।

समस्या की विकरालता व गम्भीरता को देखते हुए श्री नरसिंह राव की सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता लाने का कार्यक्रम शुरू किया ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और भुगतान संतुलन में दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने तथा अर्थव्यवस्था को पुनः निरंतर विकास की पटरी पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किये जा सकें। केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार तथा उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से व्यापार व औद्योगिक नीतियों में भी व्यापक सुधार का कार्यक्रम शुरू किया।

इन उपायों के फलस्वरूप फरवरी 92 के तीसरे सप्ताह में विदेशी मुद्रा कोष की राशि बढ़कर 11410 करोड़ रुपये हो गई तथा फरवरी 92 में मुद्रास्फीति की दर घटकर 11.8 प्रतिशत रह गई। आर्थिक समीक्षा में यह संकेत है कि समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार को 92-93 में इन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आगामी वर्षों में नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि लाभों को और संगठित किया जाये तथा इन समस्याओं पर दृढ़ता से नियंत्रण किया जाये एवं उसके साथ-साथ वृद्धि दर बढ़े, रोजगार सृजन, निर्धनता-उन्मूलन व समानता को आश्रय देने जैसे आधारभूत लक्ष्यों की ओर बढ़ने की सरकार की क्षमता पुनः स्थापित हो।

सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का और आगे विस्तार किया है जिससे दूर-दराज व प्रतिकूल स्थिति वाले 1700 ब्लॉकों को सम्मिलित किया जा सके। हाल ही के महीनों में खाद्य तेल के आयातों में तेजी लाई गई है। सरकार मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने तथा सट्टेबाजों व जमाखोरों को अनुचित लाभ कमाने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगी। इन उपायों के अलावा सर्वे में मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है।

उत्पादन उद्योगों की सबसिडी और बाहरी सहायता में कमी की जाये जिससे कि वे मूल्य व मांग में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल अपने को ढाल सकें। न केवल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेश राशि के मांग के सम्बन्ध में भी बचतों को प्रोत्साहित किया जाये। औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश शुल्क द्वार नीचें रखे जायें और उद्योग की कम शुल्क पर आधारित आदान प्राप्त करने की सुविधा में सुधार किया जाये।

भुगतान संतुलन

वर्ष के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति काफी कष्टप्रद बनी रही। भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल दबावों का प्रमुख कारण देश में तेल उत्पादन की पूर्ति का मांग की तुलना में कम होना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण की प्रवृत्तियां, विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा भारत को भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में कमी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य साधनों से प्राप्त ऋणों की देनदारी एवं रियायती दर विदेशी सहायता के लिए अनुकूल वातावरण न होना है। इसके अतिरिक्त खाड़ी संकट के कारण पैट्रोलियम पदार्थों की अनुपलब्धता ने संकट को और गहरा बना दिया। रही-सही कसर जुलाई 91

में रुपये के विनियम मूल्य में हुए समायोजन ने पूरी कर दी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देनदारी समय पर अदा न कर पाने की स्थिति को टालने के लिए सरकार को जून 91 में सत्ता ग्रहण करने के तुरन्त बाद त्वरित कार्यवाही करनी पड़ी। जुलाई 1991 में स्टेट बैंक को 20 टन सोना अपने भंडार से विदेशों में बेचने के लिए पट्टे पर देने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक को 47 टन सोना बैंक ऑफ इंगलैंड को भेजने की अनुमति दी गई। समीक्षा में कहा गया है कि समस्या पर पूरी तरह काबू पाने के लिए अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तनों की आवश्यकता थी। सरकार ने तत्परता से राजकोषीय सुधारों से व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के कार्यक्रम पर अमल करने के लिये, तुरन्त कदम उठाये। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारी भुगतान की समस्या का स्थायी समाधान देश की निर्यात क्षमता में ठोस सुधार है। भुगतान की समस्या को हमें अपने संसाधनों व निवेश से सुलझाना होगा। आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है।

नीतिगत सुधारों की व्यवस्था

समीक्षा में कहा गया है कि यदि औसत जीवन स्तर में सुधार करना है तथा बेहतर रोजगार के आर्थिक अवसर पैदा करने हैं तो विकास दर को व्यापक रुप से बढ़ाना होगा। समीक्षा में नीतिगत सुधारों के साथ प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा की गई है। यह क्षेत्र हैं राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, कृषि नीति, वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, गरीबी उन्मूलन-नीति और मानव संसाधन विकास नीति। समीक्षा में कहा गया है कि सरकार की आर्थिक नीतियां वर्तमान समस्याओं का निदान पाने के लिए बनाई गई हैं उनमें भविष्य के लिए एक स्वप्न है और लोगों को बेहतर जिन्दगी देने का वचन है। इस स्वप्न का आधार है—आत्म निर्भरता।

औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अन्तर्निहित प्रतियोगी क्षमता के विकास के लिए व्यापार, औद्योगिक व सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीतियों में आधारभूत सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य था-कार्यकुशलता में सुधार, पूंजीप्रधानता के महत्व को कम करना तथा रोजगारोंन्मुख औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देना।

जुलाई 1991 में घोषित औद्योगिक नीति में सुधार, व्यापारनीति, राजकोषीय नीति तथा आर्थिक क्षेत्रों में विनियम दर में प्रबन्ध में किये गये सुधारों के पूरक ही थे। इन सुधारों का उद्देश्य और अधिक कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योग को नियंत्रणों से काफी हद तक मुक्त रखना है। इन सुधारों में अन्य बातों के अतिरिक्त सामरिक या पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण 18 उद्योगों या इन उद्योगों में निर्मित माल में आयातित अंश बहुत अधिक है, को छोड़कर सभी परियोजनाओं को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम में संशोधन कर बड़ी कम्पनियों को अपनी क्षमता में विस्तार एवं विविधक के लिए पूर्व अनुमति से मुक्त रखना, निजी क्षेत्र आधारभूत और प्राथमिक उद्योगों में और अधिक भागेदारी देना, स्थान संबंधी नीति को तर्कसंगत बनाना तथा 200 करोड़ रुपये की पूंजी से राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना भी इन सुधारों में सम्मिलित है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य यह है कि उद्योगों के आधुनिकीकरण और तकनीकी परिवर्तन का भार कामगारों पर न पड़े और रूग्ण एवं अव्यवहार्य उद्यमों के कामगारों को सुरक्षा मिले एवं उनको नये कामों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

सीधे विदेशी पूंजी प्रवाह को सरल बनाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। ऋण उत्पन्न न करने वाली पूंजी की आमद सावधि ब्याज ऋण पर निर्भरता कम करेगी तथा देश में नयी प्रौद्योगिकी, विपणन विशेषज्ञता और प्रबन्ध के आधुनिक तौर-तरीकों को लायेगी। कई महत्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी इक्विटी के स्वामित्व की सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दिया है ऐसी विदेशी इक्विटी भागेदारी को अब स्वत: ही मंजूरी मिल जायेगी। ये उपाय न केवल सरकारी नियंत्रक एजेन्सियों की भूमिका को कम करेंगे, बल्कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को कम करेगें और उद्यमों पर अपनी लागत को कम करने व गुणवत्ता में सुधार के लिए और दबाव डालेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक क्षेत्र उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो आरम्भ में उसके लिए निर्धारित किये गये थे और अपने निरन्तर खराब कामकाज में सुधार करने के लिए उसे अपनी उत्पादकता और लाभ में सतत सुधार करना होगा। सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि सार्वजनिक उद्यमों को केवल वित्तीय अनुशासन में नहीं रहना होगा बल्कि उनको मिलने वाली बजटीय सहायता कम करनी होगी। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र को जहां-जहां भी सम्भव हो प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जाना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र को अपने कामकाज को निपुणता से करने के लिए उन्हें अपने कार्य संचालन में अधिकतम स्वायत्ता प्रदान करनी होगी और सार्वजनिक क्षेत्र को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाना होगा।

शोधछात्र कादर नं० 4, पंचायत समिति
राजगढ़ जिला-अलवर (राज०)
पिन कोड नं० 301408

1992-93 के रेल बजट पर एक नजर

□ राकेश शर्मा □

पिछले वर्षों की तरह ही वित्तीय वर्ष 1992-93 रेल बजट संसद में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अनेक अटकलें लगाई जाती रहीं कि रेल बजट द्वारा आम व्यक्तियों पर महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा। रेल जो एक आम व्यक्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साधन है उस पर कितना बोझ बढ़ा यह एक असल मुद्दा है। इसलिए इस पर विचार किया जाना अपेक्षित होगा कि रेल बजट जो 25 फरवरी, 92 को संसद के समक्ष केन्द्रीय रेलमंत्री श्री सी.के जाफर शरीफ ने रखा है वह कितना जनप्रिय है।

किराया व माल भाड़े में वृद्धि

पहली अप्रैल 92 से रेल किराया व माल भाड़े में वृद्धि से 1366 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी जिसमें से 695 करोड़ रुपये भाड़ा दर से ही प्राप्त होंगे। सीजन टिकटों की कीमतों में दो रुपये से 53 रुपये तक ही वृद्धि की गई है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी चीजों के भाड़े में साढ़े सात प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा कोयले के भाड़े में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। विभिन्न मदों में किराया व माल भाड़े में वृद्धि इस प्रकार है :

किराया व माल भाड़े में वृद्धि

मद	करोड़ रुपये
साधारण द्वितीय श्रेणी	202
द्वितीय श्रेणी मेल और एक्सप्रेस	267
उच्च श्रेणी	76
शयनयान अधिशुल्क	6
सीजन टिकट	120
भाड़े में वृद्धि (कुछ वस्तुओं को छोड़कर)	243
कोयले के भाड़े में वृद्धि	129
पार्सल दरों में वृद्धि	44

रेल मंत्री श्री शरीफ ने बताया कि मुद्रास्फीति का दबाव न बढ़े, इसलिए माल ढुलाई में वृद्धि में 15 वस्तुओं को मुक्त रखा गया है। ये हैं — अनाज व दालें, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला नमक, चीनी, गुड़, शक्कर और खांड़सारी, चाय, फल व सब्जी, खाद्य तेल, केरोसिन तेल, डीजल, रासायनिक खाद, जैविक खाद, तिलहन, खली, मवेशी और चारा। इन वस्तुओं को माल ढुलाई में वृद्धि से बाहर रखकर श्री शरीफ ने वास्तव में आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं देने की पेशकश की है जो निःसन्देह काबिले तारीफ है।

रेलवे को लाभ/घाटा

रेलवे भारत का सबसे बड़ा उद्यम है, जिसमें 18 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं तथा खरबों की राष्ट्रीय पूंजी लगी है। वर्ष 1992-93 के वित्तीय वर्ष में 14,518 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। परन्तु रेलवे को केन्द्रीय संचित कोष से सहायता राशि पर निर्भर रहना पड़ता है। जो अनुदान नहीं माना जाता बल्कि उसे ऋण कहा जाता है। जिस पर ब्याज देना होता है। इसमें कुछ छूट भी शामिल है। मार्च, 1993 तक यह राशि 19409.76 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। इस वर्ष रेलवे 416.46 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निश्चय कर चुकी है। वर्ष 1992-93 तक रेलवे कुल 1833.90 करोड़ रुपये का ऋण भुगतान करेगी।

रेलवे को लाभ/घाटा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाभ	घाटा
1982-83	118.31	—
1983-84	—	44.75
1984-85	—	195.59
1985-86	178.83	—
1986-87	101.99	—
1987-88	84.29	—
1988-89	21.67	—
1989-90	173.26	—
1990-91	175.67	—
1991-92 (संशोधित)	435.00	—
1992-93	563.54	—

नई रेलगाड़िया

रेल मंत्री ने आगामी एक जुलाई 1992 से 15 नई रेलगाड़ियां आरम्भ करने की घोषणा की है। इनमें सियालदाह-हल्दीबाड़ी, न्यू कूच बिहार एक्सप्रेस, बड़ोदरा-बलसाड़ इन्टरसिटी एक्सप्रेस, वाराणसी-गोरखपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-न्यू बोंगई गांव पैसेंजर, बम्बई-बंगलौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, विरार-दहानु रोड पैसेंजर, सिकंदराबाद-विजयवाड़ा इन्टरसिटी एक्सप्रेस, मद्रास-बंगलौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, विजयवाड़ा मद्रास इन्टरसिटी। एक्सप्रेस, मैसूर-तिरूपति एक्सप्रेस निजामुद्दीन-कोटा-इन्दौर एक्सप्रेस आदि गाड़ियां सम्मिलित हैं। इसके अलावा 1992-93 के दौरान कई नयी रेल परियोजनाएं खोल दी जायेंगी जिनकी कुल लम्बाई 367 किलोमीटर होगी।

कम्प्यूटर आरक्षण सुविधा

यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए 1992-93 में 12 नये स्थानों पर कम्प्यूटर से रेल आरक्षण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। 1992-93 के दौरान मंगलूर, टाटानगर, ग्वालियर, इंदौर, लुधियाना, तिरूपति, बिलासपुर, विजयवाड़ा, रांची, जबलपुर, शिमला और चंडीगढ़ में भी कम्प्यूटर आरक्षण की सुविधा प्रारंभ की जायेगी। ऐसा होने पर भारतीय रेलों में लगभग 77 प्रतिशत आरक्षण कम्प्यूटर से होने लगेंगे।

दूरियों में वृद्धि

रेल मंत्री ने कुछ गाड़ियों का परिचालन बढ़ाये जाने की भी घोषणा की है लमडिंग-धर्मनगर सवारी गाड़ी कुमारघाट तक चलाई जाएगी। लमडिंग पर इस गाड़ी को बरक वैली एक्सप्रेस से संबद्ध किया जाएगा, जिससे कुमारघाट व गुवाहाटी के मध्य सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इसी प्रकार समदड़ी-पालनपुर सवारी गाड़ी को मेहसाना तक चलाया जाएगा। हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाया जाएगा।

रेल लाइनों को विद्युतीकरण

1992-93 के वित्तीय वर्ष में 3500 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 6000 किलोमीटर लाइनों के विभिन्न गेज बदले जाएंगे। 350 किलोमीटर मार्ग पर दोहरी लाइनें बिछाई जाएंगी। विद्युतीकरण के मार्ग हैं: अंबाला-मुरादाबाद, रेणिगुटा-होस्पेट, ईरोड-एर्नाकुलम- कौचिन, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, चांडिल-मुरी बरकाकाना और जामदोबा मोहुदा। झाझा-पटना मुगलसराय खंड का भी विद्युतीकरण किया जाएगा।

खान-पान सेवा का निजीकरण

खान-पान एक वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवा है। इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से रेल मंत्री ने कहा है कि इस सेवा का धीरे-धीरे निजीकरण कर दिया जाएगा। हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है कि खान-पान सेवाओं का विख्यात और व्यावसायिक प्रबंधकों को ही सौंपा जाए ताकि यात्रियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

दुर्घटनाओं में कमी

रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने रेलों में दुर्घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि रेलों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं पर शीघ्र और तीव्र गति से अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय रेलों में दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। 1985-86 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 717 थीं, जो 1990-91 में घटकर 532 रह गई हैं।

भाप इंजन

रेल मंत्री ने कहा है कि रेल सेवा में सन् 2000 तक सभी भाप इंजनों को हटा लिया जाएगा। ऊर्जा की बचत की दृष्टि से ऐसा किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष में 350 भाप इंजनों को सेवा से हटाए जाने की संभावना है और बाकी 2500 भाप इंजन बाकी रह जाएंगे। इनमें से 2000 को आठवीं योजना के दौरान हटा दिया जाएगा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रेल

सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। रेलों ने इस अवधि के दौरान लाभांश का पूरा-पूरा भुगतान करने के बाद 560 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त किया है जिससे आठवीं योजना के लिए एक ठोस नींव डली है। रेल मंत्री श्री शरीफ ने बताया है कि आठवीं योजना में 1991-92 के 335 मिलियन टन के मूल्य लक्ष्य की तुलना में 83 मिलियन टन वर्तमान प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात और यात्री यातायात में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना अवधि में निवेश का निम्न लक्ष्य होगा — विद्युतिकरण, चल स्टाक, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, अन्त:माडल परिवहन और टर्मिनल क्षमता का विकास।

आठवीं योजना अवधि के दौरान 6000 कि.मी. लम्बी लाइनों का अमान (गेज) परिवर्तन किया जाएगा। सातवीं योजना के शुरू में 19500 किलोमीटर रेल-पथ का नवीकरण करना शेष था जो अब 9,600 किलोमीटर बाकी है। वर्ष 1992-93 में 2,950

किलोमीटर रेल-पथ के नवीकरण का लक्ष्य रखा गया है। आठवीं योजना के लिए 3,500 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रेलवे भूमि को किराये पर देना

रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने यह भी संकेत दिया है कि वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए रेल मंत्रालय अपनी भूमि को किराए पर दे सकती है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन को चुस्त किया जाएगा तथा कुछ प्रतिशत अतिरिक्त भूमि बेची भी जा सकती है या फिर निजी क्षेत्र को यह भूमि किराए पर भी दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नई आर्थिक नीति और दर्शन को ध्यान में रखते हुए रेल को व्यापार की तरह चलाने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया जाएगा तथा एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जा रही है जो प्रबंधकीय परिवर्तन पर अपनी राय देगी। रेल मंत्री का समिति गठन का निर्णय एक स्वागत योग्य क़दम है।

रेलकर्मियों की संख्या वृद्धि में रोक लगाना

रेलवे बोर्ड की एक समिति ने रेलवे के कुल 18 लाख कर्मचारियों में से चार लाख से ज्यादा कर्मचारियों को "जरूरत से ज्यादा" बताया है। वर्ष 1992-93 के रेलवे बजट से यह आशंका प्रकट की जा रही है कि शीघ्र ही रेलवे कर्मचारियों की संख्या में जो जरूरत से अधिक है किसी और स्थान पर खपाया जायेगा। अधिकांश अतिरिक्त कर्मचारी तीसरी और चौथी श्रेणी के हैं।

रेलवे कर्मचारियों की संख्या वृद्धि में रोक लगाना आवश्यक हो गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए वर्तमान सुविधाओं में भी कटौती का प्रावधान रखा गया है जैसे, कर्मचारियों की सुविधाओं की मद में पिछले साल के 35.71 करोड़ रुपये आबंटित हैं। आवास के लिए पिछले साल के 36.31 करोड़ रुपये की जगह इस साल 25.03 करोड़ रुपये हैं।

कमियां/सुझाव

दूसरे दर्जे के किराए में की गई बढ़ोतरी जरूरी हो गयी थी इस लिये इसको उचित तो कहा जा सकता है परन्तु भविष्य में यह किराया बार-बार न बढ़ने पाये इसके लिये यह आवश्यक हो गया कि रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक खर्चों को कम कर दिया जाए।

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे के विकास की ओर विशेष ध्यान देने की निहायत आवाश्यकता है।

भारतीय रेलवे में जहां एक ओर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का विषय है वहां पर अधिकारियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

आम बजट में किए जाने वाले प्रावधान में निरंतर कमी भी रेलवे की वित्तीय आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रही है जिसका दुष्परिणाम रेल यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है।

नई रेल लाइन बिछाने के काम को प्राथमिकता न देते हुए नए बजट में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके विपरीत ऐसे क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना अपेक्षित है जहां पहले से कोइ भी रेल लाइन नहीं डाली गई है। इसमें जहां एक ओर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे वहीं दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों को भी देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने का सुअवसर भी प्राप्त होगा।

अनेक वर्षों से रेलवे का उद्देश्य केवल लंबी दूरियों की या तेज चलने वाली गाड़ियां बढ़ाने का रहा है जिससे आमदनी अधिक हो सके जबकि इसके विपरीत छोटी दूरी के और साधारण रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की उपेक्षा की जाती रही है यदि इस पर अधिक ध्यान दिया जाए तो जहां एक और सड़क परिवहन पर अनावश्यक बोझ कम होगा वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी बसों के धुएं से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा।

और अन्त में, रेल बजट में यात्री सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो चालू वर्ष से सिर्फ 19 करोड़ रुपये ज्यादा है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जितना किराया भाड़ा बढ़ाकर यात्रियों पर बोझ डाला गया है उस अनुपात में भारतीय रेल, सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएगी।

1/5569, रामाश्रम
बलबीर नगर विस्तार
शाहदरा, दिल्ली-110032

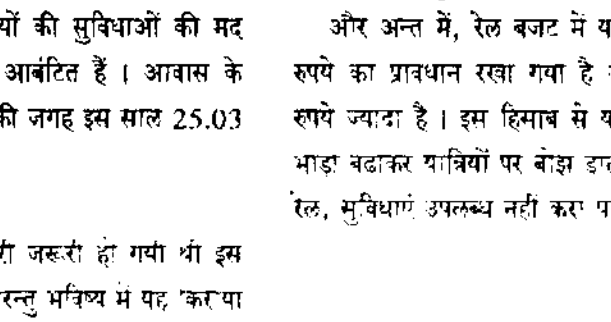

ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनचेतना

□ राजेन्द्र माथुर □

एक समय था जब मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी । न किसी चीज को पकाना, न रोशनी की तलाश के लिए भटकना। तब आदिमानव कच्ची वस्तुओं को ही खाकर अपना पेट भर लेता था । धीरे-धीरे उसने आग जलाना सीखा। ज्यों-ज्यों उसमें मनुष्यता के गुण प्रकट होने लगे उसका मस्तिष्क भी विकसित होने लगा । पत्थरों से चिनगारियां निकालकर आग जलाने से लेकर लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गोबर गैस तथा सौर ऊर्जा तक का इतिहास है ऊर्जा के विकास का ।

ऊर्जा न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों के लिये भी आवश्यक है। ऊर्जा की बदौलत आज बड़े-बड़े कल-कारखाने चल रहे हैं और सड़क, वायु तथा समुद्र मार्गों पर आवागमन के साधन उपलब्ध हैं । कहना उचित होगा कि आज ऊर्जा मनुष्य की दैनिक क्रियाओं और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है ।

ऊर्जा कई खनिज पदार्थों के रूप में पाई जाती है। जैसे पेड़-पौधों से प्राप्त ऊर्जा, लकड़ी, कोयला और सूखी पत्तियों के रूप में, खनिजों से प्राप्त ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल के रूप में तथा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा के रूप में हमें उपलब्ध होती है । आज ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में सौर उर्जा धीरे-धीरे अन्य समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का स्थान लेती जा रही है ।

मनुष्य के जीवन स्तर के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयोगों को देखते हुए ऊर्जा के बढ़ते उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता से अधिक दोहन के कारण आज समूचा विश्व ऊर्जा को लेकर चिंतित है । यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आखिर कितने दिनों तक रह पायेंगे हमारे ये ऊर्जा के भण्डार । एक दिन कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे कल-कारखाने ऊर्जा के अभाव में बंद हो जाएं । अतः ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की खोज की जहां आवश्यकता आन पड़ी है वहीं दूसरी ओर ऊर्जा की बचत तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है ।

बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के बढ़ते प्रयोग के कारण ऊर्जा के समस्त प्रकार के रुपों और वस्तुओं की कीमतें भी दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं । विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा के स्रोत सीमित रह गये हैं । अगर इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो हमें एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा ।

इस संकट से उबरने के लिए हमें स्वयं को सोचना पड़ेगा और बदलनी होगी अपनी मानसिकता । भौतिक सुख-सुविधा तथा दिखावटीपन के लिए बरबाद होने वाली ऊर्जा को बचाना तो हमारे अपने हाथ में है । ऊर्जा की बचत में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कहीं अधिक एवं कारगर है । बिजली की खपत आवश्यकतानुसार करें, कुकिंग गैस सही तरीके से काम में लायें, लकड़ी-कोयला जलायें तो वैज्ञानिक ढंग से विकसित चूल्हों का प्रयोग करें, घर में पशु उपलब्ध हैं तो गोबर गैस संयत्र लगवाकर उसका लाभ उठायें आदि जैसे उपाय तो हर गृहिणी की कुशलता और सोच पर निर्भर करते हैं ।

इसी तरह डीजल–पेट्रोल आदि की खपत पर नियंत्रण के लिए वाहनों का आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग लेना, टायरों में हवा का दबाव पूरा रखना, कारबोरेटर आदि को साफ रखना और कल-कारखानों तथा दफ्तरों-संस्थाओं आदि में भी अनावश्यक विद्युतीकरण तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण के उपाय ढूंढे जा सकते हैं ।

नये स्थापित होने वाले कल-कारखानों तथा नये आविष्कारों से निकलने वाले साधनों को शुरू करने से पहले उनके काम में आने वाली सामान्य प्रकार की ऊर्जा एवं वैकल्पिक साधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की खपत, कीमत एवं उपयोगिता पर पूरी तरह से विचार कर लेना आवश्यक है । यदि सौर ऊर्जा सस्ती, दुर्घटनारहित और अक्षुण्ण है तो फिर हम क्यों विद्युतीय एवं तापीय ऊर्जा का उपयोग करें? आज लगभग कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग आसानी से उपलब्ध हैं। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों को इस दिशा में और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है । यदि सौर ऊर्जा मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आने वाले हर क्षेत्र में प्रयोग में लाई जा सके तो समूचा विश्व इस ऊर्जा के संकट की चिंता से उबर सकता है ।

फार्म रेडियो रिपोर्टर
आकाशवाणी, बीकानेर

डीलक्स निरोध

अब गुलाबी रंग में उपलब्ध

दो बच्चों के जन्म में अंतर रखने का आसान तरीका — निरोध

davp 91/636

केन्द्रीय बजट 1992-93 की विशेषताएं

- वर्ष 1992-93 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 3,100 करोड़ रुपये का आबंटन। यह राशि 1991-92 के संशोधित अनुमानों से 92 करोड़ रुपये अधिक है।

- ग्रामीण जलापूर्ति पर 460 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल 1,61,722 स्रोत रहित समस्याग्रस्त गांवों में से मार्च 1992 तक 1,58,898 तथा शेष गांवों में 1992-93 में सुविधा पहुंचा दी जाएगी।

- ग्रामीण विकास योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूरी जनसंख्या को समाहित किया जाएगा।

- 1992-93 में 5,240 गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। एक लाख पचास हजार से अधिक पम्पसेट लगाए जाएंगे।

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 1992-93 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लगभग 19 लाख परिवारों की मदद की जाएगी।

- ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए 2,046 करोड़ रुपये का आबंटन।

- जवाहर रोजगार योजना के तहत रोजगार योजनाओं के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से 500 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे।

- कृषि, सहयोग और सहायक गतिविधियों के लिए व्यय 1991-92 के संशोधित अनुमानों में 1,328 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1992-93 के बजट में 1,408 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आर.एन. /708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/92
पूर्व भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P.& T Regd. No. D (DL) 12057/92
Licenced under U (DN) 55
to post without pre payment at DPSO, Delhi 54

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग